हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 अक्टूबर, 2017

खण्ड–3, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 23 अक्टूबर, 2017

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	4
भूतपूर्व संसद सदस्य/हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों/हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन	21 (1)
स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना	21 (2)
सदस्यगण का नाम लेना	29
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेम किए गए सदस्यगण के व्यवहार तथा आचरण की निंदा करना	30
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	31
हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं का अभिनन्दन	41
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	42
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	83
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	87
घोषणाएं–	123 (1)
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा	123 (2)
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	123 (3)

(ख) सचिव द्वारा 123 (4)

*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी 123 (5)

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना 124

सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र 127

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना 134

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध 134 (1)

(ii) श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. के विरूद्ध 135

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव– 136 (1)

प्रदेश में पराली की समस्या के बारे में 136 (2)

वक्तव्य– 137 (1)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनकड़) द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी 137 (2)

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 23 अक्टूबर, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 02:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले कई माननीय साथी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, मैं उनके बारे में शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ:–

श्री अनिल माधव दवे, केंद्रीय राज्य मंत्री

यह सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे के 18 मई, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 जुलाई, 1956 को हुआ। वे वर्ष 2009, 2010 तथा 2016 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुये। वे 5 जुलाई, 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री बने तथा उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। उनका जीवन नर्मदा नदी को संरक्षित करने के प्रति समर्पित रहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका गहरा लगाव था, उन्होंने अपनी वसीयत में भी लिखा है कि ''मेरा स्मारक मत बनवाना, पेड़ लगाना''।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

महंत चांद नाथ योगी, संसद सदस्य

यह सदन संसद सदस्य महंत चांद नाथ योगी के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 जून, 1956 को हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। वे वर्ष 2004 से 2008 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1985 से अपने अंतिम समय तक श्री बाबा मस्तनाथ मठ, अस्थल बोहर के महंत रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां बेजोड़ रही। उन्होंने भारतीय कला और वास्तुकला को बचाने के लिए कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया।

उनके निधन से देश एक सच्चे समाज सुधारक एवं योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री नारायण सिंह के 19 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जनवरी, 1935 को हुआ। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया और बाद में पंचायत समिति और मार्केट कमेटी, जींद के अध्यक्ष बने। वे वर्ष 1968 से 1970 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1991 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जलेब खां, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जलेब खां के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जुलाई, 1942 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 2009–14 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ. बृज मोहन गुप्ता, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बृज मोहन गुप्ता के 24 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 नवम्बर, 1927 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अर्जन सिंह, मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स

यह सदन मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, श्री अर्जन सिंह के 16 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 अप्रैल, 1919 को हुआ। वे दिसम्बर, 1939 में पायलट ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुये। वे वर्ष 1960 में एयर वाइस मार्शल, वर्ष 1964 में एयर मार्शल तथा वर्ष 1966 में एयर चीफ मार्शल बने। वर्ष 1965 में भारत –पाक युद्ध के दौरान वायु सेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने के लिए उन्हें पदम विभूषण से सम्मानित किया गया। वे वर्ष 1989 से 1990 के दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल रहे। वे स्विट्जरलैंड और वैटिकन सिटी में भारत के राजदूत तथा केन्या में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। वे जनवरी, 2002 में मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स बने। यह पहला अवसर था जब एयर फोर्स का कोई अधिकारी पांच स्टार रैंक पर पहुंचा।

उनके निधन से देश एक वीर सपूत एवं सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. श्री खूबी राम, गांव नखड़ौला, जिला गुरुग्राम।
2. श्री प्रभाती लाल, गांव डोहर कलां, जिला महेन्द्रगढ़।
3. श्री देशराम, गांव छव्वा, जिला रेवाड़ी।
4. श्री रामजस, गांव फूलां, जिला फतेहाबाद।
5. श्री कुंदन लाल, गांव ढाणी दादी जाखल, जिला फतेहाबाद।
6. श्री देसराज परदेसी, पंचकूला।
7. श्री करतार सिंह, गांव गलेडवा, जिला कुरुक्षेत्र।
8. श्री चूहड़ सिंह, अंबाला छावनी, जिला अंबाला।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन हरियाणा के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कर्नल मनु टंडन, करनाल।
2. सब–लेफ्टिनेंट अतुल कुमार, पंचकूला।
3. सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह, गांव करसोला, जिला जींद।
4. सूबेदार विक्रम सिंह, गांव कुंजपुरा, जिला महेंद्रगढ़।
5. नायब सूबेदार अनिल कुमार, गांव बास दुधा, जिला रेवाड़ी।
6. हवलदार बलराज सिंह, गांव ढ़ाकल, जिला जींद।
7. हवलदार दिनेश, गांव नानूकलां, जिला गुरुग्राम।
8. हवलदार सत्यनारायण, गांव बसई, जिला महेंद्रगढ़।
9. हवलदार सतेंद्र सिंह, गांव जनौला, जिला गुरुग्राम।
10. लांस नायक विनोद कुमार, गांव बेरी खेड़ा, जिला जींद।
11. लांस नायक सुरेश सिंह, गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़।
12. लांस नायक देवेंद्र सिंह, गांव डालनवास, जिला महेंद्रगढ़।
13. सिपाही अशोक कुमार, गांव ईन्दीवाली, जिला भिवानी।
14. सिपाही हरिप्रकाश, गांव खंडोडा, जिला रेवाड़ी।
15. सिपाही महेश कुमार, गांव गोलवा, जिला महेंद्रगढ़।
16. सिपाही जसवंत सिंह, गांव शेखपुर माजरी, जिला गुरुग्राम।
17. सिपाही प्रदीप, गांव गढ़ी, जिला हिसार।
18. सिपाही हनुमान सिंह, गांव बीगोपुर, जिला महेंद्रगढ़।
19. सिपाही राजेश शर्मा, नारनौंद, जिला हिसार।
20. सिपाही प्रदीप कुमार, गांव खरड़वाल, जिला जींद।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा के भाई, **श्री रोशन लाल शर्मा;**

उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल की भांजी के पति, **श्री अतुल अग्रवाल;**

विधायक श्री कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई तथा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री दूड़ा राम के भाई, **श्री देवीलाल;**

विधायक श्री सुभाष बराला की बहन, **श्रीमती अहिल्यावती;**

विधायक श्री सुभाष सुधा की चाची, **श्रीमती राज रानी;**

पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत की बहन, **श्रीमती सुनीता खेड़ा;**

पूर्व मंत्री प्रो. छत्तर पाल सिंह की बुआ, **श्रीमती सरोज;**

पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद की चाची, **श्रीमती हाजरा बेगम;**

पूर्व विधायक श्री सोमवीर सिंह के भाई, **श्री ईश्वर सिंह;**

पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश गुप्ता की पत्नी, **श्रीमती श्यामा देवी;**

पूर्व विधायक श्री जयनारायण खुंडिया की पत्नी, **श्रीमती संतरा देवी;**

पूर्व विधायक डॉ. मलिक चंद गम्भीर के पुत्र, **श्री संदीप गम्भीर;**

तथा

पूर्व विधायक श्री फतेह सिंह की पुत्रवधु, **श्रीमती शकुंतला अहलावत;**

के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन वीर सैनिक हवलदार मनजीत सिंह, गांव मैहलावाली, जिला यमुनानगर, तथा

सिपाही मुकेश शर्मा, गांव अमुपुर, जिला करनाल,

के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पिहोवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे के 18 मई, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 6 जुलाई, 1956 को हुआ। वे वर्ष 2009, 2010 तथा 2016 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुये। वे 5 जुलाई, 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री बने तथा उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। उनका जीवन नर्मदा नदी को संरक्षित करने के प्रति समर्पित रहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका गहरा लगाव था, उन्होंने अपनी वसीयत में भी लिखा है कि 'मेरा स्मारक मत बनवाना, पेड़ लगाना'। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संसद सदस्य महंत चांद नाथ योगी के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 21 जून, 1956 को हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। वे वर्ष 2004 से 2008 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1985 से अपने अंतिम समय तक श्री बाबा मस्तनाथ मठ, अस्थल बोहर के महंत रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां बेजोड़ रही। उन्होंने भारतीय कला और वास्तुकला को बचाने के लिए कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उनके निधन से देश एक सच्चे समाज सुधारक एवं योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व संसद सदस्य श्री नारायण सिंह के 19 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म पहली जनवरी, 1935 को हुआ। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया और बाद में पंचायत समिति और मार्केट कमेटी, जीन्द के अध्यक्ष बने। वे वर्ष 1968 से 1970 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1991 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक

की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जलेब खां के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 जुलाई, 1942 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 2009–14 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बृज मोहन गुप्ता के 24 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 नवम्बर, 1927 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, श्री अर्जन सिंह के 16 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 16 अप्रैल, 1919 को हुआ। वे दिसम्बर, 1939 में पायलट ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुये। वे वर्ष 1960 में एयर वाइस मार्शल, वर्ष 1964 में एयर मार्शल तथा वर्ष 1966 में एयर चीफ मार्शल बने। वर्ष 1965 में भारत – पाक युद्ध के दौरान वायु सेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने के लिए उन्हें पदम विभूषण से सम्मानित किया गया। वे वर्ष 1989 से 1990 के दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल रहे। वे स्विट्जरलैंड और वैटिकन सिटी में भारत के राजदूत तथा केन्या में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। वे जनवरी, 2002 में मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स बने। यह पहला अवसर था जब एयर फोर्स का कोई अधिकारी पांच स्टार रैंक पर पहुंचा। उनके निधन से देश एक वीर सपूत एवं सच्चे देशभक्त

की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैः–श्री खूबी राम, गांव नखड़ौला, जिला गुरुग्राम। श्री प्रभाती लाल, गांव डोहर कलां, जिला महेन्द्रगढ़। श्री देशराम, गांव छव्वा, जिला रेवाड़ी। श्री रामजस, गांव फूलां, जिला फतेहाबाद। श्री कुंदन लाल, गांव ढाणी दादी जाखल, जिला फतेहाबाद। श्री देसराज परदेसी, पंचकूला। श्री करतार सिंह, गांव गलेडवा, जिला कुरुक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, श्री करतार सिंह जी का गांव मेरे पेहवा विधान सभा क्षेत्र में है और खास तौर से मेरे अपने गांव गुमथलागढू के साथ इनके गांव की सीम लगती है। जहां इन्होंने जंग–ए–आजादी में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। वह एक बड़े ही नेक इंसान थे और मेरा इनके साथ हमेशा ही मिलना–जुलना रहा। इसके साथ–ही–साथ श्री चूहड़ सिंह, अंबाला छावनी, जिला अंबाला। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिको के नाम इस प्रकार हैः – कर्नल मनु टंडन, करनाल। सब–लेफ्टिनेंट अतुल कुमार, पंचकूला। सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह, गांव करसोला, जिला जींद। सूबेदार विक्रम सिंह, गांव कुंजपुरा, जिला महेंद्रगढ़। नायब सूबेदार अनिल कुमार, गांव बास दुधा, जिला रेवाड़ी। हवलदार बलराज सिंह, गांव ढाकल, जिला जींद। हवलदार दिनेश, गांव नानूकलां, जिला गुरुग्राम। हवलदार सत्यनारायण, गांव बसई, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार सतेंद्र सिंह, गांव जनौला, जिला गुरुग्राम। लांस नायक विनोद कुमार, गांव बेरी खेड़ा, जिला जींद। लांस नायक सुरेश सिंह, गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़। लांस नायक देवेंद्र सिंह, गांव डालनवास, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अशोक कुमार, गांव ईन्दीवाली, जिला भिवानी। सिपाही हरिप्रकाश, गांव खंडोडा, जिला रेवाड़ी। सिपाही महेश

कुमार, गांव गोलवा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही जसवंत सिंह, गांव शेखपुर माजरी, जिला गुरुग्राम। सिपाही प्रदीप, गांव गढ़ी, जिला हिसार। सिपाही हनुमान सिंह, गांव बीगोपुर, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही राजेश शर्मा, नारनौंद, जिला हिसार। सिपाही प्रदीप कुमार, गांव खरड़वाल, जिला जींद। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से मैं शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा के भाई श्री रोशन लाल शर्मा, उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल की भांजी के पति श्री अतुल अग्रवाल, विधायक श्री कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई तथा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री दूड़ाराम के भाई श्री देवीलाल, विधायक श्री सुभाष बराला की बहन श्रीमती अहिल्यावती, विधायक श्री सुभाष सुधा की चाची श्रीमती राज रानी, पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत की बहन श्रीमती सुनीता खेड़ा, पूर्व मंत्री प्रो. छत्तर पाल सिंह की बुआ श्रीमती सरोज, पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद की चाची श्रीमती हाजरा बेगम, पूर्व विधायक श्री सोमवीर सिंह के भाई श्री ईश्वर सिंह, पूर्व विधायक श्री जय प्रकाश गुप्ता की पत्नी श्रीमती श्यामा देवी, पूर्व विधायक श्री जयनारायण खुंडिया की पत्नी श्रीमती संतरा देवी, पूर्व विधायक डॉ. मलिक चंद गम्भीर के पुत्र श्री संदीप गम्भीर तथा पूर्व विधायक श्री फतेह सिंह की पुत्रवधु श्रीमती शकुंतला अहलावत के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । इसके अतिरिक्त हवलदार मनजीत सिंह, गांव मैहलावाली, जिला यमुनानगर और सिपाही मुकेश शर्मा, गांव अमुपुर, जिला करनाल के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । मैं अपनी तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Smt. Kiran Choudhry (Tosham): Speaker Sir, this House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Anil Madhav Dave, Union Minister of State, on May 18, 2017.

He was born on July 6, 1956. He was elected to the Rajya Sabha in 2009, 2010 and 2016. He became Union Minister of State on July 5, 2016 and held an important portfolio of Environment, Forest and Climate Change. His life was dedicated to Narmada River's conservation. He had keen interest in environmental protection. He also wrote in his will "Don't make my monument, plant trees".

In his death, country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Mahant Chand Nath Yogi, Member of Parliament, on September 17, 2017.

He was born on June 21, 1956. He was a great social reformer. He remained member of the Rajasthan Legislative Assembly from 2004 to 2008. He was elected as a Member of Lok Sabha in 2014. He remained the Mahant of Shri Baba Mastnath Math, Asthal Bohar from 1985 to till his demise. His achievements in the field of Health and Education were remarkable. He also constructed many temples to protect the Indian Art and Architecture.

In his death, the country has lost a true social reformer and an able parliamentarian. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Narain Singh, former Member of Parliament, on June 19, 2017.

He was born on January 1, 1935. He started his political career as a village Sarpanch and later on, he became the Chairman of Panchayat Samiti and Market Committee, Jind. He remained member of the Haryana Legislative Assembly from 1968 to 1970. He was elected as a Member of Lok Sabha in 1991. He was a soft spoken person with an amiable nature.

In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Jaleb Khan, former Chief Parliamentary Secretary of Haryana on September 17, 2017. He was born on July 15, 1942. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 2009 and remained Chief Parliamentary Secretary during 2009-14. He was also a very simple, honest and straight-forward man and he worked with me as Chief Parliamentary Secretary in my Ministry. He was dedicated towards the upliftment of the downtrodden and poor sections of the society.

In his death, the country has lost a legislator and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. Brij Mohan Gupta, Former Member of Haryana Legislative Assembly, on June 24, 2017.

He was born on November 15, 1927. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1977 and 1987. He was a committed social worker.

In his death, the country has lost a seasoned legislator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Arjan Singh, Marshal of the Indian Air Force, on September 16, 2017.

He was born on April 16, 1919. He was commissioned as a Pilot Officer in December, 1939. He became Air Vice Marshal in 1960, Air Marshal in 1964 and Air Chief Marshal in 1966. He was awarded the Padma Vibushan for his distinguished service in commanding the Indian Air Force during the Indo-Pak War of 1965. My father Brigadier Shri Atma Singh also has the distinction of serving under him during the Indo-Pak War and he also wounded during that War. He remained Lieutenant-Governor of Delhi from 1989 to 1990. He also remained the Ambassador of India to Switzerland and Vatican City and High Commissioner of India to Kenya. He became the Marshal of the Indian Air Force in 2002. It was for the first time when any officer of the Air Force reached to five star rank.

In his death, the country has lost a brave son and a true patriot. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of our revered freedom fighters who played a significant role in achieving the freedom of our country:-

These great freedom fighters are:-

1. Shri Khubi Ram, village Nakhdola, District Gurugram
2. Shri Prabhati Lal, village Dohar Kalan, District Mahendragarh

3. Shri Desh Ram, village Chhawa, District Rewari
4. Shri Ram Jas, village Phoolan, District Fatehabad
5. Shri Kundan Lal, village Dhani Dadi Jakhal, District Fatehabad
6. Shri Deshraj Pardesi, Panchkula
7. Shri Kartar Singh, village Gledwa, District Kurukshetra
8. Shri Chuhar Singh, Ambala Cantt., District Ambala

This House salutes these great freedom fighters and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House bids tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage and made the supreme sacrifice of their lives while safeguarding the unity and integrity of our motherland.

These great martyrs are:-

1. Colonel Manu Tandon, Karnal
2. Sub-Lieutenant Atul Kumar, Panchkula
3. Subedar Dharmender Singh, village Karsola, District Jind
4. Subedar Vikram Singh, village Kunjpura, District Mahendragarh
5. Naib Subedar Anil Kumar, village Bas Dooda, District Rewari
6. Havildar Balraj Singh, village Dhakal, District Jind
7. Havildar Dinesh, village Nanukalan, District Gurugram
8. Havildar Satyanarayan, village Bassai, District Mahendragarh
9. Havildar Satender Singh, village Janaula, District Gurugram
10. Lance Naik Vinod Kumar, village Beri Khera, District Jind
11. Lance Naik Suresh Singh, village Pali, District Mahendragarh
12. Lance Naik Devender Singh, village Dalenwas, District Mahendragarh
13. Sepoy Ashok Kumar, village Indiwali, District Bhiwani
14. Sepoy Hari Prakash, village Khandoda, District Rewari
15. Sepoy Mahesh Kumar, village Golwa, District Mahendragarh
16. Sepoy Jaswant Singh, village Shekhpur Majri, District Gurugram
17. Sepoy Pradeep, village Garhi, District Hisar
18. Sepoy Hanuman Singh, village Bighopur, District Mahendragarh
19. Sepoy Rajesh Sharma, Narnaund, District Hisar
20. Sepoy Pradeep Kumar, village Kharawal, District Jind

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Havildar Manjit Singh, village Mahlan Wali,

District Yamunanagar; and Sepoy Mukesh Sharma, village Amupur, District Karnal.

This House also salutes these great soldiers for their supreme sacrifice of laying down their lives for the nation and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of:-

1. Shri Roshan Lal Sharma, brother of Sh. Ram Bilas Sharma, Education Minister;
2. Shri Atul Aggarwal, niece's husband of Sh. Vipul Goel, Industry Minister;
3. Shri Devi Lal, cousin of Sh. Kuldeep Bishnoi, MLA and brother of Shri Dura Ram, Ex-CPS;
4. Smt. Ahilyawati, sister of Sh. Subhash Barala, MLA;
5. Smt. Raj Rani, aunt of Sh. Subhash Sudha, MLA;
6. Smt. Sunita Khera, sister of Smt. Krishna Gehlawat, Ex-Minister;
7. Smt. Saroj, aunt of Prof. Chhattar Pal Singh, Ex-Minister;
8. Smt. Hajra Begam, aunt of Sh. Aftab Ahmed, Ex-Minister;
9. Sh. Ishwar Singh, brother of Sh. Somvir Singh, Ex-MLA;
10. Smt. Shyama Devi, wife of Sh. Jai Prakash Gupta, Ex-MLA;
11. Smt. Santara Devi, wife of Sh. Jai Narayan Khuriya, Ex-MLA;
12. Sh. Sandeep Gambhir, son of Dr. Malik Chand Gambhir, Ex-MLA; and
13. Smt. Shakuntala Ahlawat, daughter-in-law of Sh. Fateh Singh, Ex- MLA.

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पंचकुला वायलेंस में जो 40 गरीब डेरा प्रेमी मारे गये थे, उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिये जायें। मैं अपनी

तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक की 79 वर्षीय चाची श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी सरदार इन्द्रजीत सिंह संधू का नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये। इसके अलावा जलियांवाला कांड के बाद इतिहास में दूसरा बड़ा कांड पंचकुला में हुआ है जिसमें एक घंटे में ही 40 डेरा प्रेमी मारे गये। अगर उनका नाम शोक प्रस्ताव में जोड़ा जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन के समय में जो नौजवान अपने हितों तथा अपनी कौम के लिए शहीद हो गये जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, उनके नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल किये जायें।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मीना चौधरी, राष्ट्रीय पशु धन मिशन केन्द्र की सदस्य तथा एच.ए.यू. के प्रबंधक बोर्ड की सदस्या का भी असामयिक निधन हुआ है इसलिए उनका नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब शोक–प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 25 अगस्त को पंचकूला के अंदर जो 42 लोग मारे गए थे। अध्यक्ष महोदय, जब उन लोगों के नाम शोक–प्रस्ताव में शामिल करने की बात आई तो उस समय सदन के नेता ने भी कहा था कि उनके नाम शामिल किये जांए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ–साथ आरक्षण आंदोलन के दौरान जो 31 बेकसूर जाटों के बच्चे मारे गए थे, उसके लिए हमने उस वक्त कहा था कि उन बच्चों के नाम शोक–प्रस्ताव में शामिल किए जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने उस समय केवल यह कहकर उनके नाम शामिल नहीं किये थे कि वे उपद्रवी बच्चे थे। अध्यक्ष महोदय, जबकि कुछ समय के बाद सरकार ने स्वयं उन्हें 10–10 लाख रुपए भी दिए और उनके परिवार के एक–एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही और उनके परिवार के एक–एक सदस्य को नौकरी भी दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार की तरफ से उनके परिवार के एक–एक सदस्य को नौकरी दे दी गई और उनके परिवार वालों को 10–10 लाख रुपये भी मुआवजे के रूप में दे दिये गये और इस तरह जो बच्चे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान

मारे गए थे अगर उन बच्चों को इनोसेंट मान लिया गया तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के नाम भी इस शोक–प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष की भी बात सही है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरी भी अपनी राय है कि उन बच्चों के नाम शोक–प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उपरोक्त नामों को शोक–प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपने–अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात् और इस अधिवेशन के आरम्भ होने के बीच कई महान विभूतियां दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं।

मैं सबसे पहले श्री अनिल माधव दवे, केन्द्रीय राज्य मंत्री और जो राज्य सभा के तीन बार सदस्य चुने गये, के 18 मई, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जीवन नर्मदा नदी को संरक्षित करने के प्रति समर्पित रहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उनका गहरा लगाव था।

मैं संसद सदस्य, महंत चांद नाथ योगी के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे वर्ष 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गये तथा दो बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी चुने गये।

मैं भूतपूर्व संसद सदस्य श्री नारायण सिंह के 19 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं । वे एक बार लोक सभा के सदस्य तथा एक बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी चुने गये। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रुप में शुरू किया। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृति के व्यक्ति थे।

मैं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव, श्री जलेब खां के 17 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ । वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 2009–2014 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

मैं हरियाणा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बृज मोहन गुप्ता के 24 जून, 2017 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे दो बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए।

मैं श्री अर्जन सिंह, मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स के 16 सितम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे दिसम्बर, 1939 में पायलट ऑफिसर के रुप में नियुक्त हुये। वर्ष 1965 में भारत–पाक युद्ध के दौरान वायु सेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने के लिए उन्हें पदम विभूषण से सम्मानित किया गया। वे वर्ष 1989 से 1990 के दौरान दिल्ली के उप–राज्यपाल रहे। वे स्विट्जरलैंड और वैटिकन सिटी में भारत के राजदूत तथा केन्या में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। वे जनवरी, 2002 में मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स बने। यह पहला अवसर था जब एयर फोर्स का कोई अधिकारी पांच स्टार रैंक पर पहुंचा।

इसके साथ ही, मैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिए हैं, के दुःखद निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं । इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने–अपने ढंग से देश को आजाद कराने के लिये अभूतपूर्व कार्य किया ।

मैं हरियाणा के उन सभी वीर सैनिकों, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए तथा जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं, के बलिदान पर गहरा दुःख प्रकट करता हूं । मैं इन महान आत्माओं को कोटि–कोटि प्रणाम करता हूं ।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्रियों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों के निजी संबंधियों के हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो । मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा । अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

भतूपूर्व संसद सदस्य/हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों/हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज हमारी विधान सभा की दर्शक दीर्घा में चौधरी अजय सिंह चौटालाश मैंबर ऑफ पार्लियामैंट, डॉ0 कमला वर्मा, पूर्व मंत्री, श्री सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक, श्री नफे सिंह राठी, पूर्व विधायक, श्री दुर्गा दत्त जी अत्री पूर्व विधायक, श्री राम बीर सिंह, पूर्व विधायक, डॉ0 मुनी लाल जी रंगा पूर्व मंत्री ये सभी वी. आई. पी. गैलरी में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से इनका अभिनन्दन करता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो काम रोको प्रस्ताव आया है पहले उस पर चर्चा की जाए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा प्रश्न काल के बाद ही होगी। प्रश्न काल से पहले कोई भी चर्चा नहीं हो सकती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, आपका काम रोको प्रस्ताव किस विषय पर है ?

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हमारी पार्टी द्वारा आपकी सेवा में जो काम रोको प्रस्ताव भेजा गया है पहले उस पर चर्चा करवाई जाए । उसको इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपकी पार्टी ने दादूपुर नलवी नहर परियोजना को डि–नोटीफाई करने के बारे जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उसको मैंने स्वीकार कर लिया है लेकिन उस पर चर्चा कल होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव दिया मैंने उसको कल के लिये स्वीकार कर लिया है । आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, पहले तो माननीय सदस्यों की लोकेशन देखिये, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से बाहर आ रहे हैं । डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जो विधान सभा के पूर्व स्पीकर भी रहे हैं, वे कहां पर खड़े हैं? अब इन सभी को वैल में आकर फोटो खिंचवाने की जल्दी लग रही है ।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को बन्द करके लाखों किसानों की जिन्दगियां बर्बाद कर दी हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, आप श्री अभय सिंह चौटाला जी की एक बार बात तो सुन लो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल में आ गये और अपने स्थगन प्रस्ताव को प्रश्न काल से पहले टेकअप करने के लिए तर्क–वितर्क करने लगे।)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी आधा घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थल पर दादूपुर, नलवी, शाहबाद, रादौर, बबैन तथा क्योड़क गांव के 1000 किसान आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके गए हैं। अतः कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी किस आधार पर दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटीफाई करने के विरोध में काम रोको प्रस्ताव लेकर आये हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, रणदीप जी तथा किरण जी आपको यह बताना चाह रहे हैं कि दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से निकली मिट्टी का पैसा कौन खा गया है, यह बार–बार उठकर सदन की कार्यवाही को क्यों बाधित कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, दादूपुर–नलवी नहर परियोजना एक अति महत्वपूर्ण विषय है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, मैंने आप लोगों द्वारा दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय पर दिया गया काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है लेकिन यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं इसको किस तिथि के लिए स्वीकार करूं? प्रश्न काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रश्न काल के बाद इस विषय पर बात कर ली जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, रणदीप जी तथा किरण जी तो यह बताना चाहती हैं कि इस नहर की मिट्टी का पैसा कौन खा गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल स्थगित भी तो किया जा सकता है। एक बार दादूपुर–नलवी नहर परियोजना पर चर्चा हो जाने दो उसके बाद भी तो प्रश्न काल हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, मैंने आपके काम रोको प्रस्ताव को कल के लिए स्वीकार कर लिया है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? (शोर एवं व्यवधान) यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं किसी विषय पर कब चर्चा करवाउं और बाकायदा रूल्ज भी इसकी तसदीक करते है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आप सबको इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा जरूर होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, श्री रणदीप सिंह जी और श्रीमती किरण चौधरी जी की तो मुख्य चिंता यह है कि चौधरी भपूेन्द्र सिंह हुड्डा अकेला ही दादूपुर–नलवी नहर परियोजना की मिट्टी क्यों खा गया? (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों का दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से कोई लेना देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा केवल एक दिन 600 आदमियों को लेकर वहां पर गया था उसके बाद इन्होंने यहां के लोगों की कोई खैर खबर तक नहीं ली और आज यह लोग सदन में दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय को उठाकर किसान हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन की कुछ मर्यादायें होती हैं, अतः आपको उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सीट्स पर बैठ जाना चाहिए और एक–एक करके अपनी बात रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों को किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती किरण चौधरी तथा श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो इस बात की ज्यादा चिंता है कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अकेले ही दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से निकली मिट्टी का पैसा क्यों खा गए और उनको यह पैसा नहीं मिल पाया ? (शोर एवं व्यवधान) आज कांग्रेस के लोग सदन में दादूपुर –नलवी नहर परियोजना की आड़ में किसानों के हितैषी बनना चाहते हैं लेकिन वास्तव में इन्होंने नलवी गांव देखा तक नहीं है। इन लोगों ने आज तक नलवी के किसानों की सुध तक नहीं ली है। इनको यह तक नहीं पता है कि नलवी गांव कहां है। इनको खानपुर से ढ़ोला माजरा गांव तक का रास्ता तक पता नहीं है ? इनको त्यौड़ा–त्यौड़ी, तगौर–तगौरी, डाडलू–पाडलू, कलसानी–कलसाना गांव कहां पर है, का भी पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने आज तक झरोली गांव देखा या टंगोर देखा है, नहीं, और आ गये दादूपुर–नलवी नहर परियोजना की बात करने ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बस दादूपुर–नलवी नहर परियोजना की बात ही सुनी है। यह लोग इस परियोजना की मिट्टी तक बेचकर खा गए हैं। इतना ही नहीं यह कांग्रेस पार्टी के लोग राक्षी नदी की भी मिट्टी को बेचकर खा गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह लोग दादूपुर–नलवी नहर परियोजना का बहाना बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सदन का समय बर्बाद करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। मैं इनके इस तरह के अमर्यादित आचरण के लिए "शेम–शेम" शब्द का प्रयोग करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी भी दादूपुर–नलवी गांव के लोगों की सुध तक नहीं ली।

वास्तव में कांग्रेस ने तो यहां के लोगों को उजाड़ने का ही काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब बात है कि रूलिंग पार्टी के ही एक मंत्री स्वयं उनकी सरकार होते हुए भी "शेम–शेम" की आवाजें लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, कितनी शर्म की बात है कि यह लोग इस परियोजना की मिट्टी तक खा गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के लोग दादूपुर–नलवी नहर परियोजना की मिट्टी तक बेचकर खा गए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बार–बार मट्टी–मट्टी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह इस शब्द को कौन सी डिक्शनरी से लेकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के आचरण के लिए "शेम–शेम" शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इन लोगों को वस्तुस्थिति का पता नहीं है केवल मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही यह ऐसा आचरण कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दांगी साहब से ही पूछना चाहता हूँ जोकि वैल में खड़े हैं कि क्या इन्होंने कभी नलवी गांव देखा है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हम सदन में दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय पर काम रोको प्रस्ताव लेकर आये हैं लेकिन आप इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की बजाए पहले प्रश्न काल शुरू करना चाहते हैं। दादूपुर नलवी नहर परियोजना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। अतः प्रश्न काल की बजाय सर्वप्रथम दादूपुर–नलवी नहर परियोजना विषय पर चर्चा की जानी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, मैंने दादूपुर–नलवी नहर परियोजना विषय पर लाए गए कांग्रेस पार्टी के काम रोको प्रस्ताव को कल दिनांक 24.10.2017 के लिए स्वीकार कर लिया है। अतः आप सभी कांग्रेस के माननीय सदस्य अपनी सीट्स पर बैठ जाये और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। अगर आप इस तरह का आचरण करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि आप इस विषय पर चर्चा से भाग रहे

हैं। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 70 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किः–

> **यदि अनुमति दी गई हो तो प्रस्ताव पर उसी दिन कार्य के रोकने के सामान्य समय पर या यदि दिन की सूची का कार्य जल्दी समाप्त हो जाये तो ऐसे कार्य की समाप्ति पर या ऐसे अन्य समय पर जिसे सभा निश्चित करे, विचार किया जायेगा।**

इस नियम के आधार पर मैंने आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कल के लिए स्वीकार कर लिया है। अतः अब आप लोग अपनी सीटों पर बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल को स्थगित करके दादूपुर नलवी नहर परियोजना विषय पर पहले चर्चा की जा सकती है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को समाप्त करके किसानों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेजवाला जी, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि दादूपुर–नलवी नहर परियोजना विषय पर लाए गए काम रोको प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया है और इस पर कल चर्चा कर ली जायेगी। आप जिस तरह से आज इस विषय पर चर्चा करने की जिद किए हुए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कल आप सदन में आना ही नहीं चाहते? (शोर एवं व्यवधान) आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए (शोर एवं व्यवधान) आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी सीट्स पर बैठ जायें।(शोर एवं व्यवधान) हम आपकी चिंता से पूरी तरह से वाकिफ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, रणदीप जी और किरण चौधरी को इस विषय पर चर्चा करवाने की जल्दी इसलिए है ताकि जल्द ही पूरे सदन को पता चल जाये कि इस परियोजना की मिट्टी कौन बेचकर खा गया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जब आप ने इनके एडजर्नमैंट मोशन को स्वीकार कर लिया और उस पर कल चर्चा करवाने के लिए कह दिया है तो फिर इनको आपकी बात को मान लेना चाहिए (विघ्न) This is very much

unparliament. अध्यक्ष महोदय, इससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये सदस्य आज नेम होकर हाउस से बाहर जाना चाहते हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं आपके दिये हुए 'काम रोको प्रस्ताव' पर कल चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं, इसलिए आप प्लीज, अपनी–अपनी सीटों पर बैठिये । आपने जो पराली फूंकने के विषय पर कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है आज आप उस पर चर्चा कीजिए । (शोर एवं व्यवधान) आपके काम रोको प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए मैंने सरकार को कह दिया है लेकिन फिलहाल हमने आज कॉलिंग अटैंशन मोशन को चर्चा के लिए स्वीकार किया है । आज मैंने जो काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार किया है वह कल के लिए किया है । (विघ्न)

श्री नायब सैनी : स्पीकर सर, आज यहां पर दादूपुर–नलवी के किसान आये थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आप कभी–कभी तो सैशन में आते हैं और उसी दिन काम नहीं होने देते । आज मुझे आपके और आपकी पार्टी के सदस्यों के व्यवहार को देखकर लग रहा है कि आपने फाइनल कर रखा है कि आप नेम होकर बाहर जाओगे। मैंने आपकी सारी बातें मान ली हैं लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस पार्टी हाउस से भाग रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि चेयर दबाव में काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष : चेयर पर कोई भी दबाव नहीं है । चेयर बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय ले रही है लेकिन आप लोग इस विषय पर बहस के लिए बिल्कुल तैयार नही हो । मैं आपको चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दे रहा हूं । मैंने आपके द्वारा दिये गये काम रोको प्रस्ताव को कल चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, जब आपने हमारे द्वारा दिये गए 'काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो it should be take up immediately, इसलिए आप अपनी गलती को सुधारिये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हमने आपके द्वारा दिये गए 'काम रोको प्रस्ताव' को कल चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है । आप चाहें तो हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य

संचालन संबंधी नियमावली के नियम 70 देख सकते हैं । (विघ्न) किरण जी, मैंने आपके द्वारा दिया गया काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और मैं आपको उस पर कल चर्चा के लिए आश्वासन देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 70 में स्पष्ट लिखा है किः–

> यदि अनुमति दी गई हो तो प्रस्ताव पर उसी दिन कार्य के रोकने के सामान्य समय पर या यदि दिन की सूची का कार्य जल्दी समाप्त हो जाए तो ऐसे कार्य की समाप्ति पर या ऐसे अन्य समय पर जिसे सभा निश्चित करे, विचार किया जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे एरिया से संबंधित था इसलिए हमने इसके बीच में टोका–टाकी की थी । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमने सदन में इस तरह से मुद्दाविहीन कांग्रेस पहली बार देखी है । मान्यवर, आपने उनका काम रोको प्रस्ताव कल के लिए स्वीकार कर लिया और आपने बार–बार उनको कहा कि कल के लिए उनका काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है फिर भी वे सदन की वैल में आ गये ।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दादूपुर नलवी नहर के बारे में काम रोको प्रस्ताव हमारी पार्टी के सदस्यों के द्वारा दिया गया है । माननीय अभय सिंह चौटाला जी और मेरे भी उस पर हस्ताक्षर हैं। हमारा काम रोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ है और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का काम रोको प्रस्ताव उसमें जोड़ा गया है क्योंकि वह बाद में दिया गया था ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल शुरू होना था । प्रश्न काल खत्म होने के बाद हम इस विषय को उठाते । लेकिन कांग्रेस के साथी पहले ही इस विषय को उठाकर सदन से बाहर जाना चाहते थे । दादूपुर नलवी नहर के निर्माण न होने के लिए सबसे बड़े कसूरवार कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं क्योंकि

लगातार दस साल तक उनकी सरकार प्रदेश में रही लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमने इसी विषय पर पहले काम रोको प्रस्ताव दिया था और उनका काम रोको प्रस्ताव बाद में आया था । हम प्रश्न काल के तुरंत बाद इस विषय को उठाते । क्या आप इस विषय पर आज प्रश्न काल के तुरंत बाद चर्चा करवाओगे ?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी ।

सदस्यगण का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी–अपनी सीटों पर जाएं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती किरण चौधरी जी, अगर आप सब मेरे बार–बार कहने पर भी अपनी सीटों पर नहीं बैठते हैं तो मैं सर्वश्री आनन्द सिंह दांगी, श्रीमती गीता भुक्कल, जगबीर सिंह मलिक, जय तीर्थ, जयवीर सिंह, करण सिंह दलाल, श्रीमती किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा, ललित नागर, रघुवीर सिंह कादियान, रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती रेणुका बिश्नोई, श्रीमती शकुन्तला खटक श्री कृष्ण हुड्डा और उदय भान को नेम करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वे हाउस से बाहर चले जाएं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने नारेबाजी शुरू का दी की।)

श्री अध्यक्षः आप सभी को नेम किया जा चुका है इसलिए अब आप हाउस से बाहर चले जाएं।

(इस समय भी नामित सभी सदस्य सदन की वैल में ही खड़े रहे और नारेबाजी करते रहे।)

श्री अध्यक्षः मैं सार्जेन्ट–एट–आर्म्ज को निर्देश देता हूँ कि वे इन नामित सभी सदस्यों को सदन से बाहर ले जाए।

(इस समय सार्जेन्ट–एट–आर्म्ज वॉच एंड वार्ड स्टॉफ की सहायता से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी नामित सदस्यों को सदन से बाहर ले गए।)

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नामित सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की निंदा करना।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने अथनटिक शब्दों में इस महान सदन में कल के लिए उनका काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य मुद्दाविहीन होकर सदन की वैल में आकर नारे–बाजी करने लगे । उनका इस तरह का व्यवहार संसदीय कार्य प्रणाली के खिलाफ है । कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक सत्ता में रहते हुए मलाई खाई है । मैंने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को कहा कि आपकी दस साल तक प्रदेश में सरकार रही उस समय आपने दादूपुर नलवी नहर की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज उनकी पार्टी के सदस्य सदन में शोर मचा रहे थे । अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पहले विपक्ष के नेता द्वारा काम रोको प्रस्ताव दिया गया है और बाद में कांग्रेस पार्टी के ध्यान में यह विषय आया । मान्यवर, आपने कल के लिए इस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार कर ली लेकिन कांग्रेस के साथियों ने मुद्दाविहीन होकर बिना वजह सदन का कीमती समय बर्बाद किया जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है । उनमें केवल एक ही होड़ लगी हुई है कि कौन पहले फोटो खिचवाकर पप्पू को दिखाये और अपने नम्बर बनाये । आजकल दो पप्पूओं की चर्चा बहुत हो रही है । एक पप्पू राष्ट्रीय स्तर का है और दूसरे के बारे में यह सदन जानता ही है । अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन है और अढ़ाई करोड़ हरियाणा की जनता ने सरकार को चुना है । इस महान सदन में केवल महत्वपूर्ण बातें ही होनी चाहिंए । बिना विषय के सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए । मान्यवर, आपने काम रोको प्रस्ताव कल के लिए स्वीकार कर लिया था और आपने कांग्रेस के साथियों को जानकारी भी दे दी लेकिन डा. रघुवीर सिंह कादियान जो इस सदन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं वे आपकी बात सुनने से पहले ही सदन की वैल की तरफ आ गये थे । आज कांग्रेस में होड़ लगी हुई है कि पहले फोटो कौन खिचवाये और अपने आका को दिखाये ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से अभी कांग्रेस के विधायकों के द्वारा सदन का समय बर्बाद किया गया, जिस ढंग से कांग्रेस के लोगों ने काम–रोको प्रस्ताव के ऊपर आपके वेल में आकर खड़े होकर नारे लगाए और जिस बात को लेकर वे कह रहे थे कि इस पर चर्चा हो। अध्यक्ष महोदय, यह केवल आज एक दिखावा था, ताकि यह कल की

15:00 बजे

अखबार की सुर्खी बने। अध्यक्ष महोदय, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उनका मुख्य मकसद क्या था। अध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त यहीं पर था और मेरे सामने ही कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ये बातें हो रही थीं। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि जब तक मैं न चला जाऊं, तब तक आप लोगों को यहीं खड़े होकर शोर मचाना है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, उनकी फ्लाइट थी और उन्हें दिल्ली जाना था। अध्यक्ष महोदय, यह केवल दिल्ली जाने के लिए एक रास्ता अपनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जब इस दादूपुर नलवी नहर के बारे में जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया है इस पर चर्चा हो उस समय कांग्रेस के सदस्य भी सदन में उपस्थित हों । इस विषय पर उनका सदन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि दस साल तक लगातार हरियाणा में उनकी सरकार रही उस दौरान उन्होंने दादूपुर नलवी नहर का निर्माण कार्य क्यों नहीं करवाया ? उस नहर की मिट्टी भी उनकी सरकार के समय में बेची गई जिसका कहीं कोई हिसाब–किताब नहीं है । यदि वे सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहेंगे तो विस्तार से इन बातों की जानकारी उनसे ली जा सकेगी । दादूपुर नलवी नहर की मिट्टी किसने बेची और कितनी पैसे में बेची तथा कौन उस पैसे को खा गया इसका हिसाब केवल कांग्रेस के साथी ही दे सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि दादूपुर नलवी नहर पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए जब कांग्रेस के साथी सदन की वैल में आ गये थे उस समय सरकार के कुछ मंत्री नारेबाजी कर रहे थे । हमने सदन में ऐसा पहली बार देखा है कि सरकार के मंत्री खड़े होकर नारे लगा रहे थे । सरकार को किसी विषय पर नारे लगाकर बचाने का काम मंत्रियों का नहीं होता । इस तरह का काम सरकार के विधायक करते हैं । मंत्री तो अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर जवाब देकर सरकार का बचाव करें और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें । लेकिन आज सरकार के मंत्री अपनी जिम्मेवारी निभाने के बचाय नारे लगाने के काम कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार के जो मंत्रीगण इस तरह सदन में नारे लगाते हैं उन्हें आप अपने चैम्बर में बुलाकर समझायें कि वे आईंदा इस तरह से सदन में नारेबाजी न करें ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2128

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थी ।)

तारांकित प्रश्न संख्या : 2134

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई सदन में उपस्थित नहीं थी)

***2098 Shri Aseem Goyel:** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a new Industrial Hub in Ambala City Constituency; if so, the time by which it is likely to be established?

उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल): नही श्रीमान जी, इस तरह का कोई प्रष्न नही उठता।

.....

श्री असीम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूंगा । सबसे पहली बात तो यह कि अम्बाला का क्षेत्र हमेशा से ही क्षेत्रवाद का ही शिकार रहा है। जो मिक्सी उद्योग है किसी समय में उसकी 3000 से 5000 इकाईयां अम्बाला के घर–घर में स्थापित थी। अम्बाला अमृतसर–कोलकाता कोरीडोर के ऊपर स्थापित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 40 मिनट के सफर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से अम्बाला कैंट में रेलवे का बहुत ही बड़ा जंक्शन है और हाई–वे से वैल–कनैक्टिड है। अम्बाला से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ड्राई–पोर्ट भी खुल चुका है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि अम्बाला के अंदर मिक्सी क्लस्टर और इंडस्ट्रिअल हब के लिए सम्भावनायें तलाशी जायें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस आशय का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये। केन्द्र सरकार दिल्ली का अल्टरनेट ढूंढ रही है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले पांच साल बाद न तो दिल्ली के एयरपोर्ट के

ऊपर जगह रहेगी, न मैट्रो स्टेशन के ऊपर जगह रहेगी और न ही बस–स्टैंड के ऊपर ही जगह रहेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस आशय का एक प्रस्ताव यहां से भेजें कि दिल्ली का नया ऑप्शन अम्बाला शहर बन सकता है।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है उनकी बात पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए हमने इस समय साहा के पास एच.एस.आई.आई. डी.सी. की 500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रिअल पार्क स्थापित किया है। इसी प्रकार से हमने इस उद्देश्य के लिए 2000 एकड़ की अतिरिक्त जमीन की एक्वीजिशन की है और इसकी आई.एम.सी. (इंटीग्रेटिड मैन्युफैक्चरर क्लस्टर) की परमिशन के लिए प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा हुआ है जैसे ही वहां से परमिशन प्राप्त होगी हम इस मामले में आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 19.10.2010 को इंडस्ट्रिअल डिपार्टमैंट, हरियाणा ने 41 बी (1) 32052010 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की है और एक आई.एम.टी. की स्थापना के लिए लगभग 1852 एकड़ जमीन एक्वॉयर करने की परमिशन दी थी लेकिन सात साल बीत जाने के बावजूद आज तक भी उस 1852 एकड़ जमीन के ऊपर सी.एल.यू. न करने की परमिशन दी हुई है। केवल वहां पर किसान खेती कर सकता है और इसी प्रकार से 1852 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा अम्बाला के अंदर उपलब्ध है और इसके अलावा भी अगर इस परपज़ के लिए 2000 से 2500 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी तो वह भी अम्बाला के अंदर उपलब्ध है। पुरानी सरकार के समय में कुछ नेताओं की आपसी लड़ाई में अम्बाला का काफी नुक्सान हुआ है। उनमें से एक नेता इस आई.एम.टी. को लेकर आये थे और दूसरे नेता चाहते थे कि इस आई.एम.टी. की अम्बाला में स्थापना न होने पाये। इस प्रकार से अम्बाला की जनता जो यह सोच रही थी कि जिस तरह से गुरूग्राम ने तरक्की की है उसी तरह आई.एम.टी. के आने से अम्बाला का विकास भी वैसा ही होगा लेकिन अम्बाला के हितों के ऊपर फिर से कुठाराघात हुआ। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने स्तर पर निजी प्रयास करके उस आई.एम.टी. की प्रोसैस को दोबारा से शुरू करवायें। मेरे हल्के में काकरू, मंढौर, खतौली व पंजोखरा साहब इत्यादि गांव आते हैं और गरनाला व जनेतपुर ये दोनों गांव आदरणीय विज साहब के हल्के में आते हैं। अतः इसके अलावा भी अगर इस उद्देश्य के लिए और जमीन की

आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन गांवों में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करवा देंगे। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह 1852 एकड़ जो जमीन है इसकी 19 अक्तूबर, 2010 को सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन हुई थी लेकिन उस समय सम्बंधित किसानों के एजीटेशन की वजह से सैक्शन 6 की नोटिफिकेशन इस जमीन के सम्बन्ध में नहीं हो सकी थी। इस कारण से एच.एस. आई.आई.डी.सी. ने इस परपोज़ल को ड्रॉप कर दिया था। अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उसकी फिजीबिलिटी देखकर उसके ऊपर विचार कर लिया जायेगा।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या : 2076

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

To Open a Regional Office of HSEB

***2111 Dr. Pawan Saini:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a regional office of Haryana School Education Board in North Haryana a Kurukshetra; if so, the time by which the said regional office is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है।

.....

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर हरियाणा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को भी इस पर समर्थन देने के लिए अनुरोध करता हूं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उत्तर हरियाणा के लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुये हैं तथा बहुत सारे प्राईवेट और सरकारी विद्यालय जुड़े हुये हैं। चाहे मुख्य अध्यापक हों या दूसरे अध्यापक हों उनके बहुत से काम होते हैं जिनके लिए उनको शिक्षा बोर्ड

भिवानी जाना पड़ता है। कभी किसी का रोल नं. लेट हो जाता है और कभी किसी का रिजल्ट लेट हो जाता है इसलिए शिक्षा बोर्ड भिवानी का रीजनल सैन्टर खोलने की बहुत आवश्यकता है जो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी डिमांड है। मैं इसमें भी कोई हार्ड एण्ड फास्ट नहीं होना चाहता, मैं यह नहीं कहता कि इसको लाडवा में ही खोला जाये, इसको कुरूक्षेत्र, यमुनानगर या अम्बाला में कहीं भी खोल दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपका भी और इन 8–10 जिलों के सभी पार्टियों के सदस्यों का भी समर्थन चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी का रीजनल सैन्टर खोला जाये।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी डॉ. पवन सैनी साइकिल पर गांव–गांव घूमते हैं और आम आदमी से उनका सम्पर्क बहुत अच्छा है। पहले एक धारणा थी कि ऐजुकेशन बोर्ड भिवानी में एप्लीकेशन फार्म्स को इकट्ठा करके वहां पर पहुंचाया जाता था तथा रजिस्ट्रेशन होता था। अध्यक्ष महोदय, अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी लाखों बच्चों के ऑनलाईन फार्म स्वीकार करता है अगर कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं तो उनको कंसैशन दे कर ऑनलाईन उनके फार्म स्वीकार किये जाते हैं। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड का पोर्टल 24 घंटे खुला रहता है। आज आधार कार्ड का हम 98 प्रतिशत काम डिजिटलाईजेशन पर कर रहे हैं इसके लिए मैं हरियाणा के आई.टी. विभाग को बधाई देता हूं तथा तहसीलों में भी 50 प्रतिशत कार्य डिजिटलाईजेशन से हो रहा है। फिर भी माननीय विधायक यदि यह चाहते हैं कि शिक्षा बोर्ड भिवानी का यहां पर रीजनल सैन्टर खोला जाये तो वे हमें लिख कर दे दें उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

.....

Construction of Mini Secretariat

*** 2119 Shri Mool Chand Sharma :** Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state whether it is fact that the Mini Secretariat of Ballabhgarh is functioning in the building of Panchayat Bhawan ; if so, the time by which the construction work of building of Ballabhgarh Mini Secretariat is

likely to be completed together with the details of location thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : जी हां, श्रीमान। इस उद्देश्य हेतु बल्लभगढ में 22 कनाल 06 मरला भूमि का टुकड़ा चिन्हित किया जा चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य कुछ समय में आरम्भ किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बल्लभगढ़ तहसील का कार्यालय एक पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। पिछली सरकारों ने इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई थी अब हमारी सरकार द्वारा बल्लभगढ़ में 22 कनाल 6 मरला भूमि को चिह्नित किया गया है। भवन निर्माण का कार्य कुछ ही समय में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही लेकिन बल्लभगढ़ तहसील के भवन का निर्माण नहीं हो सका। इस तहसील का कार्यालय किसान भवन में चल रहा है। किसान भवन जो बना था वह किसानों के लिए बना था और पिछले 20 साल से किसान कह रहे हैं कि हमारे किसान भवन को खाली किया जाये। 10 साल पिछली सरकार रही और 40 साल पहले चले गये लेकिन इस तहसील के भवन का निर्माण नहीं हो सका। यह बल्लभगढ़ तहसील वह तहसील है कि राजा नाहर सिंह शहीद के नाम पर यह शहर बसा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तहसील के भवन निर्माण की समय–सीमा बताई जाये कि इस पर निर्माण कार्य कितने दिन में शुरू हो जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह बड़ी तहसील है और यह 10 साल से किसान भवन में चल रही है । अब हमारी सरकार ने इस तहसील के लिये जमीन उपलब्ध करवा ली है और इसकी सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई हैं । हम दो महीने के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तहसील की आधारशिला रखवाकर इसका कार्य चालू करवा देंगे ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कलायत में एक सब डिविजन है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी एक मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा करके आए थे लेकिन मैं

मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक मिनी सचिवालय का कार्य शुरू नहीं हुआ है । सब डिविजन के कार्यालय अलग–अलग जगहों पर लगे हुए हैं । इसलिये उसका कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू करवा दें ताकि लोगों को असुविधा न हो और जो हमने सब डिविजन बनाया था उसका जनता को लाभ मिल सके ।

To Augment the capacity of Pawal Sugar Mill

***2053 Shri Kehar Singh :** Will the Cooperation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity to Palwal Sugar Mill; if so, the time by which it is likely to be augmented?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): नहीं, श्रीमान जी, इसलिए प्रश्न के इस हिस्से का सवाल पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तरफ से शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव आया है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हरियाणा में हमारी बी.जे.पी. की सरकार आई है जिसने किसानों को इस बार गन्ने की समय से पहले मिल के चलते–चलते पेमेंट दी है । इससे किसानों को अच्छी फसल का फायदा भी हुआ है । हरियाणा सरकार का मकसद है कि हमारी शुगर मिलों की क्षमता बढ़े । इसलिये हम चाहते हैं कि हम हरियाणा की शुगर मिलों की पूरी क्षमता बढ़ाएं । किन्तु मेरे साथी ने जिस शुगर मिल के बारे में कहा है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पलवल शुगर मिल को जितना गन्ना मिलना चाहिए वहां गन्ने का उतना उत्पादन नहीं है । वहां हमें आज 1600 टी.सी.डी की हैं तो उसमें हमें 32 लाख टन गन्ना चाहिए । अगर हम उस पर दो हजार टन गन्ने की क्षमता बढ़ाते हैं तो उसमें 38 लाख टन गन्ना चाहिए । इसलिये वह एरिया इतना ज्यादा नहीं है कि वहां शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जाए । मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हरियाणा के किसानों को गन्ने से अच्छी आमदन हो और पूरे प्रदेश में किसानों की और आमदन बढ़े । जहां तक शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की बात है जब यह शुगर मिल लगा था उस समय अगर यह क्षमता ठीक सोच कर बनाई होती तो आज मैं समझता हूं कि उससे किसानों की आमदन और बढ़ती । यह मेरा निवेदन है ।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीते वर्ष यह पलवल शुगर मिल 27.11.2016 को चली थी और 29.05.2017 तक यह मिल चली । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मार्च के महीने में गन्ने की फसल में जो वजन रहता है क्या वह वजन मई के महीने में रह सकता है? मई के महीने में गन्ने की फसल के वजन में 33–40 प्रतिशत की कमी आ जाती है । जिससे किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल की बजाए बाहर जूस वालों को बेचना पड़ता है। बाहर बट्टे खाते लगाना पड़ा और यह मिल 6 महीने के अन्तराल में 23 दिन तक बन्द रही । जहां तक इस मिल ने 28 लाख 83 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई की उसके बावजूद भी 4 हजार क्विंटल गन्ना बाकी रह गया । अब की बार किसानों ने करीब 4 लाख क्विंटल गन्ना अतिरिक्त बोया है जिससे हम यह मानकर चल सकते हैं कि अब की बार पलवल शुगर मिल के किसानों ने 37 लाख से लेकर 40 लाख क्विंटल तक गन्ने का उत्पादन किया है । अगर इसी प्रकार से यह शुगर मिल चलेगी जोकि 3 नवम्बर से 3 मई तक चलती है तो ज्यादा से ज्यादा यह शुगर मिल 28 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई कर सकती है। हमें यह भी मालूम है कि इस शुगर मिल के पार्ट इतने कमजोर हो गये हैं जिससे अब की बार तो वह शुगर मिल 23 दिन तक बन्द रही और आगे आने वाले समय में यह 33 दिन भी बन्द रह सकती है क्योंकि इसमें तकनिकी खामियां बहुत हैं । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारा पलवल जिला पूरी तरह से शुगर मिल पर डिपेंड है इसलिये इस शुगर मिल को अपग्रेड किया जाए और इसकी क्षमता बढ़ाई जाए । वहां का किसान इतना मेहनती है कि उसको इस शुगर मिल से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी अभी यहां सदन से उठ कर बाहर चले गये हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले उन्हीं की सरकार ने इस शुगर मिल का बेड़ा गर्क किया था । अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि हमारे पलवल जिले में स्थित चीनी मिल की क्षमता को बढ़ाने की किसानों की मांग को माना जाये अन्यथा जैसाकि हमारे बुजुर्ग भी समझते हैं और कहते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी हैं, हम भी इस बात को मानने को मजबूर हो जायेंगे। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस मामले में कोई सकारात्मक जवाब अपने उत्तर में अवश्य दें।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र ने किसान विरोधी सरकार नामक एक शब्द का प्रयोग किया। इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य को बताना

चाहूंगा कि अगर वह हमारी सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल में गन्ना किसानों को दी गई पमेंट का आंकड़ा देखें तो पायेंगे कि हमारी सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में 1088 करोड़ रूपया अर्थात लगभग 1100 करोड़ रूपये किसानों को गन्ने की पेमेंट के रूप में देने का काम किया है जबकि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में केवल 500 करोड़ रूपये गन्ने की पेमेंट का देने का काम किया गया था। इन आंकड़ों को देखकर माननीय सदस्य स्वयं ही जान गए होंगे कि किसान विरोधी सरकार कौन सी है? यहीं नहीं यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको गन्ने की पेमेंट संबंधी पूरी डिटेल अलग से भी दे सकता हूँ। हरियाणा प्रदेश में दस शुगर मिल्ज हैं और एक हैफेड है जिनके माध्यम से यद्यपि प्रदेश के किसानों को अच्छी आमदन मिल रही है लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि आज प्रदेश के शुगर मिल्ज पर 2200 करोड़ रूपये का कर्ज चढ़ा हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि प्रदेश की चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जाये, के आधार पर नित नई योजनाएं बना रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश की चीनी की मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके जिससे आने वाले समय में प्रदेश में पैदा होने वाला पूरा गन्ना इन मिलों में प्रयोग हो सके अर्थात प्रदेश के सभी चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने की सरकार की चिंता बराबर बनी हुई है और निकट भविष्य में इसके बेहतर परिणाम देखने को भी मिलेंगे।

श्री केहर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब फिर से 9–10 लाख क्विंटल गन्ने का उत्पादन हो जायेगा और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से किसानों के समक्ष गन्ना उठान की समस्या आने वाली है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को गन्ना उठान के लिए व्यापक इंतजाम करने चाहिए और गन्ना उठान के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जानी जाये ताकि गन्ना उत्पादक किसानों का गन्ना प्रदेश की दूसरी मिलों में भी भेजा जा सके। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस विषय पर गहराई से संज्ञान लेंगे और गन्ना किसानों की समस्या को सुलझाने में पूरी मदद करेंगे।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः स्पीकर सर, पिछली सरकारों के कार्यकाल में शुगर मिल्ज अमूमन दिसम्बर माह में चला करती थीं लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में शुगर मिल्ज को नवम्बर माह में 15–20 दिन पहले चालू कर दिया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि 7 नवम्बर से पहले–पहले सभी गन्ना उत्पादक किसानों के

सारे गन्ने का उनके खेत से उठान होकर मिल में आ जाये और संभावना है कि 31 अप्रैल तक किसान के खेत से सारा गन्न मिल्ज में आ जायेगा।

श्री टेक चंन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा गन्ना पलवल जिले की पृथला विधान सभा क्षेत्र में होता है और अब की बार तो मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र में गन्ने का डबल उत्पादन हुआ है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को भी शायद इस बात की पूरी जानकारी है। इसके अतिरिक्त मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र में चावल की भी खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। इन सबकी वजह से हमारे यहां पर पानी की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है और पानी का स्तर दिन–प्रतिदिन बड़ी तेजी के साथ गिरता जा रहा है लेकिन इसके बावजूद यहां पर गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि माननीय मंत्री जी की तरफ से चीनी मिलों की एक्सपैंशन या यूं कहें कि चीनी मिल्ज की क्षमता डबल करने का स्पष्ट आश्वासन मिल जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रदेश की चीनी मिल्ज कभी खाली नहीं रहने वाली हैं।

श्री रवीन्द्र मछरौलीः अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जिला पानीपत में आए थे और मैं भी उनके साथ था और उन्होंने वहां पर एक नए शुगर मिल का उद्धाटन किया था जोकि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस नए शुगर मिल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं भी पानीपत जिले से संबंधित हूँ इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से शुगर मिल से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पानीपत की शुगर मिल के शिफिटंग करने की बात कही गई थी, इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह शुगर मिल कब तक शिफ्ट हो जायेगी और इसके साथ ही एक दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि पानीपत जिले में पैदा होने वाले लगभग 12 लाख टन क्विंटल गन्ने को दूसरी शुगर मिल्ज में भेजना पड़ता है और विशेषकर कुछ गन्ना असंध की शुगर मिल में जाता है। इस संदर्भ में कुछ किसान माननीय मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, जिनका कहना है कि यदि असंध शुगर मिल में भी सरकार द्वारा एक अलग से काटा लगा दिया जाये तो इन गन्ना उत्पादन किसानों को बहुत सहूलियत होगी लेकिन इस सिलसिले में

माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई उचित जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के किसानों की इस समस्या की तरफ वे उचित संज्ञान लें ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गन्ने से संबंधित विषय पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है कि अगर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है तो निःसंदेह शुगर मिल्ज की क्षमता बढ़ा दी जायेगी। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसाकि सब जानते हैं कि लाडवा विधान सभा क्षेत्र में गन्ने का भरपूर उत्पादन होता है और यही नहीं शाहबाद शुगर मिल भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है तो ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या शाहबाद शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने का भी कोई आश्वासन मंत्री जी देंगे?

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान गन्ने के विषय जोकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के बहाव की वजह से कभी–कभी मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ खेत कटकर उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी इसी बहाव की वजह से उत्तर प्रदेश की तरफ के खेत मेरे विधान सभा क्षेत्र में आ जाते हैं। अबकि बार कुछ ऐसी ही परिस्थिति हो जाने की वजह से जिला यमुनानगर में गन्ने का भरपूर उत्पादन हुआ है। अतः ऐसी सूरत में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बार गन्ना उत्पादन किसानों से भरवाये जाने वाले बाँड में क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जाये।

हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों के अधिवक्ता का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, आज हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों से लगभग 90 वकील साहेबान हरियाणा विधान सभा सत्र की कार्यवाही को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से उन सभी का यहां पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब हैं। इस संदर्भ में मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट आदेश है कि प्रदेश की सभी शुगर मिल्ज तथा हैफेड शुगर मिल्ज की कैपेसिटी को बढ़ाया जाये। जैसाकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि प्रदेश की शुगर मिल्ज पर 2200 करोड़ रूपये का कर्ज है लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को मानते हुए तथा कर्ज की समस्या को एक तरफ रखते हुए हमने पानीपत, करनाल तथा सोनीपत शुगर मिल्ज की कैपेसिटी बढ़ाने के आदेश दिए है और आने वाले समय में जैसे–जैसे साधन सुलभ होते रहेंगे प्रदेश की सभी 10 शुगर मिल्ज की कैपेसिटी बढ़ाई जायेगी और निःसंदेह असंध शुगर मिल भी उनमें शामिल होगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक बात अवश्य लाना चाहूंगा कि हमारे इलाके में जो शुगर मिल लगी हुई थी वह बंद कर दी गई है और उसे वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। उस एरिया में आज के दिन लगभग 8 लाख क्विंटल गन्ना पैदा किया जाता है और वह गन्ना या तो महम की शुगर मिल या फिर जीन्द की शुगर मिल में जाता है लेकिन इन दोनों ही शुगर मिल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वे बाहर का गन्ना ले सकें। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां का जो गन्ना पैदा करने वाला किसान है उसका गन्ना कौन–सी शुगर मिल में जाएगा और कौन उसको लेने का काम करेगा । यह उस एरिया का एक सीरियस इशू है ।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष जी, सम्मानित विपक्ष के नेता ने गन्ने का विषय हाउस में उठाया है । हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए काफी चिंतित है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इनके एरिया के किसानों के नजदीक जीन्द या महम की जो भी शुगर मिल नजदीक लगती होगी उसमें किसान के गन्ने को लिया जाएगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही मिलें ऑलरेडी क्राउडिड हैं । इनमें पहले ही काफी गन्ना आता है और ये इससे ज्यादा गन्ना नहीं खपा सकती । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि ये हमारे एरिया के गन्ने को कहां और किस मिल में ले जाकर खपाएंगे ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष जी, इस साल पूरे हरियाणा में लगभग 8 करोड़ क्विंटल गन्ना पैदा होने की संभावना है और हमने सारे गन्ने की अच्छी तरह से खरीद करने की प्लानिंग कर ली है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी ने बाजरे की खरीद की जैसी प्लानिंग की थी क्या गन्ने की खरीद करने की भी वैसी ही प्लानिंग की है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जब बाजरे के विषय पर बात हो तो आप बाजरे की बात करना । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम किसान की फसल का एक–एक दान खरीदते हैं और अब तक हमने 19 हजार क्विंटल बाजरे की खरीद कर ली है, इसलिए हमें इनकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। हमने गन्ने की खरीद की बेस्ट प्लानिंग की है, इसलिए ये चिंता न करें । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, ये मण्डियों में जाकर किसानों को गुमराह करते हैं और ये वे लोग हैं जो किसानों को मण्डियों में जाकर झूठा आश्वासन देते हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में ओम प्रकाश धनखड़ जी से बड़ा * कोई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस अपमानजनक शब्द को सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, हम झूठ की राजनीति चलने नहीं देंगे । (विघ्न) अब राजनीति तथ्यों पर चलेगी, इंस्टाग्राम पर चलेगी, आंकड़ों पर चलेगी । अध्यक्ष महोदय, किसान के नाम की * नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) राजनीति हमेशा तथ्यों पर चलती है। जो किसानों के नाम लेकर *बोलते हैं उनको नहीं बोलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो अपमान जनक शब्द बोले गए हैं उनको रिकॉर्ड न किया जाए।

.....

*** चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।**

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा *तो मंत्री जी बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि कोई मंत्री किसी भी बात का जवाब दे सकता है। यदि कोई माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछता है तो संबंधित मंत्री ही नहीं बल्कि कोई भी मंत्री माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे सकता है। हाउस में ऐसी कोई भी परम्परा नहीं है कि केवल एक ही मंत्री प्रश्न का जवाब देगा। अन्य मंत्री भी अपनी बात और विचार रख सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो * शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, * शब्द को रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Re-Construction of Road

***2057. Sh. Om Prakash Barwa**: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Village Dhani Silawali to Rajasthan border in Siwani Block of Loharu Constituency has been completely damaged ; if so, the time by which it is likely to be reconstructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान् जी, इस अधुरी सड़क को 31.03.2018 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

.....

.....

*** चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।**

Construction of Medical College

***2063 Dr. Hari Chand Middha**: Will the Health Minister be pleased to state the status of construction work of the proposed Medical College in Jind city togetherwith the total amount proposed to be spent on it during the financial year 2017-18?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, विवरण समूह के समक्ष है।

इस परियोजना का नीव पत्थर दिनांक 11.09.2016 को रखा गया था। इस प्रस्तावित मैडीकल कालेज को जीन्द में स्थापित करनें के लिए कन्सैप्ट प्लान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना पत्र क्रमांक 18/72/2017–2एच बी–प्ट दिनांक 08.06.2017 द्वारा एक उच्च स्तररीय समिति गठित की गई है यह कमेटी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की सभी परियोंजनाओं को लागू/बनवाने के लिए अधिसूचित की गई है। यह कमेटी टैन्डर के माध्यम से सी0पी0एस0यू0 से एक्सप्रेशन आफ इन्टरैस्ट/ बिड आमन्त्रित करेगी। सी0पी0एस0यू0 अजैन्सी चयनित हो जानें के उपरान्त इस मैडीकल कालेज का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

वित्तिय वर्ष 2017–18 में जीन्द में चिकित्सा कॉलेज बनवाने के लिए 25.00 करोड रू0 की व्यवस्था बजट में की गई है । श्री जे0 पी0 नड्डा, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से पत्र क्रमांक सी0एम0एम0 2016/7412 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि जीन्द चिकित्सा कॉलेज के केस को केन्द्रीय स्पोंन्सरड़ स्कीम के फेस.प्प के अधीन शामिल किया जाए।

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जीन्द में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हालात बड़े खराब हैं। मरीज अपना ईलाज करवाने के लिए दिल्ली, चण्डीगढ़, रोहतक आदि जगहों पर जाते हैं, इसलिए जीन्द में मेडिकल कॉलेज बनवाया जाये।

श्री परमेन्दर सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, जीन्द में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सदन के पटल पर आई है। क्या माननीय मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पूरे होंगे? आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी

अस्पताल में डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं तो फिर जीन्द मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स कहाँ से आयेंगे? मात्र मेडिकल अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री जी यह भी आश्वासन दें कि मेडिकल अस्पताल की स्थापना के साथ–साथ मेडिकल अस्पताल में स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जुलाना अस्पताल में क्या डॉक्टरर्स की भी व्यवस्था की जायेंगी ?

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण डॉक्टर्स की संख्या 126 होनी चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने डॉक्टर्स की कमी के बारे में प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई अस्पताल खोला जाता है तो डॉक्टर्स की व्यवस्था होगी तभी उसके बाद ही आगे काम चलेगा। क्योंकि डॉक्टर्स की कमी के कारण अस्पताल नहीं चलता है। बल्कि डॉक्टर्स न हो तो आई.एम.ए. ही इसको पास नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, जहां भी डॉक्टरों की कमी हुई है हमने वहां पर डॉक्टरों को लगाया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे माननीय विधायक मिड्ढा जी कह रहे थे, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने अभी 554 डाक्टरों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति–पत्र जारी किये है और जहां तक मुझे अनुमान है कि अब हरियाणा में ऐसा कोई भी पी.एच.सी. और सी.एच.सी. नहीं होगा, जहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि उन पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में नए डॉक्टर ज्वाइन भी कर रहे हैं। (विघ्न)

प्रो. रविंद्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः रविंद्र जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप पहले उनकी बात को अच्छी तरह से सुन लें।

प्रो. रविंद्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः रविंद्र जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने 554 डाक्टरों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं और वे ज्वाइन भी कर रहे हैं और उनके ज्वाइन करने में अभी 1 या 2 महीने का टाईम लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर उसके बाद भी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वे मुझे बता सकते हैं।

प्रो. रविंद्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, *************

श्री अध्यक्षः रविंद्र जी, इस प्रश्न का यह विषय नहीं है इसलिए आप बैठें। अब जो कुछ भी यह बोल रहे है। उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

.....

Security to Non-Official persons

***2072 Sardar Jaswinder Singh Sandhu :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of non-official persons to whom the security has been provided, apart from the M.L.A's, M.P's and Government officers, in the state togetherwith their names, addresses alongwith the details of the security provided ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्री मान जी, सूचना सभा के पटल पर रखी जाती है ।

.....

***चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।**

सूचना

गैर–सरकारी व्यक्तियों जिनको सुरक्षा प्रदान की गई ।

क्रम संख्या	नाम	निवास स्थान	इकाई	सुरक्षा विवरण		
				अंगरक्षक	पायलट / अस्कोर्ट	सटेटीक –गार्द
1	श्री सुरेन्द्र गुप्ता, एम0डी0 डुनार फूड लि0 करनाल	निवासी मकान न0 2249,सैक्टर –7 करनाल	पंचम वाहिनी, ह0स0पु0	2	–	–
2	श्रीमति मोनिका रामदिया	निवासी कैना फार्म हाउस तोशाम, भिवानी	भिवानी	2	–	–
3	श्री पवन मस्ता	निवासी मस्ता–वाली गली, लोहड बाजार, शहर भिवानी	भिवानी	2	–	–
4	श्री पुनित मस्ता	निवासी मस्ता–वाली गली, लोहड बाजार, शहर भिवानी	भिवानी	2	–	–
5	श्री अमित पुत्र श्री रमेश गोयल	निवासी नीम चौक,शहर भिवानी	भिवानी	2	–	–
6	कैप्टन पवन अंचल	निवासी एम0सी0 कालोनी, भिवानी	भिवानी	1	–	–
7	श्री मुरारी लाल गुप्ता	निवासी सैक्टर –13, भिवानी	भिवानी	1	–	–
8	श्री रोहित पुत्र श्री रमेश गोयल	निवासी नीम चौक,शहर भिवानी	भिवानी	1	–	–
9	श्री विकास मितल	निवासी जैन चौक, शहर भिवानी	भिवानी ष	1	–	–
10	श्रीमति चन्द्रवती	पूर्व उप–राज्यपाल, रोहतक रोड,चरखी दादरी	दादरी	1	–	–
11	परिवार स्व0 जगदीश पहल	निवासी एम0सी0 कालोनी,चरखी दादरी	दादरी	2	–	–

12	श्री प्रीत सिह पुत्र श्री हजारी लाल	निवासी साहूवास ,दादरी	दादरीं	1	—	—
13	श्री सोमवीर सांगवान	निवासी एम0सी0 रोड लोहारू रोड, दादरी	दादरी	1	—	—
14	श्री अशोक कुमार	निवासी अशोक इन्कलेब, सराई, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
15	श्री दलीप पुत्र श्री स्व0 श्री के0पी0सिंह	निवासी 139, पर्वतीया कालोनी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
16	श्री गजेन्द्र सिहं	निवासी लकडपुर, सुरज कुण्ड,फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
17	श्री गुंजन लखानी	निवासी मकान न0 1278, सैक्टर—14, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
18	श्री के0सी0 लखानी	निवासी मकान न0 1278, सैक्टर—14, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
19	श्री महावीर सिहं बाल्मिकी	निवासी मकान न0415,ईस्टन चावला कालोनी , बल्लबगढ, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
20	श्री महेन्द्र प्रताप, पूर्वमन्त्री	निवासी मकान न0 2166, सैक्टर 49, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
21	श्री प्रहलाद शर्मा	निवासी मकान न0 576, सैक्टर 16/ए, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
22	श्री ऋषि पाल अम्बावता	निवासी मकान न019, सैक्टर 19, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
23	श्री रोहित सन्धु	निवासी मकान न0 37,सैक्टर 14, रोहतक	फरीदाबाद	1	—	—
24	श्रीमति संगीता बहरा पुत्री श्री दलीप बहरा	निवासी गली न0 3, पंचषील कालोनी, पार्ट 2, बंसत पुर, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
25	श्री सतीश उर्फ कालू	निवासी गांव बुदियाना, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—

26	श्री शलेन्द्र	निवासी गांव सिकरी,	फरीदाबाद	1	—	—
27	श्री वेदपाल पुत्र श्री दौलत सिहं	निवासी मकान न0 139,प्रवाईया कालोनी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
28	श्री सी0पी0गौड	निवासी मकान न0 407,सैक्टर 17, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
29	श्री शेखर दत्त, पूर्व राज्यपाल छतीसगढ	निवासी सी—805,केनबुड टावर, सुरजकुण्ड, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
30	श्री सुभाष शर्मा	निवासी मकान न0 584,सैक्टर 21/ए, एन0आई0टी0, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
31	श्री सुरेष गोयल पुत्र श्री पन्नालाल	निवासी 3ई/1 बंगला प्लाट, एन0आई0टी0, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
32	श्रीमति बिमलेष पत्नी श्री सुरेष पाल	निवासी दयाल पुर, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
33	श्री दीपक राठौर	निवासी ई0ब्लोक, मकान न084, न0आई0टी0,फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
34	श्री देष राज पुत्र श्री बाबू राम	निवासी मकान न0 68,दबुवा कालोनी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
35	श्री हाजी षाकीर अली	निवासी गांव अटाली, पुलिस थाना चैंसा, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
36	श्री जय चन्द पुत्र श्री लाल जी	निवासी गांव सुनपैड, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
37	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री डाल चन्द	निवासी गांव सुनपैड, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
38	श्री जीतू पुत्र श्री कंवर पाल सिहं	निवासी गांव व डाकघर सिकरी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
39	श्री पंकज पुत्र श्री बाबू राम	निवासी बी.407 दबुवा कालोनी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
40	श्री पवन कुमार पुत्र श्री करीयाल सिहं	निवासी दयाल पुर , फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—

41	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री हरीष चन्द	निवासी मकान न0464,सैक्टर 21, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
42	श्री पुतान बाबू पुत्र श्री दया ____	निवासी बी—711,	फरीदाबाद	1	—	—
43	श्री राजू पुत्र श्री ईतवारी	निवासी अटेली, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
44	श्री राकेष कौषिक पुत्र श्री त्रिमूर्ति	निवासी फरीदपुर,बुपानी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
45	श्री साबुदीन पुत्र श्री रोजदार	निवासी 1060, एस0जी0एम0 नगर, फरीदाबाद	फरीदाबाद	2	—	—
46	श्री संदीप पुत्र श्री रणबीर सिहं	निवासी बहादुर पुर, तिगांव, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
47	श्री षिवैन पुत्र श्री कर्मवीर यादव	निवासी 671, गली न0 5, आर्दष नगर, बल्लबगढ, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
48	श्री सुरेन्द्र सिहं पुत्र श्री धीर सिहं	निवासी महावत पुर, बुपानी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
49	श्री विकास मलिक	निवासी सैक्टर 21—डी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	1	—	—
50	श्री अषोक कुमार पुत्र श्री चरणजीत	निवासी वार्ड न0 12,टिब्बा बस्ती पतरान, पटियाला, पंजाब	फतेहाबाद	1	—	—
51	श्री हंसराज चौहान उर्फ हाकी पुत्र श्री बालू राम चौहान	निवासी वार्ड न0 2,बाजीगर मोहल्ला, टोहाना	फतेहाबाद	2	—	—
52	श्री मदन बंसल सम्पादक श्हरियाणा की गुंजश्श	निवासी अग्रवाल कालोनी, फतेहाबाद	फतेहाबाद	1	—	—
53	श्री पंकज बंसल पुत्र स्वः श्री सुरेष कुमार बंसल	निवासी ,खबरा कलां, पुलिस थाना भटू कलां, फतेहाबाद	फतेहाबाद	1	—	—
54	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाष	निवासी वार्ड न0 9, पतरान, पटियाला, पंजाब	फतेहाबाद	1	—	—
55	श्री आर0के0सेठी सम्पादक श्जन सरोकारश	निवासी जगजीवन पुरा, फतेहाबाद	फतेहाबाद	1	—	—

56	श्री रणधीर सिहं पुत्र श्री बलदेव सिंह	निवासी दुगल खुर्द, पतरान , पटियाला, पंजाब	फतेहाबाद	1	—	—
57	श्री अषोक प्रसाद भा0पु0से0 सेवानिवृत	निवासी मकान न023—बी,देवदार मार्ग,नजदीक कुतरूब प्लाजा, डी0एल0एफ0फेस—1,गुरूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
58	श्री अषोक सिहं, जौनापुरिया,एस0एस0गुप्र	निवासी प्लाट न077,सैक्टर —44,गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
59	डा0 अजीत गुप्ता	निवासी मकान न0 एल0ओ0—1 / 30, डी0एल0एफ0, फेस—2, गुरूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
60	श्री इन्द्रजीत मुखर्जी,श्रीमति सुगन्धा मुखर्जी, अहाना मूखर्जी	पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, निवासी गुरूग्राम	गुरूग्राम	3	—	—
61	श्री कंवर सिहं तंवर	निवासी आबाद,पी0—401,जे0एम0डी0 गार्डन, सोहना रोड.,गुरूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
62	श्री एम0 पी0 सिंह	निवासी ए0आर0 815 श्आरालीएसश सैक्टर 42, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
63	श्री ओ0 पी0 षर्मा , पूर्व राज्यपाल	निवासी मकान न0 390, सैक्टर 14, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	4
64	श्री ओम प्रकाष पुत्र श्री हरपाल	निवासी मकान न0 372, सैक्टर—1, मानेसर, गुरूग्रम	गुरूग्राम	2	—	—
65	श्री प्रदीप पुत्र श्री रति राम	निवासी गावं व डाकघर बेगमपुर खाटोला, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
66	श्री रंजीव दलाल भा0पू0से0 (सेवानिवृत डी0जी0पी0)	निवासी मकान न0 158, सैक्टर 17—ए, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
67	श्री राविन्द्र त्यागी	निवासी फलैट न0 214, बादषाहपुर, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—

68	श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया, पूर्व विधायक	निवासी जौनापुर, पुलिस थाना महरौली, दिल्ली	गुरूग्राम	2	—	—
69	श्री राम निवास भा0पू0से0 (सेवानिवृत डी0जी0पी0 छतीसगढ)	निवासी सैक्टर 56, गुरूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
70	श्री अनिल यादव	निवासी चक्करपुर , गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
71	श्री चरणी सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप तथा श्री कुलबीर पुत्र श्री सन्त राम	निवासी गावं बहरमपुर, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
72	परिवार स्वर्गीय श्री मुष्मी ईलयास पुत्र श्री दीन मोहम्मद	निवासी गावं दुनेला, पुलिस थाना भौडसी, ग्ररूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
73	श्री गजराज	निवासी रामगढ की ढाणी, पुलिस थाना बादषाहपुर, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
74	श्रीमति गीता पत्नी श्री प्यारे	निवासी गावं व डाकघर समसपुर, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
75	श्रीमति ज्योतस्ना भारद्वाज पुत्री श्री नरेष कुमार	निवासी मकान न0 सी–73, ग्राउड फलोर, आर्दी सिटी, पुलिस थाना सुषान्तलोक, ग्ररूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
76	श्रीमति मनीषा पत्नी श्री सुदर्षन	निवासी नाहरपुर रूपा, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
77	श्री मनोज कुमार	निवासी गावं व डाकघर हयातपुर , गुरूग्राम	गुरूग्राम	3	—	—
78	श्री ओम प्रकाष कटारिया	निवासी मकान न0 402, सैक्टर 12, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
79	श्री रमेष कुमार पुत्र श्री रोहतास सिंह	निवासी मकान न0 1499/ए, सैक्टर 45, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
80	राव धर्मपाल पूर्व विधायक	निवासी मकान न0 568/18, षिवाजी नगर, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—

81	श्री सुरेन्द्र कुमार अधिसूचना कार्यकर्ता	निवासी मकान न0 43, सैक्टर 39, ग्ररूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
82	श्री सुरेन्द्र षर्मा पुत्र श्री सोहन लाल	निवासी सीता राम कालोनी, वार्ड न0 3, हेली मण्डी, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
83	श्री उमा षंकर	निवासी नगर पालिका, सिविल लाईन, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
84	श्री विजय मान पुत्र श्री राम मेहर	निवासी बी0—39, ओल्ड डी0एल0एफ., गुरूग्राम	गुरूग्राम	2	—	—
85	श्री विपिन कुमार (भा0पू0से0 सेवानिवृत)	निवासी मकान न0 1149, सैक्टर 43, गुरूग्राम	गुरूग्राम	1	—	—
86	श्री अमर लाल पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	2	—	—
87	श्री बीरभान पुत्र श्री मान सिंह	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
88	श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री सुबे सिंह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
89	श्रीमति कमला रानी पत्नी स्व0 श्री तारा चन्द बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	2	—	—
90	श्री प्रदीप पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	2	—	—
91	श्री राम प्रसाद गुज्जर	निवासी गावं सीसरपुल, हांसी	हांसी	1	—	—
92	श्री रविन्द्र पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	2	—	—
93	श्री सत्यावान पुत्र रोषल बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
94	श्री सुरेष पुत्र अभय सिंह	निवासी गावं लालपुरा, हांसी	हांसी	1	—	—
95	श्री अजमेर सिंह पुत्र दलबीर सिह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—

96	श्री अमर पुत्र सुरता राम बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
97	श्री अषोक पुत्र श्री महा सिंह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
98	श्री गुलाब सिंह पुत्र जय लाल बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
99	श्री कर्मबीर सिंह पुत्र बलबीर सिह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
100	श्री महाजन पुत्र श्री सतपाल बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
101	श्री मनोज पुत्र श्री महेन्द्र बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
102	श्री मीणा कुमार पुत्र श्री सतपाल बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
103	श्री नरेष कुमार पुत्र श्री राम कुमार बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
104	श्री राज कुमार पुत्र श्री बदना बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
105	श्री राजबीर पुत्र श्री बाजे सिंह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
106	श्री सन्दीप पुत्र श्री सतपाल बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
107	श्री सतबीर पुत्र श्री भाले राम बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
108	श्री सुरेष पुत्र श्री महेन्द्र सिंह बाल्मीकी	निवासी गावं मीर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
109	श्री सुशील पुत्र श्री सुरता बाल्मीकि	निवासी गाव मिर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—
110	श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री सुरत राम बाल्मीकि	निवासी गाव मिर्चपुर, हांसी	हांसी	1	—	—

111	श्री चत्तरपाल	पूर्व एम.एल.ए.निवासी घिराये, हिसार	हिसार	1	–	–
112	श्री मति जस्मा देवी पत्नी श्री स्र्वगीय पूर्व सी.एम.श्री भजन लाल	निवासी मकान न0 108, सैक्टर –15, हिसार	हिसार	1	–	–
113	श्री कृष्ण पुत्र श्री जय लाल	निवासी बालसमंद, हिसार	हिसार	1	–	–
114	श्री पृथ्वी गिरी माहान्त	निवासी बालक, हिसार	हिसार	2	–	–
115	श्री विजय	निवासी बालसमंद, हिसार	हिसार	1	–	–
116	श्री मति सबनम पिता श्री कृष्ण	निवासी डाबरा, हिसार	हिसार	1	–	–
117	श्री भव्य बिश्नोई पुत्र श्री कुलदीप बिश्नोई	निवासी मकान न0 108, सैक्टर –15, हिसार	हिसार	2	–	–
118	श्री हरी ओम पण्डित	निवासी मंगली,हिसार	हिसार	1	–	–
119	श्री ललित शर्मा	निवासी सन्त विहार कालोनी, हिसार	हिसार	2	–	–
120	श्री सम्पत सिंह	पूर्व एम.एल.ए., निवासी सैक्टर– 15, हिसार	हिसार	1	–	–
121	श्री कर्मबीर सैनी प्रधान बी. एस.पी.	निवासी वीर भवन, सफीदों, जीन्द	जीन्द	1	–	–
122	श्री अनील राठी पुत्र श्री रामबीर सिंह	निवासी राम गैस एजेन्सी झज्जर रोड पुलिस स्टेशन बहादुरगढ़, झज्जर	झज्जर	1	–	–
123	श्री मति बाला पत्नी श्री सतबीर	निवासी शास्त्री नगर बहादुरगढ़, झज्जर	झज्जर	1	–	–
124	श्री दीपक उर्फ चटवा पुत्र श्री रमेश	निवासी मन्दोति झज्जर	झज्जर	2	–	–
125	श्री धर्मबीर उर्फ धर्मी पुत्र श्री भरम दत्त	निवासी नया गांव, झज्जर	झज्जर	1	–	–
126	श्री महन्त देवेन्द्र दास	निवासी खेड़का गुज्जर, झज्जर	झज्जर	2	–	–
127	श्री राम भगत पुत्र श्री धर्मबीर सिंह	निवासी माजरी, झज्जर	झज्जर	1	–	–

128	श्री रणबीर उर्फ राजू उर्फ झण्डू पुत्र श्री भीम सिंह जाट	निवासी मन्डोठि, झज्जर	झज्जर	3	—	—
129	श्री रणबीर पुत्र श्री चांद राम	निवासी सुबाना, झज्जर	झज्जर	1	—	—
130	श्री रणबीर सिंह पुत्र श्री हुकम चन्द	निवासी कनोंदा, झज्जर	झज्जर	1	—	—
131	श्री समीर गहलौत	चैयरमैन ई0सी0ओ0 इण्डीयन बुलस,निवासी, गांव रोहट, सोनीपत	झज्जर	4	—	—
132	श्री समुन्द्र सहवाग	निवासी बहादुरगढ़, झज्जर	झज्जर	1	—	—
133	श्री मति सीमा पत्नी श्री सुरेन्द्र	निवासी गोयला कंला, झज्जर	झज्जर	1	—	—
134	श्री हातन सिंह	निवासी खेड़ी कुम्मार, झज्जर	झज्जर	3	—	—
135	श्री जोगिन्द्र सिंह	निवासी दुबलधान, झज्जर	झज्जर	1	—	—
136	श्रीमति मीरा देवी	निवासी कश्मीरी कलोनी सैक्टर —9, बहादुरगढ़, झज्जर	झज्जर	1	—	—
137	श्री हरमोहिन्द्र सिंह चटठा	निवासी पीपली —कुरूक्षेत्र रोड, कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	1	—	—
138	श्री जय भगवान शर्मा (डी0डी0) कुरूक्षेत्र	निवासी मकान न0 742, सैक्टर —13, कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	1	—	—
139	परिवार स्र्वगीय श्री जोगिन्द्र सिह पुत्र श्री अमर सिंह	निवासी खानपुर कोलिया कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	—	—	3
140	श्री मति बबीता संधु पत्नी स्र्वगीय श्री शेर सिंह	निवासी रिसलावा, करनाल	करनाल	1	—	—
141	श्री मति कमला देवी पत्नी श्री मेंहर सिंह	निवासी छपरा खेड़ा, करनाल	करनाल	1	—	—
142	श्री सुदांसु कल्याण पुत्र श्री राम कुमार कल्याण	निवासी मकान न0 2/14, अर्बन इस्टैट, करनाल	करनाल	1	—	—
143	श्रीमति तारा देवी	निवासी गांव पाड़ा, करनाल	करनाल	1	—	—

144	श्री वेद पाल	पूर्व डीप्टी स्पीकर हरियाणा, निवासी माडल टाउन करनाल	करनाल	2	—	—
145	श्री बलजीत नायक	निवासी कल्यात, कैथल	करनाल	2	—	—
146	श्री बृज गुप्ता	निवासी चौधरी कालोनी, करनाल	करनाल	1	—	—
147	श्री चांद पुत्र श्री गजे सिंह	निवासी बासतअली, करनाल	करनाल	1	—	—
148	श्री चन्द्र प्रकाश कथूरिया	निवासी सैक्टर —13, करनाल	करनाल	1	—	—
149	श्री धर्म पाल	निवासी गांव कालसी, पुलिस स्टेशन बुटाना, करनाल	करनाल	1	—	—
150	श्री गुरप्रीत सिंह विर्क	व्कील, निवासी घरौंडा, करनाल	करनाल	2	—	—
151	श्री कर्म सिंह	निवासी पयोंत, करनाल	करनाल	1	—	—
152	श्री महादेव गिरी	निवासी निगदू पिसताना, करनाल	करनाल	1	—	—
153	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम किशन	निवासी बसताली, करनाल	करनाल	2	—	—
154	श्री नरेन्द्र कौरे	निवासी बन्सा, करनाल	करनाल	1	—	—
155	श्री नरेन्द्र कुमार	निवासी मकान न0 40/3, पावर कलोनी, करनाल	करनाल	1	—	—
156	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री फूल सिह	निवासी अनजानथल, करनाल	करनाल	2	—	—
157	श्री राजेंन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह	निवासी कम्बोंपुरा, करनाल	करनाल	1	—	—
158	श्री राम सिंह सेवानिवृत जज	निवासी माडल टाउन, करनाल	करनाल	1	—	—
159	श्री एस0पी0 चौहान	निवासी सैक्टर —9, करनाल	करनाल	1	—	—
160	श्री सन्दीप उर्फ सन्जू	निवासी जानी , करनाल	करनाल	1	—	—
161	श्री शिव कुमार पुत्र श्री माया राम	निवासी विकास नगर, करनाल	करनाल	2	—	—
162	श्री सुभाष चन्द्र	निवासी राजीव कालोनी, करनाल	करनाल	1	—	—

163	श्री सन्नी पुत्र श्री ईश्वर सिह	निवासी ज्योति नगर, करनाल	करनाल	2	—	—
164	श्रीमति चन्द्रपति	निवासी करौरा, पुलिस स्टैशन, राजौन्द, कैथल	कैथल	3	6	—
165	श्री अशोक तंवर पूर्व एम0पी0	निवासी कोठी न0 1, सैक्टर —20, सिरसा	कैथल	4	—	—
166	श्री रघबीर सिह	निवासी मकान न0 466/11, आर्दश नगर, डाड रोड़, कैथल	कैथल	1	—	—
167	श्री माजाडुगरू रामान्दाचार्य स्वामी हंस देवाआचार्य जी महाराज	निवासी अटैली मंडी, महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	2	—	—
168	श्री बलेन्द्र सिंह	निवसी गांव मांडी, पुलिस स्टैशन सदर नारनौल ,महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1	—	—
169	श्री सुमेर सिंह	निवासी डालनवास, पुलिस स्टैशन सतनाली, महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1	—	—
170	श्री सुरेन्द्र कौशिक	निवासी हाल आबाद, आर्दश कालौनी, महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1	—	—
171	श्री ओंरगजेब, चैयरमेन हज कमेटी हरियाणा	निवासी बिछरोई नूह,	नूह	1	—	—
172	श्री भानी राम मंगला	चैयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा निवासी पुन्हाना, नूह	नूह	2	—	—
173	श्री आदित्य अवीनास कौशिक	निवासी मकान न0 106, जी0एच0—02 सीकर अर्पाटमेन्ट पंचकूला	पंचकूला	1	—	—
174	श्री कोहर सिंह	निवासी गांव वजीर पुर टिटना, पानीपत	पानीपत	2	—	—
175	श्री शिव कुमार पुत्र श्री अत्तर सिंह	निवासी गांव बराना, पानीपत	पानीपत	2	—	—
176	श्री विश्वास गुप्ता	थ्नवासी जी—106, सुशान्त रोयल, अन्सल टाउन, करनाल	पानीपत	2	—	—

177	1.श्री जय भगवान पुत्र श्री जगन्नाथ 2.श्री श्री भगवान पुत्र श्री जगन्नाथ	निवासी अथवाला, पानीपत	पानीपत	2	—	—
178	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल चावला	निवासी गांव सानोली खुर्द, पानीपत	पानीपत	—	—	3
179	श्री जय पाल सिंह	वकील निवासी चेम्बर न0 42, पानीपत	पानीपत	1	—	—
180	श्री अजीज अहमद	निवासी सुगरा ईमारत, अजी कोठी सेखपुरा, पलवल	पलवल	1	—	—
181	परिवार सदस्य श्री स्र्वगीय बजिन्द्र सिंह सरपंच	निवासी छपरौला, पलवल	पलवल	1	—	—
182	श्री अनील सिंघला	निवासी पैट मोहल्ला, पलवल	पलवल	1	—	—
183	श्री दावारका प्रसाद	निवासी बेड़ा पटी होडल, पलवल	पलवल	2	—	—
184	श्री डिपंल गुप्ता	निवासी तुहीराम कालोनी, पलवल	पलवल	1	—	—
185	श्री अजय सिंह यादव	निवासी मकान न0 315—एल, माडल टाउन, रेवाड़ी	रेवाड़ी	2	—	—
186	श्री बोबी	निवासी पदपादगंज दिल्ली	रेवाड़ी	1	—	—
187	श्री धनबीर सिंह	निवासी कोटपुतली जयपुर राजस्थान	रेवाड़ी	1	—	—
188	श्री मनोज कुमार विश्कर्मा	निवासी काटमंडी, रेवाड़ी	रेवाड़ी	1	—	—
189	श्री ष्षमशेर सिंह	निवासी गंगायाचा अहीर, रेवाड़ी	रेवाड़ी	1	—	—
190	श्री सुरेन्द्र सिंह	निवासी गांव सोंती,तहसील खरखौदा, सोनीपत	रेवाड़ी	1	—	—
191	श्री बी0 बी0 बतरा पूर्व एम0एल0ए0 रोहतक	निवासी शक्ति नगर, रोहतक	रोहतक	1	—	—
192	श्री चौधरी लखमी राम अनाथलय, रोहतक	निवासी नजदीक दयान्द मठ, गोहाना अडडा, रोहतक	रोहतक	1	—	—
193	परिवार श्री राजेश उर्फ पूरू	निवासी करोर, रोहतक	रोहतक	2	—	—

194	श्री गोपाल वर्मा	निवासी माडल टाउन, रोहतक	रोहतक	1	—	—
195	श्री गुलशन गुगनानी	निवासी ग्रीन रोड, रोहतक	रोहतक	1	—	—
196	श्री गुलशन खटट्र	निवासी बनीयानी, रोहतक	रोहतक	2	—	—
197	श्री जय कुमार पुत्र स्वःश्री कृष्ण	निवासी करोर, फोजी ढाबा, एन0एच0—10, रोहतक	रोहतक	2	—	—
198	श्री जैमल पुत्र श्री राज कुमार	निवासी मोखराखेड़ी, रोहतक	रोहतक	1	—	—
199	श्री जोगिन्द्र कोच पुत्र श्री ओम प्रकाश	निवासी सापला, रोहतक	रोहतक	2	—	—
200	श्री कृष्ण छाबड़ा	निवासी बेन्सी, रोहतक	रोहतक	2	—	—
201	श्री कुलदीप डांगी	निवासी श्याम कालोनी, हिसार बाईपास, रोहतक	रोहतक	2	—	—
202	श्रीमति मनीष पुत्री श्री बलवान सिहं	निवासी मोखरा, रोहतक	रोहतक	1	—	—
203	श्री मन्जीत यादव	निवासी प्रेम नगर, रोहतक	रोहतक	1	—	—
204	श्री मति मूर्ति पत्नी स्वः महावीर	निवासी रिठाल, रोहतक	रोहतक	1	—	—
205	श्री नरेष मलिक ,पूर्व विधायक हसनगढ	निवासी सांपला ,रोहतक	रोहतक	1	—	—
206	श्री नवीन ढूल	निवासी भगवती पूर, रोहतक	रोहतक	2	—	—
207	श्रीमति निर्मला पत्नी स्वः सत्यवीर	निवासी ईस्माईला, थाना सांपला , रोहतक	रोहतक	3	—	—
208	श्री नीतिन पुत्र श्री अषोक उर्फ काका	निवासी माडल टाउन, रोहतक	रोहतक	1	—	—
209	श्री राज पाल षरण	निवासी सैक्टर 14, रोहतक	रोहतक	1	—	—
210	श्री राजू डांगी	निवासी ष्याम कालोनी, हिसार बाई पास, हिसार	रोहतक	1	—	—
211	श्री रमेष	निवासी भारण, पुलिस थाना महम, रोहतक	रोहतक	1	—	—

212	श्री रमेष	निवासी बोहर, रोहतक	रोहतक	1	—	—
213	श्री रमेष विज	निवासी सोनीपत रोड, रोहतक	रोहतक	2	—	—
214	श्री रविन्द्र यादव पुत्र श्री साधु राम	निवासी षास्त्री नगर, रोहतक	रोहतक	1	—	—
215	श्री रोहित सिन्धु, भतीजा वित मन्त्री हरियाणा	निवासी सैक्टर 14 रोहतक	रोहतक	3	—	—
216	श्री सन्दीप पुत्र श्री भगवान	निवासी नया बांस, पुलिस थाना सापला, रोहतक	रोहतक	1	—	—
217	श्री सतीष हुडडा	निवासी किलोई , रोहतक	रोहतक	2	—	—
218	श्री सतीष कुमार	निवासी भालोट , रोहतक	रोहतक	1	—	—
219	श्री सीता राम	निवासी बसाना, रोहतक	रोहतक	1	—	—
220	श्री भगवान पुत्र श्री रती राम	निवासी नया बांस, पुलिस थाना सापला, रोहतक	रोहतक	1	—	—
221	श्री सुभाष पुत्र श्री प्रताप	निवासी नया बांस, पुलिस थाना सापला, रोहतक	रोहतक	1	—	—
222	श्रीमति सुदेष पत्नी श्री कुलदीप	निवासी कारोर, पुलिस थाना सापला, रोहतक	रोहतक	1	—	—
223	श्री सुधीर गुप्ता	निवासी गुलाब रेवडी वाला, सीला बाई पास, रोहतक	रोहतक	1	—	—
224	श्री तारीफ नांदल पुत्र श्री मेद सिंह	निवासी बोहर, रोहतक	रोहतक	—	—	5
225	श्री विकास पुत्र श्री बनी सिंह	निवासी मैना, रोहतक	रोहतक	1	—	—
226	श्री अंकित पुत्र श्री बिजेन्द्र	निवासी रिठाल, रोहतक	रोहतक	—	—	5
227	भारतीय जनता पार्टी कार्यालय	हुडडा कैम्पलैक्स, रोहतक	रोहतक	—	—	5
228	गार्द चेरवोलेट एजेन्सी	बोहर, रोहतक	रोहतक	—	—	3
229	हरी भूमि प्रैस	चुलियाना, रोहतक	रोहतक	—	—	3
230	इन्डस पब्लिक स्कूल रोहतक	दिल्ली रोड, रोहतक	रोहतक	—	—	3

231	श्री ईष्वर पुत्र श्री भोला राम	निवासी कुलटाना, रोहतक	रोहतक	1	—	—
232	श्री जगमोहन मितल	निवासी सोनीपत रोड, रोहतक	रोहतक	1	—	—
233	श्री महेष वर्मा पुत्र श्री अषोक उर्फ काका	निवासी माडल टाउन, रोहतक	रोहतक	1	—	—
234	श्री राज कुमार वर्मा पुत्र श्री अषोक उर्फ काका	निवासी माडल टाउन, रोहतक	रोहतक	1	—	—
235	श्री राजबीर सैनी एम0सी0 वार्ड न01	निवासी इन्दिरा कालोनी, रोहतक	रोहतक	1	—	—
236	श्री सुधीर चेयरमैन, नगर पालिका	निवासी सांपला, रोहतक	रोहतक	1	—	—
237	श्रीमति गुडडी पत्नी श्री बलजीत	निवासी बुटाना, पुलिस थाना बरौदा, रोहतक	सोनीपत	1	—	—
238	श्री रामफल पुत्र श्री टेक चन्द जाट	निवासी कासंडी, पुलिस थाना सदर गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
239	श्री अनील सरपंच	निवासी सिरसाद, थाना सदर गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
240	श्रीमति चांद कौर	निवासी सरपंच, पंछी जटटान, पुलिस थाना गन्नौर, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
241	श्री चान्द रूप पुत्र श्री सुरेष	निवासी रायपुर , पुलिस थाना सदर सोनीपत, सोनीपत	सोनीपत	3	—	3
242	श्री धनराज पुत्र श्री दया नन्द जाति जाट	निवासी मुडलाना, वर्तमान गांधी नगर, गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
243	डा0 सांगवान	निवासी ष्षास्त्री कालोनी , गली न0 2, सिटी सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
244	श्री गौरव चौहान सरपंच	निवासी जाखोली , पुलिस थाना राई, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
245	श्री हवा सिंह	निवासी साबोली, पुलिस थाना, कुण्डली, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
246	श्री जगदीष	निवासी सेरसा, थाना कुण्डली, सोनीपत	सोनीपत	पी0सी0 आर.—8	—	—
247	श्री जयदीप पुत्र श्री हुकम	निवासी पंछी जटटान, पुलिस	सोनीपत	2	—	—

	सिंह	थाना गन्नौर, सोनीपत				
248	श्री जितेन्द्र उर्फ सीटू पुत्र श्री बलदेव	निवासी भैंसवान कलां, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
249	श्री केतू पुत्र विरेन्द्र	निवासी भैंसवान कलां, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
250	श्री मोहन लाल	थ्नवासी बडौली, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
251	श्री नवीन एडवोकेट	निवासी बाल्मीकी बस्ती, पुरखास स्टैण्ड, सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
252	श्री प्रदीप पुत्र श्री गणेष	निवासी कुणाना, पुलिस थाना मोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
253	श्री फूल कंवर पुत्र श्री ईष्वर	निवासी अहूलाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
254	श्रीमति पिन्की पत्नी अनील	निवासी मोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
255	श्री पूर्ण भगत पुत्र श्री सुखबीर	निवासी रथदाना पुलिस थाना सदर सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
256	श्री राम कुमार पुत्र श्री बागसे	निवासी पंछी , पुलिस थाना गन्नौर, सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
257	श्री रामफल	निवासी आर्दष नगर, सिटी गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
258	श्री रणधीर पुत्र श्री नन्द लाल	निवासी खेडीदमकान, पुलिस थाना सदर गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
259	श्री सतबीर पुत्र श्री जीत सिंह	निवासी गढवाल, पुलिस थाना बरौदा, सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
260	श्री सतपाल पुत्र श्री भरत सिंह	निवासी नाकिलोई, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
261	श्रीमति ष्षकुन्तला पुत्री श्री राम फल	निवासी रूखी, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
262	श्री षोभ राम पुत्र श्री ईष्वर	निवासी गोरर, सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
263	श्री सुनील उर्फ षीला पुत्र श्री दलबीर	निवासी गुम्मर ,पुलिस थाना गन्नौर, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—

264	श्री सुनील उर्फ सोनू पुत्र श्री फतेह सिंह	निवासी बरौदा रोड,गन्नौर पुलिस थाना सिटी गोहाना, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
265	श्री सुरज पुत्र श्री सुरेष	निवासी वार्ड न0 9, खरखौदा, सोनीपत	सोनीपत	2	—	—
266	श्री सुरेन्द्र पंवार	निवासी कोठी न0 26—27, सैक्टर 15 सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
267	श्री सुरेन्द्र मलिक एडवोकेट	निवासी कोठी न. 1721, सैक्टर 23, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
268	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री महा सिंह	निवासी पंछी जटटान, पुलिस थाना गन्नौर, सोनीपत	सोनीपत	1	—	—
269	श्री गुरदास सिंह	निवासी सुखसागर कालोनी, सिरसा	सिरसा	1	—	—
270	श्री जसबीर सिह रियाड	निवासी बाजेखान, सिरसा	सिरसा	1	—	—
271	नामधारी सतगुरू ठाकूर दलीप सिंह	निवासी जीवन नगर, सिरसा	सिरसा	2	—	—
272	प्रो0 गणेषी लाल	पूर्व मन्त्री, निवासी बांसल कालोनी, सिरसा	सिरसा	1	—	—
273	श्री रंजीत सिंह	पूर्व सांसद, निवासी ए0डी0सी0 कालोनी, सिरसा	सिरसा	1	—	—
274	श्रीमति विधा बैनीवाल, पूर्व विधायिका	निवासी बैनीवाल हाउस, विपरीत तहसील कार्यालय, सिरसा	सिरसा	1	—	—
275	श्री ओम प्रकाष चौटाला, (वाई कैटेगीरी) पूर्व मुख्य मन्त्री	निवासी तेजाखेडा फार्म हाउस, सिरसा	सिरसा	3	—	5
276	सपना सेठी	निवासी हाउसिंग बोर्ड, सिरसा	सिरसा	—	—	3
277	श्री अषुल छत्रपति	निवासी ओल्ड हाउसिग बोर्ड कालोनी, सिरसा	सिरसा	1	—	—
278	श्री दमन छत्रपति	निवासी ओल्ड हाउसिग बोर्ड कालोनी, सिरसा	सिरसा	1	—	—

279	श्रीमति सविन्द्र विधवा श्री हरदेव सिंह जी महाराज	निवासी निरंकारी कैम्पलैक्स, निरंकारी चौक दिल्ली।	सिरसा	2	—	—
280	श्री लाभ सिंह	निवासी लक्कड वाली, सिरसा	सिरसा	1	—	—
281	श्री राम कुमार बिष्नोई	निवासी गंगा, पुलिस थाना सदर डबवाली	सिरसा	2	—	—
282	श्री दिलबाग सिंह पूर्व विधायक	निवासी मकान न0 410, फ्रैन्डस कालोनी,आई0टी0आई0 रोड, यमुना नगर	यमुनानगर	1	—	—
283	श्री सुरेष कुमार	निवासी मकान न0 1019/ए स्वर्णपूरी, जगाधरी, यमुनानगर	यमुनानगर	1	—	—
284	श्री राजेन्द्र सिंह	निवासी मकान न0 410, फ्रैन्डस कालोनी,आई0टी0आई0 रोड, यमुना नगर	यमुनानगर	1	—	—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक सरदार जसविंदर सिंह संधू जी को इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूगा कि इन्होंने जो सूची मांगी है, वह भारत सरकार की रिकमेंडेशन और हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशन से ऐसे 284 लोगों की सूची है, जिसे मैंने सदन के पटल पर रख दिया है।

सरदार जसविंद्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने अभी बताया कि 284 ऐसे लोग हैं जिन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से सिक्योरिटी प्रदान की गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में पॉलिसी और क्राइटेरिया क्या है? साथ–ही–साथ यह भी बताएं कि क्या इनकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हरियाणा राज्य से दूसरे सूबों में जाकर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और उन्हें आलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है ? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन्होंने इसके लिए कौन–सी पॉलिसी बनाई है ?

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा कि जहां तक सिक्योरिटी थ्रैट देने की बात है तो कुछ लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए केन्द्र से हमारी हरियाणा पुलिस के पास कुछ हिदायतें आती हैं। जैसे सुरेन्द्र गुप्ता, एम.डी., डोनार फूड लिमिटेड, करनाल से इनको थ्रैट

मिली थी। इसी प्रकार आदरणीय बहन चंद्रावती जी हैं, जो पूर्व उप–राज्यपाल हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। इसी प्रकार से भिवानी के पुनित–मसता, पवन–मसता, इनके पिता रमेश मसता जो नगरपालिका भिवानी के चेयरमैन थे और उन्हें गोली से मार दिया गया था, इनके परिवार वालों को लगातार थ्रैट मिल रही थी इसलिए इस परिवार को सिक्योरिटी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, अमित, पुत्र श्री रमेश गोयल जिनकी घर में आकर हत्या की गई थी, उनको सिक्योरिटी दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस का जो सी.आई.डी. विभाग है वह लगातार उन सूचनाओं को इन्टरसैप्ट करता रहता है। जैसे भिवानी के श्री मुरारी लाल गुप्ता, श्री विकास मित्तल, आदरणीय बहन चंद्रावती जी, स्वर्गीय जगदीश पहल जी, श्री सोमवीर सांगवान जी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 284 लोगों की जो लिस्ट है उसमें तीन तरह की कैटेगरीज बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि कुछ वी.आई.पीज ऐसे हैं जिनको हमने एस्कॉट पाइलेट भी दी गई है, जिनमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल रहे हैं। भारत सरकार से जो सूचनाएं हरियाणा में रहने वाले वी.आई.पीज के बारे में मिलती हैं, उन लोगों को हमने सिक्योरिटी प्रदान की है और हमारे हरियाणा की जो अपनी सी.आई.डी. टीम है, उससे जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर हमने सभी को सिक्योरिटी प्रदान की है।

सरदार जसविंन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 284 लोगों की लिस्ट बताई है जिनको सी.आई.डी. की रिपोर्ट आने के बाद सिक्योरिटी दी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं । वे चार बार विधायक रहे हैं । वे मंत्री भी रहे हैं और विधान सभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं । हमारी पार्टी ने उनकी सिक्योरिटी की मांग के लिए इसी सरकार में एप्लीकेशन दी थी लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है । सरकार के जो चहेते लोग हैं उनको तुरंत सिक्योरिटी दे दी जाती है । जो आर.एस.एस. के लोग हैं उनको सरकार तुरंत सिक्योरिटी दे देती है । मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से श्री जय भगवान शर्मा ने चुनाव लड़ा था जो हार गया । उसको भी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी हुई है। ऐसी कौन सी सी.आई.डी. की रिपोर्ट आई कि जो आदमी कभी पंच या सरपंच नहीं बना उसको सिक्योरिटी दे दी गई । उनको किस तरह

का खतरा था । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसको किस आधार पर सिक्योरिटी दी गई है ? सरकार अपने मनचाहे लोगों को सिक्योरिटी दे रही है ।

श्री पवन कुमार सैनी : अध्यक्ष महोदय, वह सरपंच भी रहा है और मंडी का प्रधान भी रहा है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, अगर एक एक्स सरपंच को भी सिक्योरिटी दी जा रही है तो फिर सरकार पूरे प्रदेश के सरपंचों को भी सिक्योरिटी दे दे । अध्यक्ष महोदय, श्री अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे मैंबर पार्लियामैंट भी रहे हैं उन्हें भी सिक्योरिटी दे रखी है लेकिन हमारी इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरदार जसविन्द्र जी की चिंता जायज है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो 284 लोगों को सिक्योरिटी दी गई है इनमें आर. एस.एस. का कोई पैमाना नहीं रखा गया है । (विघ्न) श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को सिक्योरिटी देने के लिए हमारे पास चिट्ठी आई हुई है और उस पर विचार कर लिया गया है तथा जल्द ही उनको सिक्योरिटी प्रदान करने जा रहे हैं । ऐसा नहीं है कि हम चहेते लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं । चौधरी रणजीत सिंह पूर्व सांसद हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई है और आदरणीय बहन श्रीमती विद्या बेनीवाल जी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी जवाब दे दें कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को सिक्योरिटी देने के लिए कब इनके पास लैटर आया था? उनको सिक्योरिटी देने के लिए कौन सी कमेटी बनेगी और कब तक यह फाईनल हो जायेगा कि उनको सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम श्री अशोक कुमारा अरोड़ा जी को जल्द ही सिक्योरिटी देने जा रहे हैं ।

.....

To Improve The Inter Village Connectivity

***2086 Shri Parminder Singh Shull** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) the steps taken by the state Government to improve the inter-village connectivity in Julana Assembly Constituency and whether the Government has sanctioned any new road to improve the connectivity; and

(b) the status of construction of roads given below: -

(a) village Gatauli to Karsola;

(b) village Khera Bakhta to Julana via village Rajgarh;

(c) village Ramgarh to Jind-Hansi road bypass;

(d) village Bhaironkhera to Dhigana;

(e) village Padana to Dhigana;

(f) village Nidana to Biroli via Nidani; and

(g) village Gulkani and Mirchpur?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी,

(क) हां श्रीमान् जी, दो नई सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं।

(ख) श्रीमान् जी, सड़कों के निर्माण की स्थिति नीचे दी गई हैः–

क्रमांक संख्या	कच्चे रास्ते का नाम	विवरण
I.	गांव गतौली से करसौला (4.500 कि.मी.)	इस समय सरकार के पास इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
II.	गांव खेड़ा बख्ता से जुलाना वाया गांव राजगढ़ (6.900 कि.मी.)	इस समय सरकार के पास इस सड़क के निर्माण का कोई

		प्रस्ताव नहीं है।
III.	गांव रामगढ़ से जीन्द–हांसी बाईपास सड़क (3.600 कि.मी.)	इस समय सरकार के पास इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
IV.	गांव भैरों खेड़ा से ढ़िगाना (2.725 कि.मी.)	166.47 लाख रूपये का कच्चा अनुमान सरकार के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। इसमें 34.61 लाख रूपये का भूमि अधिग्रहण का प्रावधान भी है।
V.	गांव पडाना से ढ़िगाना (3.520 कि.मी.)	162.94 लाख रूपये का कच्चा अनुमान विचाराधीन है।
VI.	गांव निडाना से बिरोली वाया निडानी (9.100 कि.मी.)	188.57 लाख रूपये का कच्चा अनुमान विचाराधीन है।
VII.	गांव गुलकनी तथा मिर्चपुर (4.000 कि.मी.)	217.14 लाख रूपये का कच्चा अनुमान विचाराधीन है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने जो हमारी सड़के मंजूर की हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं । इसी के साथ–साथ मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गतौली से करसौला 4.5 कि.मी. का रास्ता है । जुलाना मंडी करसौला के साथ लगती है । आज के दिन गतौली से जुलाना मंडी हाई वे होकर जाना पड़ता है जिसके कारण गतौली के लोगों को 18 कि.मी. का रास्ता तय करके जाना पड़ता है । यदि इस सड़क को बना दिया जायेगा तो यह दूरी 5 कि.मी. से भी कम रह जायेगी । इसी तरह से यदि खेड़ा बख्ता से जुलाना वाया गांव राजगढ़ के कच्चे रास्ते पर भी सड़क बना दी जायेगी तो खेड़ा बख्ता से जुलाना की 18 कि.मी. की दूरी कम होकर केवल 7 कि.मी. की दूरी रह जायेगी और वहां के लोग सीधे जुलाना मंडी जा सकेंगे ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग 6 कर्म से कम की सड़कें नहीं बनाता । माननीय साथी जिन रास्तों का जिक्र कर रहे हैं ये रास्ते 5 कर्म के हैं । माननीय साथी ने जो सवाल पूछा था उनमें से दो रास्ते 6 कर्म के हैं उनको जल्दी ही बना दिया जायेगा ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, जो 5 कर्म के रास्ते हैं उनको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति दे दें ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि ढुल साहब इस प्रश्न को दो हिस्सों में लगाते । जो रास्ते 6 कर्म के हैं उनके बारे में लोक निर्माण विभाग से प्रश्न पूछते और जो रास्ते 5 कर्म या उससे कम के हैं उनके बारे में मार्केटिंग बोर्ड से प्रश्न पूछते । यदि माननीय सदस्य अलग–अलग प्रश्न पूछते तो इनको सही जवाब मिल जाता ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन मुझे यह कह रहे थे कि ढुल साहब उन्हें कोई काम कहते हैं उसको मुख्यमंत्री जी तुरंत करवा देते हैं । आज ढुल साहब विधान सभा में काम करवाने के लिए कह रहे हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी उन दोनों रास्तों की सड़कों को बनाने की मंजूरी दे दें । ऐसा करने से वहां के लोगों का सफर भी कम हो जायेगाा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ढुल साहब का साथ देने के लिए ही उठा हूं। ढुल साहब हमारे प्रिय विधायक हैं और ये हमारे से विकास कार्य करवाने के लिए बातें भी करते रहते हैं और उन कार्यों को हम करवा भी देते हैं । हमारे इनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं । मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ये दो अलग–अलग प्रश्न लगाते तो इनको सही जवाब मिल जाता । यदि ये मार्केटिंग बोर्ड से सवाल करते तो इन 6 रास्तों में से शायद एक–दो सड़क और भी एप्रूव हुई मिलती ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड से तीन साल में कोई जवाब नहीं आया । मुख्यमंत्री जी आप इन सड़कों को मार्केटिंग बोर्ड से बनवा दो।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि 5 कर्म के रास्ते होंगे तो वे बना दिए जायेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 6 कर्म के कच्चे रास्तों को बना दिया जायेगा । हमारे वहां गांव बीबीपुर से पोखरी खेड़ी का रास्ता 6 कर्म का है । क्या मंत्री जी उस रास्ते पर सड़क बनवायेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 6 कर्म या उससे उपर के रास्तों पर लोक निर्माण विभाग सड़क बनाता है । यदि किसी कच्चे रास्ते पर सड़क बनानी है और वहां पर

दूसरी सड़क 5 कि.मी. की बनी हुई है । ऐसी स्थिति में दूसरे रास्ते पर सड़क बनाने से 1.50 कि.मी. की दूरी रहेगी तो वहां पर हम जरूर सड़क बनवायेंगे। यदि वह दूरी 5 कि.मी. से कम होकर 4 कि.मी. ही रहेगी तो वहां सड़क बनाना जरूरी नहीं होता । यदि कहीं दूरी कम होकर एक तिहाई रहती है तो हम वहां 6 कर्म के रास्ते पर सड़क बना देते हैं । जिस रास्ते के बनाने की बात माननीय साथी कर रहे हैं यदि वहां पर दूरी एक तिहाई रहेगी तो उस सड़क को भी बना दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ की सड़क पर ठेकेदार बहुत धीरे–धीरे काम कर रहा है । इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस सड़क का काम पूरा करवा दिया जायेगा और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मुझे विधायक बने हुए 3 साल का समय हो गया है । उस सड़क पर बहुत धीरे काम चल रहा है । यदि ठेकेदार उस सड़क पर स्पीड से काम करे तो 15–20 दिन में कार्य पूरा हो सकता है । क्या मंत्री जी आदेश देकर राजगढ़ की सड़क को जल्द बनवाने का काम करेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को आश्वासन देता हूं कि हम जल्द ही उस सड़का का निर्माण कार्य पूर्ण करवा देंगे ।

.....

Construction of Mewat Feeder Canal

***2122 Shri Zakir Hussain** : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Mewat Feeder Canal is likely to be started togetherwith the names of districts as well as the extent of area likely to be benefitted from the said Canal ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, मेवात फीडर कैनाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में चल रहा है । इस द्वारा नूंह और पलवल जिले के 20,965 हैक्टेयर क्षेत्र खरीफ के दौरान और 26,302 हैक्टेयर रबी के दौरान लाभान्वित होने की संभावना है । हालांकि सरकार भूमि के अधिग्रहण को बचाने के लिए, लगभग 300 क्यूसिक क्षमता वाले

पाईप लाईन बिछाने पर विचार कर रही है जिसकी व्यवहारिकता की जांच भारतीय प्रोद्यौगिक संस्थान, दिल्ली द्वारा की जा रही है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने मेवात फीडर कैनाल के बारे में प्रश्न पूछा है जो कि बहुत गंभीर विषय है । मान्यवर, पहले यह परियोजन अलग रूप में थी । जे.एल.एन. से नहर निकालकर इस मेवात फीडर कैनाल को बनाना था । लेकिन वर्तमान समय में लैंड एक्वीजेशन एक बहुत बड़ा ईशू हो गया है और इस कैनाल की व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए एक अलटरनेट प्रस्ताव पर विचार किया है । अब यह जो के.एम.पी. बना है इसके साथ–साथ एक 300 क्यूसिक क्षमता वाली पाईप लाईन बिछाने पर सरकार विचार कर रही है । इसके अतिरिक्त हमारी जो पहले कच्ची नहर दिल्ली ब्रांच से थी उसके साथ दिल्ली ने एक पक्की नहर बना ली है और दिल्ली का पानी उसमें से जाता है। वहां तक अब हमारे पास वह नहर अवेलेबल है और के.एम.पी. एक्सप्रैस वे के साथ–साथ पाईप लाईन डालकर मेवात के क्षेत्र में पानी पहुंचाकर सिंचाई की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है । इस परियोजना की व्यवहारिकता की जांच का कार्य भारतीय प्रोद्यौगिक संस्थान, दिल्ली को दिया गया है । उनसे जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद इस परियोजना को हम आगे बढ़ायेंगे । इस तरह का आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देता हूं ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही माना है कि यह बहुत गंभीर विषय है । अध्यक्ष महोदय, जिस समय गुड़गांव कैनाल बनी थी जो हमारा एरिया है गुड़गांव, फरीदाबाद जिसमें से अब नुंह और पलवल जिले भी बन गये हैं । सर, 1961 में श्री बी.आर. महाजन, आई.ए.एस., डिप्टी सक्रेटरी होते थे उनकी लैटर मेरे पास है । उस समय गुड़गांव कैनाल में 0.44 एम.ए.एफ. पानी अलॉट हुआ था और गुड़गांव कैनाल में हमारा पानी चल रहा था तब इसमें पानी आता था। उसके बाद पानी की कमी हुई है क्योंकि एस.वाई.एल. नहीं बनी। 13 जून, 1994 को पूरे हरियाणा का वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यमुना–सतलुज एण्ड सतलुज–रावि–व्यास वॉटर अमंग वैरियस इंरिगेशन प्रोजैक्ट्स इन हरियाणा का यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और हमें गुड़गांव कैनाल में 0.49 एम.ए.एफ. पानी मिला जिसमें 0.37 एम.ए.एफ. तो यमुना से मिला और सतलुज–यमुना से 0.12 एम.ए.एफ. सरप्लस पानी मिला। मतलब यह है कि यमुना का लगभग 600 क्यूसिक पानी हमें इस सिस्टम से मिलना था लेकिन जब से यह हथनीकुंड बैराज बना उसके बाद

सिवाय दिल्ली के बैकफ्लो के हमें कुछ नहीं मिला। जिसमें सीवरेज का ही पानी नहीं बल्कि पेन्ट इंडस्ट्रीज तथा दूसरी इंडस्ट्रीज का एफ्यूलैंट भी है जो एक तरह का जहर है। सर, हमें यमुना का कोई पानी नहीं मिल रहा इसीलिए 2009 से यह स्कीम चली कि साल्हावास के जे.एल.एन.–2 से मेवात फीडर कैनाल बने । मेवात फीडर कैनाल की यह प्रपोजल सैन्ट्रल वॉटर कमीशन ने 12.11.2014 को एप्रूव कर दी और इसकी डी.पी.आर. भी 3.4.2015 को सब्मिट हो गई लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा कि एक्विजीशन की बात होने की वजह से यह ठंडे बस्ते में चली गई। इसी दौरान 6 जुलाई, 2012 को अपर यमुना रीवर बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें 4–4 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसके तहत जुलाई से अक्तूबर तक गुड़गांव कैनाल में 600 क्यूसिक, नवम्बर से फरवरी तक 600 क्यूसिक तथा मार्च से जून तक 700 क्यूसिक पानी मिलना था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज की तारीख में गुडगांव कैनाल में एक भी बूंद यमुना का पानी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, आप वहां से आते हैं और आप जानते हैं कि 1994 में जो 5 स्टेटों का एम.ओ.यू. साईन हुआ था जिसके तहत उसमें इकॉलोजिकल बैलेंस मेनटेन करने के लिए 352 क्यूसिक पानी छोड़ा जायेगा सिवाय बारिसों के 352 क्यूसिक पानी हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है। हमें दिल्ली से न यमुना का पानी मिल रहा और न ही वहां पर पानी पहुंच रहा है। स्वयं कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी ने यही जवाब दिया है । इस बात की पॉसिबिलिटी विधान सभा की कमेटीज में भी आई है कि वह पानी ट्रीट भी नहीं हो सकता है। जो मेवात फीडर कैनाल बनी इसमें सिर्फ एक हलके की बात नहीं है। इस प्रोजैक्ट की महत्ता आप देखिये इसके सैलियंट फीचर्स हैं इसमें इसका सी.सी.ए. 76238 हैक्टेयर है लगभग 2 लाख एकड़ है। पूरा नूंह डिस्ट्रिक्ट, पूरी हथीन तहसील और 24 गांव गुड़गांव जिले के आते हैं। 30 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। पशुओं में कैंसर हो रहा है, जमीनें खराब हो रही हैं और हम लोगों को पानी के नाम पर जहर मिल रहा है। इसकी फिजिबिलिटी की जो बात मंत्री जी ने कही है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिजिबिलिटी नहीं बल्कि सर्वे के लिए आदेश दिये थे जिसके लिए आई.आई.टी. को 1 करोड़ 70 लाख रुपये दिये गये थे। उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बना कर देनी थी न कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट । आज भी अगर हमें जहर का पानी देने और न देने पर कोई बात चलती है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस नहर का प्रोजैक्ट जैसा कि उन्होंने

कहा कि इसके ऐलानमैंट चेंज करके ककरोई हैड से 300 क्यूसिक पानी देंगे तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह काम कब तक चालू हो जायेगा क्योंकि पिछले एक साल से यह कार्य आई.आई.टी. दिल्ली के पास पैंडिंग है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कई मुद्दे वास्तव में चिन्ताजनक हैं। यह दिल्ली का प्रदूषित पानी आता है और उसके कारण से उसका बी.ओ.डी., सी.ओ.डी. लेवल ऊंचा भी होता है । दिल्ली सरकार के साथ लगातार जब भी ऐसी कोई बैठक होती है तो इस बात के लिए हरियाणा सरकार पूरा जोर देती है कि हरियाणा को सिर्फ ट्रीटिड वॉटर दिया जाये। लगातार हम इसके लिए लड़ते हैं। यह भी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इस समय पानी नहीं है क्योंकि आगरा कैनाल की डिसिल्टिंग हो रही है। लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस साल का सीजन अच्छा चला है 600 क्यूसिक का इनका आंकड़ा ठीक है लेकिन इस बार उससे बेहतर पानी हमें कुछ महीनों में मिला है। 30 से 28 हजार क्यूसिक पानी हमें कुछ महीनों में मिलता रहा है। जुलाई, अगस्त और सितम्बर का डाटा मेरे पास उपलब्ध है। एक महीने में 25659 क्यूसिक है, दूसरे में 30789 तथा तीसरे महीने में 24367 क्यूसिक पानी हमें मिला है। यह सही है कि सरकार इस बारे में पूरी गम्भीर है कि इस प्रोजैक्ट को सफल बनाया जाए क्योंकि कई राज्यों में ऐसे पाईप लाईन के प्रोजैक्ट बड़े सफल हो रहे हैं । जैसे मध्यप्रदेश में भी नर्मदा नदी से उज्जैन तक वे इस प्रोजैक्ट को लेकर आए हैं । इसलिये इस प्रोजैक्ट पर सरकार भी उतनी ही गम्भीर है जितने कि हमारे सदस्य हैं । इसमें पानी को काफी ऊंचाई पर अर्थात 64 फुट की ऊंचाई तक ले जाकर फिर उस पानी को नीचे ले कर आना है । इस प्रोजैक्ट पर अभी काम चल रहा है और जैसे ही आई.आई.टी. से रिपोर्ट मिलेगी तो विभाग इस विषय पर आगे बढ़ेगा । जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मंत्री जी से यही कहना था कि मंत्री जी के जवाब में जो लिखा गया है वह यह है कि व्यावहारिकता की जांच भारतीय उद्योगिक संस्थान, दिल्ली द्वारा की जा रही है । इसी जवाब के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जानना चाहूंगा क्योंकि यह विभाग आपके पास है कि व्यावहारिकता की जांच का जो सवाल है उस संदर्भ में मेरे पास मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग्ज की प्रोसिडिंग्ज हैं । सर, यह तो वक्त की बात है नहीं तो मैं वह सारी प्रोसिडिंग्ज यहां विधान सभा में पेश कर सकता हूं । उनमें किसी भी मीटिंग

में व्यावहारिकता की बात नहीं थी । उनमें यह बात थी कि वह हमें सिर्फ प्रोजैक्ट बनाकर देंगे फिजिब्लिटी से तो उसका कोई तालुक ही नहीं है । जब खुद मुख्यमंत्री जी ने यह माना है कि यह होना चाहिए । दूसरी जो पानी की बात कही है उसमें माननीय मंत्री जी ने तीन महीने के जो आंकड़े गिनाए हैं उनमें मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमें हथनी कुण्ड बैराज के आंकड़े बता दें । सिवाय बारिश के सीजन के हथनी कुण्ड बैराज से 352 क्यूसिक से ऊपर पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जोकि दो–तीन किलोमीटर पर ही खत्म हो जाता है । जब हमारे हिस्से का 600 क्यूसिक पानी वहां से छूटता ही नहीं है तो फिर हमारे क्षेत्र को पानी कैसे मिलेगा ? मंत्री जी आप जानते हैं कि यह तो बारिश के आंकड़े हैं । अतः मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे अर्ज यह है कि आपने हर जगह खुद कहा है कि इस पानी को हम पूरा करवाएंगे तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इस पानी को कब तक पूरा करवाएंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यहां से पानी की मात्रा उतनी नहीं छोड़ी जाती लेकिन जिस प्रकार से यमुना नदी में रिसाईकिल होकर पानी बढ़ता है और जैसे आपने भी कहा है कि बहुत सारा ऐसा पानी भी जैसे दिल्ली को डायरैक्ट पैरलल कैनाल से हजार क्यूसिक पानी हम देते है और दिल्ली का पानी फिर यमुना नदी में आता है उसमें कुछ पानी ट्रिटिड होकर आता है और कुछ बिना ट्रिटिड के आता है तो पानी की मात्रा ओखला तक फिर बढ़ जाती है । उसी में से मेवात को 600 क्यूसिक के हिसाब से पानी दिया जाता है । जो डाटा है वह मैंने आपके सामने रखा है और यह भी बताया है कि आपकी अभी की जो जानकारी है वह ठीक है । एक व्यवहारिकता होती है आर्थिक और बाकी विषयों पर । उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मेवात बोर्ड ने हां की है लेकिन जो टैक्निकली काम देख रहे हैं वह टैक्निकली देखकर उसका मैप और बाकी चीजें लेकर आते हैं तो उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे । इसीलिये तो यह काम आई.आई.टी. दिल्ली को सौंपा गया है । अतः आप इस कार्य के बारे में चिन्तित न हो । ज्यों ही उसकी रिपोर्ट आती है हम उस पर आगे बढ़ेंगे ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात में जो पानी आता है वह गुड़गांव कैनाल से आता है और गुड़गांव कैनाल में ज्यादातर पानी आगरा कैनाल से आता है और आगरा कैनाल का पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास है । गुड़गांव कैनाल

का बचा खुचा जो पानी बचता है उसी में से थोड़ा बहुत पानी मेवात में पहुंचता है । आज हमारे वहां सरसों की फसल की बिजाई का सीजन चल रहा है लेकिन हमारे मेवात क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव व खेत हैं जो सूखे पड़े हैं जिनमें बिजाई तक नहीं हो पा रही है । आगे गेहूं की फसल की बिजाई होनी है लेकिन पानी की कमी की वजह से आज हमारा किसान बहुत ही परेशान और मायूस होकर बैठा है । इसलिये आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तो हमारे क्षेत्र में मेवात कैनाल के हिस्से का पूरा पानी तुरंत छोड़ा जाए और दूसरा जो मेवात फीडर का प्रोजैक्ट है उसको सरकार कब तक बनवाने का काम करेगी । क्योंकि आई. आई.टी. की जो रिपोर्ट आनी है उसका कोई औचित्य नहीं है । यह तो सरकार ने तय करना है । आई.आई.टी ने तो मैप बनाकर देना है कि इस तरीके से पानी मेवात में पहुंचाना है । अतः माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इस प्रोजैक्ट को कब तक बनवा देंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, नसीम जी ने जो बात कही है कि ज्यादा पानी आगरा कैनाल से आता है । सर, आगरा कैनाल से ज्यादा पानी ही नहीं आता बल्कि टोटल पानी ही आगरा कैनाल के थ्रू गुड़गांव कैनाल में आता है । इस समय हमारा सरसों और गेहूं की फसल का सोइंग सीजन है । अगर आगरा कैनाल उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है तो एक महीने की कलोजर से गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह के अन्दर बिल्कुल जीरो पानी होने से उसके ऊपर से जो हमारी आत्मनिर्भरता है वह भी हट जायेगी । सर, मेवात फीडर का काम इसलिये भी बहुत जरूरी है । मैंने इस पर कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया है कि हमें आगरा कैनाल से पानी दिलाया जाए नहीं तो लगभग 50 एकड़ जमीन फसल के बिना रह जाएगी । हमारे क्रोपिंग पैटर्न के हिसाब से इस समय गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई के लिये पानी लगाना बहुत जरूरी है ।

16:00 बजे

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के कंसर्न को आदर देते हुए बताना चाहूंगा कि आगरा कैनाल सिस्टम का कंट्रोल उत्तर प्रदेश के पास है। वास्तव में कैनाल सिस्टम से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं अभी भी ऐसी विद्यमान हैं जिनमें किसी प्रदेश में स्थित कैनाल सिस्टम का कंट्रोल उस प्रदेश का न होकर दूसरे प्रदेश के पास है। उदाहरण के लिए दिल्ली में जो कैनाल हैं, उनका कंट्रोल हरियाणा प्रदेश के पास है। जब किन्हीं राज्यों में इन कैनाल्ज को बनाया गया था तो तब से लेकर आज तक वे इन कैनाल्ज को कंट्रोल कर रहे हैं। बीच बीच में यह

बात बराबर उठती भी रही है कि राज्यों के पास कम से कम अपने–अपने क्षेत्र की कैनाल्ज सिस्टम का कंट्रोल तो होना ही चाहिए। हम इस बारे में पूरी तरह से सर्तक हैं और हमें बताया गया है कि आगरा कैनाल 31 अक्टूबर तक बंद रहेगी। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आगारा कैनाल 31 अक्टूबर तक नहीं बल्कि 2 नवम्बर तक बंद रहेगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें तो आगरा कैनाल के बंद रहने की तिथि 31 अक्टूबर दी हुई है लेकिन यदि इसके बंद रहने की तिथि 2 नवम्बर तक है तो भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नवम्बर में होने वाली बिजाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो और किसान सरसों और गेहूं की अच्छी तरह से बिजाई कर सके। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ कि जैसे ही आई.आई.टी. दिल्ली से इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त होती है, हम उस रिपोर्ट पर निश्चय ही आगे बढ़ेगे ताकि किसानों को पर्याप्त पानी सुलभ हो सके, इसके लिए जितनी चिंता मेवात से संबंधित माननीय सदस्यों की है, उतनी ही चिंता सरकार की भी है। इसलिए वे निश्चिंत रहें। इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकलकर सामने आयेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–2089

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या–2101

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जयवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Road

***2102 Shri Jai Parkash**: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from

Anaj Mandi Kalayat to village Kharak Pandwa; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) : जी नहीं, श्रीमान्। अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी अनाज मंडी कलायत से गांव खरक पांडवा तक एक सड़क बनवाना चाहते हैं जिसके लिए डिपार्टमैंट ने तो "ना" कही है लेकिन भाई जय प्रकाश जी की चिंता के मद्देनज़र मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके द्वारा इस सड़क को बनाने संबंधी प्रपोजल को मैं स्वीकार करता हूँ और जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जायेगा।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। (विघ्न)

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भाई जय प्रकाश जी के क्षेत्र में सड़क बनाना मंजूर किया है, इसके लिए इनको धन्यवाद करना चाहिए लेकिन यह तो दूसरा निवेदन करने लग गए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी ने आपकी सड़क बनाने की बात स्वीकारी है और बावजूद इसके आप फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी की हर बात को सदन के नेता की तरफ से तथा सरकार के मंत्रियों की तरफ से माना जाता है। आज माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्म दिन है और जन्म दिन के इस मौके पर उन्होंने भाई जय प्रकाश जी के क्षेत्र में सड़क बनाने का आश्वसन देकर एक तरह से उनको अपने जन्म दिन का तोहफा ही भेंट किया है लेकिन दुख इस बात का होता है कि भाई जय प्रकाश की हर बात मानने के बावजूद भी यह दूसरी संगति में शामिल होकर सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिसको दूसरी संगति की संज्ञा दे रहे हैं, उनसे मेरी दोस्ती भी तो हो सकती है लेकिन जैसाकि अभी माननीय राम बिलास शर्मा जी ने कहा कि आज सदन के नेता का जन्म दिन है, तो ऐसी सूरत में मैं धनखड़ साहब को सड़क बनाने के आश्वासन के लिए धन्यवाद दूंगा और

सदन के नेता श्री मनोहर लाल जी को उनके जन्म दिन की मुबारकबाद देना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री राम बिलास शर्मा जी ने तो धनखड़ साहब के जन्म दिन की बात कही है न की सदन के नेता के जन्म दिन की बात?(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी नरवीर जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि शर्मा जी ने मुझे सदन के नेता का जन्म दिन होने की बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) क्या मुझे इस तरह बीच में टोककर वे कुछ बदलना तो नहीं चाह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने माननीय धनखड़ साहब के जन्म दिन की बात कही थी लेकिन यदि जय प्रकाश जी हमारे परिवार के मुखिया को बधाई दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से सदन के नेता श्री मनोहर लाल जी को उनके जन्म दिन की मुबारकबाद देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जय प्रकाश जी को बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने धनखड़ साहब के जन्म दिन की बात कही है न कि सदन के नेता के जन्म दिन की बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभय जी बता रहे हैं कि आज विज साहब का भी जन्म दिन है तो यह भी अच्छी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने विज साहब के जन्म दिन की बात नहीं कही है बल्कि मैंने तो यह कहा है कि श्री राम बिलास शर्मा जी ने धनखड़ साहब के जन्म दिन की बात कही है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी श्री रामबिलाश शर्मा जी की बात के आधार पर ही मैंने सदन के नेता को उनके जन्म दिन की मुबारकबाद दी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शर्मा जी ने धनखड़ साहब की बात करते हुए सदन के नेता के जन्म दिन होने की बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय,

मुझे राम बिलास शर्मा जी बात–बात पर बहकाते रहते हैं तो आप ही बतायें ऐसी सूरत में मैं क्या करूं? (हंसी एवं विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमने तो जयप्रकाश जी को गलत बयानबाजी करने से रोककर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि वह मुझे बहकाने चाहते हैं तो उसके लिए केवल स्वयं को और मुझे शामिल करें बेवजह किसी अन्य तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहिए जैसाकि आज वे सदन के नेता को बीच में फंसा रहे हैं? वह तो सीधे साधे आदमी हैं, उन्हें इस तरह नहीं फंसाना चाहिए? (हंसी एवं विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा भाई जयप्रकाश जी की हर बात मानी जाती है और इस बारे में जय प्रकाश जी स्वयं भी बता सकते हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि मेरी हर बात को माना जाता है लेकिन अफसोस इस बात का है कि मान तो लेते हैं लेकिन मेरी सड़क नहीं बनाते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, यदि भाई जय प्रकाश जी सदन के नेता को जन्म दिन की मुबारकबाद दे रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं हैं। श्री मनोहर लाल जी हमारी सरकार के मुखिया हैं और यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार के सारे काम मुख्यमंत्री अर्थात सदन के नेता की तरफ से ही किए जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे और चार–पांच सड़कों के निर्माण की हामी भरकर गए थे। आज माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सदन में अनाज मंडी कलायत से गांव खरक पांडवा तक सड़क निर्माण के लिए हां भर ली है जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक अन्य सड़क बनाने का और डिमांड है।

मुझे उम्मीद है कि सदन के नेता श्री मनोहर लाल जी इस सड़क के निमार्ण करने की हामी जरूर भरेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनाज मंडी, कलायत से आई.टी.आई. तक ड्रेन के साथ–साथ जोकि लगभग दो किलामीटर तक का रास्ता है, पर यदि सड़क बना दी जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क के निर्माण के लिए किसी जमीन को एक्वॉयर करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस सड़क का निर्माण होने पर यह फसली सीजन में किसानों की उपज सीधे तौर पर मंडी तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगी। किसानों को कलायत शहर के बीचों बीच होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और यह सड़क एक तरह से बाईपास का काम करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सड़क को भी जल्द से जल्द बनाने की हामी भरी जाये। यदि इस सड़क को बनाने की आज हामी नहीं भरी गई तो भाई अभय सिंह चौटाला जी को कहने का मौका मिल जायेगा। अतः अभय जी को कुछ कहने का मौका न दीजिए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अनाज मंडी कलायत से आई.टी.आई. तक की दो किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की भी हामी भरी जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जय प्रकाश जी को आश्वस्त करता हूँ कि इनके निर्वाचन क्षेत्र की दूसरी सड़क अर्थात अनाज मंडी कलायत से आई.टी.आई. तक की सड़क को भी जल्द से जल्द बना दिया जायेगा।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार का संपूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ। (हंसी एवं विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी जब अनाज मंडी कलायत से आई.टी. आई. तक दो किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की बात कही जा रही थी तो मेरे सामने बैठे इंडियन नैशनल लोकदल के एक सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आशाभरी नज़रों को देखते हुए कहना चाहूंगा कि इस सड़क को उनके विधान सभा क्षेत्र के बीबीपुर गांव तक भी ले जाया जायेगा और मैं समझता हूँ कि यह जानकार उन्हें खुशी भी होगी। (हंसी एवं विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी तो सरकार के साथ हैं जो चाहे करवा सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अभय जी को कहना चाहूंगा कि यदि अभय जी भी सरकार के साथ रहने के लिए तैयार हैं तो मुझे भी सरकार के साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अतः इन्हें इस बात का पहले

फैसला करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यदि इनकी तरफ से हां में उत्तर आता है तो मुझे भी कोई हर्ज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इनको एक बार मिल बैठकर इस बात का फैसला कर ही लेना चाहिए। मैं तो अकेला हूँ और अपने क्षेत्र के हितों के लिए अकेला ही लड़ रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अतः अभय जी को सरकार के साथ बैठकर इस बात का फैसला कर लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो इंडीपेंडेंट सदस्य हूँ। यदि एक बार आप लोगों का फैसला हो जाता है तो उसके बाद मैं भी फैसला कर लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? (हंसी एवं विघ्न)

.....

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Regarding Replacement of Pipe Line

***2106 Shri Nagender Bhadana**: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the water supply pipe line of 600 m.m. diameter instead of 900 m.m. diameter laid down from Ranneywell No. 3 to supply the drinking water in village manjhawali to sector 9 of Faridabad N.I.T. Constitutency, bursts frequently;

(b) if so, the reasons for laying 600 m.m. diameter pipe line instead of 900 m.m.toghetherwith the action taken against the officials responsible for reducing the size of above said pipe line; and

(c) the time by which the above said pipe line is likely to be replaced with 900 m.m. diameter pipeline?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : (क) नहीं, श्रीमानजी।

(ख) और (ग)इसलिए प्रश्न के ये भाग प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि 900 एम.एम. व्यासकी पाईप लाईन योजना के हाईड्रोलिक डिजाईन के अनुसार ही बिछाई गई है।

.....

To Open a CHC

***2110 Shri Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of government to open a CHC in village Kharal of Narwana Assembly Constituency; if so, time by which it is likely to be opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी, इसलिए प्रश्न का यह भाग उत्पन्न नहीं होता।

.....

Construction of Underpass

***2103 Shri Rajdeep Phogat**: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that an underpass has been approved at the C.C.I. railway crossing Dadri; if so, the time which the construction work is to be started?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Own Building of Kalanwali Sub-Tehsil

***2148 Shri Balkaur Singh**: Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that Sub Tehsil of Kalanwali is functioning in a rented building; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building for Sub-Tehsil together with the time by which the said building is likely to be constructed?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क) श्रीमान जी, इस समय उप–तहसील कालांवाली जिसे अब तहसील का दर्जा दिया जा चुका है, स्वास्थ्य विभाग के भवन में बिना किसी किराए के कार्य कर रही है।

(ख) तहसील कालांवाली के भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। तदोपरान्त उक्त भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

.....

Women Hockey Nursery In Sports School Rai

***2146 Shri Jai Tirth Dahiya :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Government to start Women Hockey Nursery in Motilal Nehru Sports School, Rai on 11-01-2016 and the provision of Budget worth of Rupees One Crore have also been made for the said purpose; and

(b) it so, the number of Girls given admission in the said sports school togetherwith the details of the works and events of which the said amount has been spent?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां श्रीमान जी, यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2017 को मोतीलाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई में 30 खिलाडियों की हॉकी नर्सरी का उद्घाटन किया गया। नर्सरी की

स्थापना तथा उपकरण की खरीद हेतू 14.02 लाख रूपये की राशि अनुमोदित की गई तथा

(ख) मोतीलाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई में प्रवेश का मापदण्ड भिन्न होने के कारण प्रवेश मापदण्ड के अनुसार महिला हॉकी नर्सरी की किसी लड़की को मोती लाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल राई में प्रवेश नहीं दिया गया । अतः महिला हाकी नर्सरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही खिलाडी मोती लाल खेल स्पोर्टस स्कूल राई में दाखिले के लिए योग्य नहीं हैं

मोती लाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई में महिला हॉकी नर्सरी आरम्भ करने के लिए किए गए खर्च का विवरण अनुलग्नक–ए पर रखा है।

अनुलग्नक–ए

मोती लाल नेहरू खेल स्कूल राई हाकी नर्सरी–लडकियां के लिए खरीदे गए सामान का विवरण

क.सं.	खरीदे गए आइटम का नाम	संख्या	दर	कुल राशि
1.	एलईडी 20 ईची	1	43900	43900
2.	रैफ्रीजरेटर 350 लीटर	1	48000	48000
3.	वाटरकूलर	1	29900	29900
4.	कैंडल फार वाटरकूलर	1	1500	1500
5.	इन्वर्टर बैटरी व ट्राली सहित	1 सैट कम्पलीट	26700	26700
6.	नया गैस कनैक्शन	1 सैट कम्पलीट	8904	8904
7.	मैस हेतु नए बर्तैन	1 सैट कम्पलीट	39315	39315
8.	कम्बल	30	850	25500
9.	पिलोकवर	30	150	4500
10.	बैडशीट	62	335	20770
11.	स्टेडी टेबल	36	1900	68400
12.	स्टेडी कुर्सियां	30	950	28500
13.	डाईनिंग टेबल	4	9400	37600
14.	पीवीसी कुर्सियां	40	485	19400
15.	बुकसेल्फ	1	8500	8500
16.	सोफा सैट	1	35000	35000
17.	ग्द्दे	30	1000	30000
18.	धुलाई मशीन	1	14155	14155
19.	मैस हेतु नए बर्तैन	1 सैट कम्पलीट	39315	39315
20.	कार्यालय मेज	1	11500	11500
21.	कार्यालय कुर्सी	1	6500	6500
22.	विजीटर चेयर	6	3500	44720
23.	कम्प्युटर एचपी डैक्सटॉप	1	33300	33300
24.	माइक्रोटेक्स यूपीएस	1	4000	4000
25.	कैनन यूपीएस	1		13010
26.	दूध व सब्जियां			16460
27.	मैस के लिए राशन			21395
28.	एसी स्पिलिट	1		41700
29.	कार्यालय अलमारी	5	3850	19250
30.	फोलडिंग बैड	5		17392
31.	वोलटेज स्टैब्लाइजर	1	2900	2900
32.	एयरटेल कूपन चार्जिज	1	2090	2090
33.	इंस्टालेशन चार्जिज		1500	1500
34.	खेल उपकरण तथा कार्यालय उपयोगी फर्नीचर			636223
				1401799

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Total need of Power in the State

480. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state

(a) the total need of power in the State in terms of Megawatts;

(b) the all sources of Power available in the state till date;

(c) the names of the companies which are selling power to the State together with the rates per unit; and

(d) Whether the Haryana Government is also selling the power to other states; if so, the rates together with the name of each buyer?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राज्य में बिजली की कुल आवश्यकता मौसम पर निर्भर करते हुए वर्ष के दौरान 3000 मेगावाट से 9800 मेगावाट के बीच में बदलती रहती है।

(ख) राज्य में सभी स्त्रोतों से अनुबन्धित बिजली 11085.3 मेगावाट है। इनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	**स्त्रोत**	**हरियाणा का हिस्सा (मेगावाट)**
	हरियाणा के अन्दर प्रोजेक्ट	
1.	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–V	210
2.	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VI	210
3.	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VII	250
4.	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VIII	250
5.	एच.पी.जी.सी.एल. डब्ल्यू.वाई.सी. हाईडल प्रोजेक्ट, यमुनानगर	62.4
6.	एच.पी.जी.सी.एल. दीन बन्धु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, यमुनानगर	600
7.	एच.पी.जी.सी.एल. राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हिसार	1200

8.	एन.टी.पी.सी. इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, झज्जर	693
9.	एन.टी.पी.सी. फरीदाबाद गैस पावर प्लांट, फरीदाबाद	432
10.	जे.पी.एल. महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, झज्जर	1188
11.	एच.पी.जी.सी.एल. सोलर प्लांट	10
12.	मैसर्ज वी.के.जी. एनर्जी प्रा.लि. पंचकूला	1
13.	मैजर्स जामिल नई दिल्ली इन्फ्रा स्ट्रक्चर (प्रा.) लि. , महेन्द्रगढ़	1
14.	मैसर्ज चन्द्रलीला पॉवर एनर्जी (प्रा.) लि., महेन्द्रगढ़	0.8
15.	मैसर्ज एच.आर.मिनरलस एवं अलॉयज प्रा.लि., जिला रोहतक	1
16.	मैसर्ज सी.एण्ड एस. इलैक्ट्रिक लिमिटेड, जिला भिवानी	1
17.	मैसर्ज एस.डी.एस. सोलर प्रा.लि., हिसार	1
18.	मैसर्ज तायल एण्ड क़म्पनी, पंचकूला	1
19.	मैसर्ज सुखबीर सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, सिरसा	1
20.	यूट्रेच्ट सोलर पॉवर लिमिटेड, महेन्द्रगढ़	1
21.	सुभाष इन्फ्राइंजीनियरस लिमिटेड, महेन्द्रगढ़	1
22.	जे.बी.एम. सोलर पॉवर प्रा. लिमिटेड जिला भिवानी	20
23.	मैसर्ज सिवाना सोलर पॉवर प्रोजेक्ट, भिवानी	5
24.	जेमको बॉयोमास, भिवानी	8
25.	ए.बी. ग्रेन्स, जटवाड, नारायणगढ़, अम्बाला	5
26.	स्टारवॉयर (इंडिया) लि. बॉयोमास, महेन्द्रगढ़	9.9
27.	श्री ज्योति, धाना नरसान, भिवानी	9.5
28.	हरियाणा को–ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि., रोहतक	12
29.	महम शुगर मिल्स, जिला रोहतक	2
30.	ताऊ देवी लाल शुगर मिल, गोहाना, सोनीपत	2
31.	हैफेड शुगर मिल, करनाल	2
32.	शाहबाद को–ऑपरेटिव शुगर मिल्स गांव कुरूक्षेत्र	18
33.	भौरूका एच.ई.पी. यमुनानगर	6

34.	पी.एण्ड.आर. गौगरीपुर, छोटा हाईड्रो करनाल	2
35.	पुरी ऑयल मिल्स, एम.एच.ई.पी., करनाल	2.8
	हरियाणा के बाहर प्रोजेक्ट	
36.	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड	828.97
37.	एन.टी.पी.सी. सिंगरोली सुपर थर्मल प्रोजेक्ट	200
38.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–I	65
39.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–II	57
40.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–III	56.1
41.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–I	11
42.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–II	23.02
43.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–III	11.99
44.	एन.टी.पी.सी. फरखा स्टेज–I एवं II (एफ.एस.टी.पी.एस.)	11.04
45.	एन.टी.पी.सी. कहलगांव–I (बिहार)	25.54
46.	एन.टी.पी.सी. कहलगांव–II (बिहार)	68.7
47.	एन.टी.पी.सी. आंटा गैस	24.03
48.	एन.टी.पी.सी. औरिया गैस	39.01
49.	एन.टी.पी.सी. दादरी गैस	40.98
50.	एन.टी.पी.सी. कोल्डम हिमाचल प्रदेश	78.48
51.	डी.वी.सी. कोडरमा–टी.पी.पी. पश्चिम बंगाल	100
52.	डी.वी.सी. रघुनाथपुर–टी.पी.पी. पश्चिम बंगाल	100
53.	डी.वी.सी. मिजिया बी टी.पी.एस. पश्चिम बंगाल	100
54.	आई.पी.जी.सी.एल. प्रगति गैस पॉवर स्टेशन दिल्ली	137.1
55.	पी.टी.सी. ताला हाइड्रो	14.99
56.	एन.एच.पी.सी. बैरा–सूल हाईडल प्रोजेक्ट	60.39
57.	एन.एच.पी.सी. सलाल हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–I एवं II	103.64
58.	एन.एच.पी.सी. टनकपुर हाईडल	6.03
59.	एन.एच.पी.सी. चमेरा हाईडल	85.32
60.	एन.एच.पी.सी. चमेरा–III एच.ई.पी. (हि.प्र.)	12.43

61.	एन.एच.पी.सी. चमेरा–II	17.01
62.	एन.एच.पी.सी. ऊड़ी हाईडल	26.02
63.	एन.एच.पी.सी. ऊड़ी–II	13.37
64.	एन.एच.पी.सी. धौलीगंगा	15.99
65.	एन.एच.पी.सी. धुलहस्ती	21.33
66.	एन.एच.पी.सी. पार्बती–III	50.08
67.	एन.एच.पी.सी. सेवा–II	7
68.	टी.एच.डी.सी. टिहरी	71
69.	टी.एच.डी.सी. कोटेश्वर	16.84
70.	एन.पी.सी.आई.एल. नरौरा ऑटोमेटिक पॉवर स्टेशन	27.98
71.	एन.पी.सी.आई.एल. आर.ए.पी.पी.	72.95
72.	एस.जे.वी.एन.एल. एन.जे.पी.सी. एच.ई.पी	64.05
73.	एस.जे.वी.एन.एल. रामपुर एच.ई.पी	17.02
74.	पी.टी.सी. लैंको अमरकंटक थर्मल छत्तीसगढ़	285
75.	सी.जी.पी.एल. यू.एम.पी.पी. गुजरात	400
76.	अदानी गुजरात	1424
77.	सासन पॉवर लि. मध्य प्रदेश	445.5
78.	पी.टी.सी. बगलीहार जम्मू एवं कश्मीर	50
79.	पी.टी.सी. जी.एम.आर. थर्मल, उड़ीसा	300
80.	एस.ई.सी.आई., राजस्थान के माध्यम से सौलर पॉवर	80
81.	करचम वांगटू हाईड्रो प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश	200
	योग	**11085.3**

(ग) उन कंपनियों के नाम जो राज्य को प्रति यूनिट दरों के साथ बिजली बेच रही हैं नीचे तालिका में हैं:–

क्र.सं.	**प्रोजेक्ट/कम्पनी का नाम**	**वित्त वर्ष 2016–17 में प्रति यूनिट औसत दर (रूपए)**
1	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–V	8.92
2	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VI	7.92

3	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VII	4.98
4	एच.पी.जी.सी.एल. पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट–VIII	5.89
5	एच.पी.जी.सी.एल. डब्ल्यू.वाई.सी. हाईडल प्रोजेक्ट, यमुनानगर	2.75
6.	एच.पी.जी.सी.एल. दीन बन्धु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, यमुनानगर	4.42
7.	एच.पी.जी.सी.एल. राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हिसार	5.52
8.	एन.टी.पी.सी. इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, झज्जर	5.97
9.	एन.टी.पी.सी. फरीदाबाद गैस पावर प्लांट, फरीदाबाद	4.73
10.	जे.पी.एल. महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, झज्जर	6.38
11.	एच.पी.जी.सी.एल. सोलर प्लांट	4.88
12.	मैसर्ज वी.के.जी. एनर्जी प्रा.लि. पंचकूला	5.67
13.	मैजर्स जामिल नई दिल्ली इन्फ्रा स्ट्रक्चर (प्रा.) लि., महेन्द्रगढ़	5.67
14.	मैसर्ज चन्द्रलीला पॉवर एनर्जी (प्रा.) लि., महेन्द्रगढ़	5.67
15.	मैसर्ज एच.आर.मिनरलस एवं अलॉयज प्रा.लि., जिला रोहतक	5.67
16.	मैसर्ज सी.एण्ड एस. इलैक्ट्रिक लिमिटेड, जिला भिवानी	5.67
17.	मैसर्ज एस.डी.एस. सोलर प्रा.लि., हिसार	5.67
18.	मैसर्ज तायल एण्ड क़म्पनी, पंचकूला	5.67
19.	मैसर्ज सुखबीर सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, सिरसा	5.67
20.	यूट्रेच्ट सोलर पॉवर लिमिटेड, महेन्द्रगढ़	5.68
21.	सुभाष इन्फ्राइंजीनियरस लिमिटेड, महेन्द्रगढ़	5.68
22.	जे.बी.एम. सोलर पॉवर प्रा. लिमिटेड जिला भिवानी	2017–18 के दौरान बिजली शुरू हुई
23.	मैसर्ज सिवाना सोलर पॉवर प्रोजेक्ट, भिवानी	6.44
24.	जेमको बॉयोमास, भिवानी	7.56
25.	ए.बी. ग्रेन्स, जटवाड, नारायणगढ़, अम्बाला	7.63
26.	स्टारवॉयर (इंडिया) लि. बॉयोमास, महेन्द्रगढ़	7.56
27.	श्री ज्योति, धाना नरसान, भिवानी	7.59
28.	हरियाणा को–ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि., रोहतक	4.05
29.	महम शुगर मिल्स, जिला रोहतक	2017–18 के दौरान बिजली शुरू हुई

30.	ताऊ देवी लाल शुगर मिल, गोहाना, सोनीपत	4.04
31.	हैफेड शुगर मिल, करनाल	4.05
32.	शाहबाद को–ऑपरेटिव शुगर मिल्स गांव कुरूक्षेत्र	4.05
33.	भौरूका एच.ई.पी. यमुनानगर	3.18
34.	पी.एण्ड.आर. गौगरीपुर, छोटा हाईड्रो करनाल	4.36
35.	पुरी ऑयल मिल्स, एम.एच.ई.पी., करनाल	4.08
36.	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड	0.52
37.	एन.टी.पी.सी. सिंगरोली सुपर थर्मल प्रोजेक्ट	2.12
38.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–I	2.75
39.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–II	2.47
40.	एन.टी.पी.सी. रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट–III	3.27
41.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–I	4.67
42.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–II	4.32
43.	एन.टी.पी.सी. फिरोज गांधी उंचाहार सुपर थर्मल स्टेज–III	4.76
44.	एन.टी.पी.सी. फरखा स्टेज–I एवं II (एफ.एस.टी.पी.एस.)	3.63
45.	एन.टी.पी.सी. कहलगांव–I (बिहार)	3.82
46.	एन.टी.पी.सी. कहलगांव–II (बिहार)	3.7
47.	एन.टी.पी.सी. आंटा गैस	6.15
48.	एन.टी.पी.सी. औरिया गैस	10.42
49.	एन.टी.पी.सी. दादरी गैस	4.46
50.	एन.टी.पी.सी. कोल्डम हिमाचल प्रदेश	4.6
51.	डी.वी.सी. कोडरमा–टी.पी.पी. पश्चिम बंगाल	4.66
52.	डी.वी.सी. रघुनाथपुर–टी.पी.पी. पश्चिम बंगाल	3.63
53.	डी.वी.सी. मिजिया बी टी.पी.एस. पश्चिम बंगाल	4.34
54.	आई.पी.जी.सी.एल. प्रगति गैस पॉवर स्टेशन दिल्ली	8.12
55.	पी.टी.सी. ताला हाइड्रो	2.03
56.	एन.एच.पी.सी. बैरा–सूल हाईडल प्रोजेक्ट	2.22
57.	एन.एच.पी.सी. सलाल हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–I एवं II	2.29
58.	एन.एच.पी.सी. टनकपुर हाईडल	3.94
59.	एन.एच.पी.सी. चमेरा हाईडल	1.94
60.	एन.एच.पी.सी. चमेरा–III एच.ई.पी. (हि.प्र.)	4.58
61.	एन.एच.पी.सी. चमेरा–II	2.12
62.	एन.एच.पी.सी. ऊड़ी हाईडल	2.09

63.	एन.एच.पी.सी. ऊड़ी–II	5.17
64.	एन.एच.पी.सी. धौलीगंगा	3.17
65.	एन.एच.पी.सी. धुलहस्ती	5.6
66.	एन.एच.पी.सी. पार्बती–III	5.75
67.	एन.एच.पी.सी. सेवा–II	5.24
68.	टी.एच.डी.सी. टिहरी	5.15
69.	टी.एच.डी.सी. कोटेश्वर	3.86
70.	एन.पी.सी.आई.एल. नरौरा ऑटोमेटिक पॉवर स्टेशन	2.58
71.	एन.पी.सी.आई.एल. आर.ए.पी.पी.	3.05
72.	एस.जे.वी.एन.एल. एन.जे.पी.सी. एच.ई.पी	2.98
73.	एस.जे.वी.एन.एल. रामपुर एच.ई.पी	3.61
74.	पी.टी.सी. लैंको अमरकंटक थर्मल छत्तीसगढ़	2.83
75.	सी.जी.पी.एल. यू.एम.पी.पी. गुजरात	2.35
76.	अदानी गुजरात	3.24
77.	सासन पॉवर लि. मध्य प्रदेश	1.67
78.	पी.टी.सी. बगलीहार जम्मू एवं कश्मीर	3.72
79.	पी.टी.सी. जी.एम.आर. थर्मल, उड़ीसा	2.59
80.	एस.ई.सी.आई., राजस्थान के माध्यम से सौलर पॉवर	5.5
81.	करचम वांगटू हाईड्रो प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश	4.18

(घ) हरियाणा सरकार राज्यों को बिजली नहीं बेच रही है। यद्यपि, चयनित मामलों में, हरियाणा पॉवर यूटिलिटीज पीक डिमांड सिनेरियो में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्य यूटिलिटीज के साथ बिजली की बैंकिंग कर रही हैं।

.....

To Metal the Unmetalled Passages

473. Shri Om Parkash Barwa : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the un-metalled passages from village Gutha to Bidwan and Gutha to Dhadhalan in Loharu Constituency; if so, the time by which these passages are likely to be metalled ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Registration in Employment Exchange in Jind District

466 Shri Parminder Singh Dhull : Will the Employment Minister be pleased to state:-

(a) the total number of applicants registered with the Employment Exchange of Jind district; and

(b) the number of registered applicants currently receiving "Berozgaar Bhatta" or Unemployment Allowance together with the total number jobs provided through the Bureau since April-2015 till to date ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्री मान जी,

(क) जीन्द जिले के रोजगार कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में विभागीय पोर्टल पर 31,817 प्रार्थियों (10.10.2017 तक), को पंजीकृत किया गया ।

(ख) वर्तमान मे जीन्द जिले के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले प्रार्थियों की कुल संख्या 5664 है।

माननीय उच्चत्म न्यायलय के द्वारा (CA No. 11646-11724 of 1996 (Arising out of SLP(C) No. 8598-8676 of 1993) titled as the Excise Supritendent, Malkapatnak, Krishna District, Andhra Pradesh V/s K.B.N. Visweshwara Rao & Ors. मे दिए गए निर्णय अनुसार संस्थापनाओं द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य नही है। फिर भी विभाग द्वारा किए गए प्रयास द्वारा अप्रैल 2015 से अब तक जीन्द जिले के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 887 प्रार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

.....

Number of offences registered

516. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the district wise number of offences registered in various police station in state from 1 June, 2014 to 30 June, 2017; and

(b) the district wise number of offences against females and dalits registered for the above mentioned period ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

01 जून, 2014 से 30 जून, 2017 तक राज्य में दर्ज मुकदमों का विवरण

	बिन्दू 'क'	बिन्दू 'ख'	
जिला	दर्ज मुकदमों की कुल संख्या	दर्ज मुकदमें / महिला विरुद्ध अपराध	दर्ज मुकदमें / दलित विरुद्ध अपराध
गुरुग्राम	51536	3158	131
फरीदाबाद	33758	2806	149
पंचकूला	6174	436	20
हिसार	20256	1650	104
सिरसा	13267	996	55
जीन्द	12600	927	92
फतेहाबाद	14747	765	39
हांसी	966	74	11
रेवाड़ी	12671	473	25
पलवल	15338	1232	128
नारनौल	8997	675	115

मेवात	8842	210	140
रोहतक	18676	2340	156
सोनीपत	6878	755	31
झज्जर	11640	981	75
भिवानी	11005	885	109
दादरी	5010	330	43
करनाल	23603	1721	89
पानीपत	19915	3274	82
कैथल	9097	939	66
अम्बाला	12252	745	64
यमुनानगर	14131	1811	104
कुरुक्षेत्र	13348	1079	74
रेलवे	5335	107	46
कुल	**350042**	**28369**	**1948**

.....

Proper Arrangment of Electricity Supply In Schools

471. Shri Prithi Singh: Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that the appointment of computer teachers have beem made in the schools of the state; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the government to make proper arrangements to suppl electricity as well as generator sets in all the School; if so, the time by ehich the said arreangement are likely to be made?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी, श्रीमान जी। 2124 कम्पयूटर शिक्षकों को जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक कार्य के आधार पर पुनः लगाया गया है।

(ख) सभी राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिका विद्यालायों में बिजली का कनैक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। आई0सी0टी0 स्कीम के अन्तर्गत कम्पयूटर

प्रयोगशालाओं हेंतु एक–एक जनरेटर सैट 3117 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

.....

Posting of Doctors

487. Shri Rajdeep Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the dispensary building in village Nimali in Charkhi Dadri Constituency was completed 10 years ago; if so, the time by which the appointment of the doctors is likely to be made in the said dispensary ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Open a Police Hospital

472. Dr. Pawan Saini : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Police Hospitals for the Police personnel on the pattern of Military Hospitals opened for the Army personnel; If so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, नहीं।

.....

Tubewell Connections

509. Prof. Ravinder Baliala: Will the Chief Minister be pleased to state---

(a) the number of persons applied for tubewell connections in Fatehabad Sub-division from April, 2017 till to date togetherwith the number of tubewell connections released;

(b) the number of persons applied for commercial connections togetherwith the number of connections released; and

(c) the number of transformers burnt in current paddy season togetherwith the number of farmers to whom the transformers have been provided alongwith the number of days in which the said transformers provided ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) अप्रैल, 2017 से फतेहाबाद उपमंडल में नलकूप कनेक्शन के लिए 71 आवेदकों ने आवेदन किया है। इसमें से, अप्रैल, 2017 से फतेहाबाद उपमंडल में 43 कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ख) उसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक कनेक्शनों के लिए 182 आवेदकों ने आवेदन किया था और 178 कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

(ग) इस वर्ष धान के मौसम के दौरान 292 ट्रांसफार्मर जल गए थे। सभी को दो दिन के भीतर बदल दिया गया है।

.....

To Open a Kendriya Vidyalaya

510. Shri Zakir Hussain : Will the Education Minister be pleased to state whether any proposal to open a Kendriya Vidalaya in village Salhaheri of district Nuh has been forwarded to Government of India by the state Government; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी, निदेषक पंचायत विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा जिला नूंह के सालाहेड़ी गांव में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये भूमि का अनुमोदन किया है। अब मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के विचाराधीन है।

.....

To Upgrade Block Pillu Khera as M.C

536. Shri Jasbir Singh Deswal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Block Pillu Khera as Municipal Committee; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमति कविता जैन) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Metal the Un-metalled Passage

520. Shri Hari Chand Middha : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Roopgarh to Barodai of Jind Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Investigation of I.A.S officers by C.B.I

481. Shri Karan Singh Dalal: will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the deatails of I.A.S officers of States raided/investigated by C.B.I. so far;

(b) the names of these I.A.S. officers together with the details of charges framed against them;

(c) whether any department action has also being taken against such officers;

(d) if so, the deails thereof ?

...bly Question
listed for 23.10.2017.

...HAR LAL

सत्यमेव जयते

D.O. No. CMH-201 /29/05/2017-251

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 21.10.2017.

Subject:- **Unstarred Assembly Question No. 481 asked by Shri Karan Singh Dalal, MLA.** — Listed for 23.10.2017.

Respected Speaker Sir,

I would like to inform that Unstarred Assembly Question N. 481 asked by Shri Karan Singh Dalal, MLA regarding the details of I.A.S. officers of state raided/investigated by CBI so far togetherwith the details of charges framed against them besides other details was received in the Personnel Department Haryana on 10.10.2017. Accordingly, Personnel Department Haryana has requested Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation, New Delhi to provide the relevant information for preparing reply to the question.

The requisite information is awaited from the Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation, New Delhi. The Personnel Department is making efforts to collect the information but it seems that it would take some time to get the relevant information from Government of India, Department of Personnel & Training and Central Bureau of Investigation. The question is listed for 23.10.2017, it may, therefore, be not possible to prepare reply to the question upto fixed date. I, therefore, request you to grant extension of at least 8 weeks time for preparing reply to the question.

With Due Regards,

Yours sincerely,

(Manohar Lal)

Shri Kanwar Pal,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Replacement of Electricity Conductors

474. Shri Om Parkash Barwa: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the electricity conductors are loose and obsolete in all the villages of Laharu Constituency; and

(b) if so, the time by which the loose and obsolete electricity conductors are likely to replaced in all the villages of Loharu Constituency?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, क और ख बिजली के तारों को एक निश्चित मानक दबाव से डिजाइन किया जाता है। इन्हें आवश्यकतानुसार समय–समय पर खींचा या बदला जाता है। लोहारू निर्वाचनक्षेत्र के गांवों में भी जब–जब जरूरत होगी, तारें बदल दी जाएंगी।

.....

Registration in Employment Exchange in the State

467 Shri Parminder Singh Dhull : Will the Minister of state for Labour and Employment be pleased to State the district wise number applicants registered with the Employment Exchange in the State together with the number of registered applicants currently receiving "Berozgaar Bhatta" or Unemployment Allowance along with the total number of jobs provided through the Bureau since April-2015 till to date ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्री मान जी,

i. हरियाणा राज्य के रोजगार कार्यालयों में विभागीय पोर्टल पर 4,96,625 प्रार्थियों (*10.10.2017 तक*), का पंजीकृत किया गया ।

(जिलावार ब्योरा परिशिष्ट–1 पर है)

ii. वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले प्रार्थियों की संख्या = 56,986

(जिलावार ब्योरा परिशिष्ट –2 पर है)

iii. वर्तमान मे माननीय उच्चत्म न्यायलय के द्वारा (CA No. 11646-11724 of 1996 (Arising out of SLP(C) No. 8598-8676 of 1993) titled as the Excise Supritendent, Malkapatnak, Krishna District, Andhra Pradesh V/s K.B.N. Visweshwara Rao & Ors. मे दिए गए निर्णय अनुसार संस्थापनाओं द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य नही है। फिर भी विभाग द्वारा किए गए प्रयास द्वारा अप्रैल 2015 से अब तक हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 10,525 प्रार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

(जिलावार ब्योरा परिशिष्ट –3 पर है)

पारिशिष्ट– I

राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदको की कुल संख्या

(10.10.2017 को पंजीकृत प्रार्थी)

क्र0.स0.	रोजगार कार्यालय	पंजीकृत प्रार्थी
1	अम्बाला	8,924
2	असंध	4,770
3	बहादुरगढ़	8,709
4	बल्लबगढ़	4,772
5	बराड़ा	7,727
6	भिवानी	17,381
7	चरखी दादरी	14,787
8	डबवाली	4,308
9	गुरूग्राम	12,587

10	हिसार	23,622
11	कुरूक्षेत्र	21,885
12	ऐलनाबाद	3,964
13	फतेहाबाद	10,663
14	फरीदाबाद	7,498
15	फिरोजपुर झिरखा	3,174
16	गन्नौर	4,907
17	गोहाना	9,704
18	गुल्हा	3,884
19	हांसी	8,513
20	हथीन	2,498
21	होडल	5,536
22	इन्द्री	5,972
23	झज्जर	11,319
24	जीन्द	17,699
25	कालका	3,299
26	कैथल	19,260
27	कोसली	4,277
28	करनाल	23,353
29	लोहारू	4,252
30	महम	6,308
31	महेन्द्रगढ	12,461
32	मोरनी	1,539
33	नारनौल	12,873
34	नरायणगढ़	7,525
35	नरवाना	6,811
36	नुंह	3,429
37	पलवल	6,556
38	पानीपत	20,095
39	पेहवा	4,414
40	पंचकूला	4,411
41	रतिया	2,736
42	रेवाडी	18,071
43	रोहतक	29,020
44	सफीदौं	7,307
45	समालखा	6,101
46	सिरसा	14,678
47	सिवानी	2,810

48	सोनीपत	9,807
49	टोहाना	4,956
50	तोशाम	5,419
51	यमुनानगर	30,015
52	राज्य रोजगार कार्यालय	39
53	कुल योग	4,96,625
उपरोक्त आंकड़े विभागीय पोर्टल www.hrex.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों की सख्या पर आधारित हैं।		

पारिशिष्ट –2

हरियाणा राज्य में वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले प्रार्थियों की संख्या

		आवेदकों की योजना अनुसार संख्याए				
क्र.स..	*जिले*	बेरोजगारी भत्ता योजना	''सक्षम युवा योजना''			*कुल योग*
		योग	*स्नातकोत्तर*	*स्नातक*	*योग*	
		क	*ख*	*ग*	*घ (ख+ग)*	*ड (क+घ)*
1	अम्बाला	472	929	419	1,348	1,820
2	भिवानी	2,685	1,948	1,232	3,180	5,865
3	फरीदाबाद	66	73	39	112	178
4	फतेहाबाद	1,245	1,018	607	1,625	2,870
5	गुरूग्राम	59	73	20	93	152
6	हिसार	2,288	1,239	687	1,926	4,214
7	झज्जर	1,005	990	445	1,435	2,440
8	जीन्द	3,619	1,374	671	2,045	5,664
9	कैथल	628	1,617	936	2,553	3,181
10	करनाल	1,630	1,942	978	2,920	4,550
11	कुरूक्षेत्र	926	1,433	708	2,141	3,067
12	महेन्द्रगढ (नारनौल)	733	453	170	623	1,356
13	नुंह	26	87	121	208	234
14	पलवल	319	231	153	384	703
15	पंचकूला	285	256	113	369	654
16	पानीपत	1,154	814	347	1,161	2,315
17	रेवाडी	263	323	108	431	694
18	रोहतक	2,972	1,826	958	2,784	5,756
19	सिरसा	1,244	1,378	592	1,970	3,214

20	सोनीपत	1,083	978	379	1,357	2,440
21	यमुनानगर	507	2,725	2,387	5,112	5,619
कुल प्रार्थी		**23,209**	**21,707**	**12,070**	**33,777**	**56,986**

पारिशिष्ट– III

रोजगार कार्यालय के माध्यम से अप्रैल–2015 से अगस्त–2017 नौकरी प्राप्त करने वाले प्रार्थियों की संख्या

जिले का नाम	*नियुक्तियां*
अम्बाला	229
पंचकूला	02
यमुनानगर	233
कुरूक्षेत्र	16
कैथल	0
करनाल	768
पानीपत	0
रोहतक	0
झज्जर	588
सोनीपत	2,784
जीन्द	887
भिवानी	405
गुरूग्राम	1,564
फरीदाबाद	980
नुंह	252
नारनौल	6
रेवाडी	443
हिसार	01
फतेहाबाद	42
सिरसा	1,325
कुल	**10,525**

.....

Details of Road Accidents

515. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) Whether there is any increase in road accidents in Haryana from June, 2014 to June, 2017; and

(b) If so, the district wise details thereof togetherwith the deaths occurred?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

जून 2014 से जून 2017 तक हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में केवल मामूली बढोत्तरी हुई है जोकि जिलावार सड़क दुर्घटनाओं व इनमें होने वाली मौतों के विवरण की निम्न तालिका की अंतिम पंक्ति द्वारा भी देखी जा सकती है।

माह जून–2014 और जून–2017

	जून–2014		जून–2017	
जिला का नाम	दुर्घटनाऐं	मौतें	दुर्घटनाऐं	मौतें
अम्बाला	53	19	52	20
पचंकुला	14	6	25	5
यमुनानगर	38	9	35	25
कुरूक्षेत्र	21	7	63	26
कैथल	33	13	34	16
करनाल	51	19	59	24
पानीपत	44	24	41	25
सोनीपत	68	27	63	26
रोहतक	37	16	39	17
झज्जर	36	17	49	28
हिसार	34	10	30	13
फतेहाबाद	25	8	19	4
सिरसा	28	12	15	12
भिवानी	59	24	41	13
चरखी दादरी	0	0	8	0
जीन्द	25	10	38	14
गुरूग्राम	87	41	85	25
फरीदाबाद	49	20	51	21
पलवल	38	15	40	16
रेवाडी	51	21	43	20
नारनौल	35	19	28	14
मैवात	40	12	38	17

कुल	866	349	896	381

नोटः जिला चरखी दादरी दिनांक 04.12.2016 को बनाया गया है ।

Construction of Wall

470. Shri Pirthi Singh : Will the Industrial Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the wall between ITI and Rajiv Gandhi Polytechnic College in Narwana City; if so, the time by which it is likely to be constructed?

औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : हां श्रीमान जी, दीवार के निर्माण कार्य का केस निदेशक तकनीकी शिक्षा हरियाणा के पास लम्बित है। कच्चा अनुमानित चिट्ठा लोक निर्माण विभाग हरियाणा के पास विचाराधीन है।

.....

Rahabilitation of Historical Shameshwar Talab

486. Shri Rajdeep Singh: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to rehabilitate the Historial Shameshwar Talab of Charkhi Dadri; if so, the time by which it is likely to be rehabilitated?

स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमति कविता जैन) : हां, श्रीमान जी। चरखी दादरी के ऐतिहासिक शामेश्वर तालाब के पुर्नवास का प्रस्ताव विचारधीन है। 17.27 करोड़ रूपये का एक अनुमान मुख्यमंत्री घोषणा के तहत तैयार किया गया है और इसकी मंजूरी प्रक्रिया में है।

.....

Quantum of Transformer Oil

508. Prof. Ravinder Baliala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the quantum of transformer oil received in the store of Fatehabad Sub- division togetherwith quantum of oil utilized alongwith balance oil in the store during the period from April, 2017 till to date; and

(b) the number of transformers stolen from April, 2017 till to date togetherwith the action taken by the department ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) 01.04.17 से 12.10.2017 तक फतेहाबाद भंडार में 12525 लीटर ट्रांसफार्मर तेल प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, भंडार में 2331 लीटर तेल पहले ही उपलब्ध था। इसमें से, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7794 लीटर ट्रांसफार्मर तेल उपयोग किया गया है और अब भंडार में 7062 लीटर तेल उपलब्ध है।

(ख) फतेहाबाद मंडल में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई ट्रांसफार्मर चोरी हुआ दर्ज नहीं किया गया है।

.....

Up Gradation of Pillu Khera Sub-Tehsil as Tehsil

535. Shri Jasbir Singh Deswal : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgraded Pillu Khera Sub-Tehsil as Tehsil; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Construction of Water Works

539. Shri Hari Chand Middha: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct two large canal based water works for drinking water in Jind City; and

(b) if so, the time by which these are likely to be constructed togetherwith the details thereof ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : (क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) सवाल नही उठता।

.....

Imposition of New Cess

483. Shri Karan Singh Dalal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether any new cess/ fees has been imposed by the Department of Urban Local Bodies; if so, the term/conditions thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां श्रीमान् जी, विभाग ने केवल 30.06.2017 के आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क और लाइसेन्स शुल्क शुरू किया है, जोकि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2016 के तहत लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क इच्छुक पार्टी पर लागू होता है जो विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति हेतु स्वयं को नगर निगम में पंजीकृत करना चाहता है। पंजीकृत एजेन्सी को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम को लाईसेन्स शुल्क का भुगतान करना होता है। आदेश दिनांक 30.06.2017 की प्रति संलग्न है।

प्रति

Haryana Government
Urban Local Bodies Department
Order

The 30th June, 2017

No. 2/4/2017-R II. As per the provision made in the Haryana Municipal Corporation Advertisement (Amendment) Byelaws, 2016 notified on 28/09/2016 and as amended from time to time, the Government of Haryana in Urban Local Bodies Department issues following fee/ charges for Municipal Corporation to be levied on the applicants for permission for display rights for Outdoor Media Devices (OMDs), under the Byelaws:.

1. The owner/ agency shall submit registration fee under Byelaws 3(4) for period of 6 years @ Rs. 5000 in each Municipal Corporation.
2. The registering entity alongwith the application shall submit processing fee under byelaw 5(2)(i) @ Rs. 1000 per OMD and Rs. 5000 in case of number of OMDs are to be installed within a premises (like OMDs in shopping mall or campus) not facing public road.
3. License fee under Byelaw 15 for each OMD type shall be as under:

Typology	Typology Description	License Fee (in Rs/ per square metre)	
A.	**Typology A: OMDs on public transport services / street furniture**		
A1	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) shelters	OMDs on Public transport/ street furniture stated in Typology A is preferably on Private Public Partnership (PPP)/ BOT basis. The selected agency shall bear the cost of construction, operation and maintenance of facility/ infrastructure in lieu of OMD display rights on the same. In case of the infrastructure already developed/ to be developed by any other Department or by an individual not on the land of Municipal Corporation, the Municipal Corporation shall receive 25% of the revenue collected by the Department or an individual company. The license fee for Typology 'A' in case of allotting OMD display right by calling tender shall be determined on the basis of rates for Typology C and D OMDs.	
A2	Bus and IPT route markers		
A3	Foot Over Bridges, toilet blocks and urinals		
A4	Cycle station		
A5	Police booth, parking booth, telephone booth, pre- paid taxi booth, bus/rail booking information booth, drinking water facility, vending kiosks, kiosks outside colonies to facilitate directory / payment of bills etc.		
A6	Sitting bench, garbage bins		
B.	**Typology B: Advertising-OMDs on public transport system**		
B1	Metro/MRTS	Exempted. Display rights of OMD on Metro/ Public Transport shall be given to agency on PPP/ BOT basis for operation and maintenance of Metro/ Public Transport for promoting public transport.	
B2	Traffic barricading	Rs. 3750	
B3	Public Transport Vehicle	Same as B1.	
C.	**Typology C : OMDs on commercial advertising structures on public land**		
C1	OMD on public land	Same as Typology 'C'.	
D.	**Typology D: OMDs on commercial advertising structures on private land**		
D1	Unipoles, billboards, building boards,	Small Portraits	Rs. 3200

	wall wraps, multiple OMDs	Posters	Rs. 3750
		Super 8's	Rs. 3750
		Portraits	Rs. 4300
		Supersites	Rs. 4800
		Spectacular	Rs. 4800
		Gantries	Rs. 4800
		Wall wraps	Rs. 2700
E.	**Typology E: events**		
E1	Temporary events	At venue: maximum number of OMDs allowed are 6 of poster size	Rs. 10000 per OMD
		At other locations identified/ allowed by the Municipal Corporation.	Rs. 30000 per OMD
F.	**Typology F: landscape advertising**		
F1	Tree guards	Same as typology 'A'.	
G.	**Typology G: shop signage**		
G1	Self Advertising	Exempted upto 2% of façade of shop. From 2% to 5% = 50% of rates prescribed as per size in Typology D'. Above 5% shall be considered as wall wrap.	
H.	**Typology H: innovative advertising**		
H1	Innovative advertising	1.5 times the rates stated in Typology 'D' for the sizes	
I.	**Typology I: cinema advertising**		
I1	In-cinema on screen advertising including slides and advertisement films (moving advertisements).	Rs. 25000 per screen per month	
J.	**Typology J: inside commercial buildings and public buildings**		
JI	Inside commercial buildings and public buildings	Rs. 430 for OMDs installed under the roof. Rs. 645 for OMDs installed within premises but in open courtyard. Note: In no case OMDs shall be visible from public road.	
Acknowledgement OMDs		Same as Typology 'A'.	

4. The above stated license fee shall be considered as 'X'. The Municipal Corporations have been categorized below as per their potential and the fee/ charges are applicable as under:

Category	**High Potential**	**Medium Potential**	**Low Potential**
Name of Municipal Corporation	Gurgaon	Faridabad, Panchkula, Sonipat.	Ambala, Karnal, Hisar, Yamuna Nagar, Panipat, Rohtak.
Factor for fees/ charges	'X'	0.75 x 'X'	0.5 x 'X'

5. The license fee shall be submitted by the registered entity in advance on annual basis. Bank guarantee of an amount equivalent to the Quarterly license fee, valid for license period, shall be paid to the Municipal Corporation in advance.

ANAND MOHAN SHARAN
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst no. **2/4/2017-R II** dated: 30th June, 2017

A copy of above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Commissioners of Municipal Corporations in the State of Haryana.
2. The Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula.

-Sd-
Superintendent Committee-I
for Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

.....

To Metal the Un-metalled Passage

475. Shri Om Prakash Barwa : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the un-metalled passage from the Railway Station of Barwa upto Border of district Hisar (Village Talwandi, Badshapur); if so, the time by which it is likely be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान जी।

.....

Enrollment of Unemployment Youth

514 Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A : Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state:-

(a) Whether the unemployed youths are being registered in the Employment Exchanges in the State;

(b) if so, the details of unemployed youth registered in each district at present; and

(c) type of jobs being provided to such registered youths by Government?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्री मान जी,

(क) हाँ।

(ख) विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार युवाओं का जिलावार विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

(ग) माननीय उच्चत्म न्यायलय के द्वारा (CA No. 11646-11724 of 1996 (Arising out of SLP(C) No. 8598-8676 of 1993) titled as the Excise Supritendent, Malkapatnak, Krishna District, Andhra Pradesh V/s K.B.N. Visweshwara Rao & Ors. मे दिए गए निर्णय अनुसार संस्थापनाओं द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य नही है। फिर भी संस्थापनाओं/नियोजकों द्वारा रिक्तियां की अधिसुचना प्राप्त होने पर रोजगार विभाग द्वारा the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies), Act 1959 एवमं नियम मे निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की नौकरियों के लिए नाम भेजे जाते है। सामान्यता विविध प्राप्त की रिक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि सेवादार, चौकीदार, स्वीपर, माली, कैजुयल लेबर, सैनेटरी सुपरवाईजर, स्वास्थय सहायक, वाटर बॉये, चालक, सीक्यूरटी गार्ड, कुक, लिपिक, स्टैनोग्राफर, कम्पयूटर आप्रेटर, टेलर, पैरा मैडीकल स्टाफ, सेल एग्जीकयुटिव, काल सैन्टर कस्टमर केयर एग्जीकयुटिव, वेल्डर, फीटर, मशिनिस्ट, पैरा मैडीकल स्टाफ, इन्जीनियर प्रोफशनल जैसेः मकैनिकल, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीकल इत्यादी।

पारिशिष्ट– I

राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदको की कुल संख्या

(10.10.2017 को पंजीकृत प्रार्थी)

क्र0.स0.	रोजगार कार्यालय	पंजीकृत प्रार्थी
1	अम्बाला	8,924
2	असंध	4,770
3	बहादुरगढ़	8,709
4	बल्लबगढ़	4,772
5	बराड़ा	7,727
6	भिवानी	17,381
7	चरखी दादरी	14,787
8	डबवाली	4,308
9	गुरूग्राम	12,587
10	हिसार	23,622
11	कुरूक्षेत्र	21,885
12	ऐलनाबाद	3,964
13	फतेहाबाद	10,663
14	फरीदाबाद	7,498
15	फिरोजपुर झिरखा	3,174
16	गन्नौर	4,907
17	गोहाना	9,704
18	गुल्हा	3,884
19	हांसी	8,513
20	हथीन	2,498
21	होडल	5,536
22	इन्द्री	5,972
23	झज्ज्र	11,319
24	जीन्द	17,699
25	कालका	3,299
26	कैथल	19,260
27	कोसली	4,277
28	करनाल	23,353
29	लोहारू	4,252
30	महम	6,308
31	महेन्द्रगढ	12,461
32	मोरनी	1,539
33	नारनौल	12,873
34	नरायणगढ़	7,525
35	नरवाना	6,811
36	नुंह	3,429
37	पलवल	6,556
38	पानीपत	20,095

39	पेहवा	4,414
40	पंचकूला	4,411
41	रतिया	2,736
42	रेवाडी	18,071
43	रोहतक	29,020
44	सफीदों	7,307
45	समालखा	6,101
46	सिरसा	14,678
47	सिवानी	2,810
48	सोनीपत	9,807
49	टोहाना	4,956
50	तोशाम	5,419
51	यमुनानगर	30,015
52	राज्य रोजगार कार्यालय	39
53	कुल योग	4,96,625
उपरोक्त आंकड़े विभागीय पोर्टल www.hrex.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों की सख्या पर आधारित हैं।		

To Reconstruct/Renovation The Buildings of Schools

469. Shri Pirthi Singh : Will the Education Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the buildings of the following schools in Narwana Assembly Constituency have been declared unsafe by the Government:-

i) Government Model Sr. Sec. School, Belarkha.

ii) Government Primary School, Bhikhewala,

iii) Government Primary School Dindoli,

iv) Government Primary School Sinsar,

v) Government Primary School, Danoda Kalan,

vi) Government Primary School, Rajgarh Dhobi,

vii) Government Girls Primary School, Dhamtan Sahib,

viii) Government Girls High School, Dharodi,

ix) Government High School, Rajgarh Dhobi,

x) Government Model School, Jajanwala,

xi) Government Model School, Sainthali and

xii) Government Sr. Sec. School, Danoda Kalan and

b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct/renovate the buildings of the above said schools togetherwith the time by which the said buildings are likely to be reconstructed/renovated?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां श्रीमान जी,

(क) यह संच हैकि खण्डनरवाना के 12 राजकीय विद्यालयो के 74 कमरेअसुरक्षित घोशितकिए गए है।इनमेंसेनिम्नअनुसार 33 कमरों के पुनर्निमाण/नवीकरणकी आवष्यकताहैः–

क्रमांक न0	**विद्यालय कानाम**	**जर्जरकमरो की संख्या**	**कमरो की आवष्यकता**
1	राजकीय माडलवरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय बेलरखां	17	8
2	राजकीय प्राथमिकविद्यालय भिखेवाला	6	2
3	राजकीय प्राथमिकविद्यालय डिंडोली	2	2
4	राजकीय प्राथमिकविद्यालय सिंसर	2	0
5	राजकीय प्राथमिकविद्यालय दनोदाकलां	0	1
6	राजकीय प्राथमिकविद्यालय राजगढढोबी	0	0
7	राजकीय कन्याप्राथमिक	4	3

	विद्यालय धमतानसाहिब		
8	राजकीय कन्याउच्चविद्यालय धरोदी	11	0
9	राजकीय उच्चविद्यालय राजगढ ढोबी	1	0
10	राजकीय माडलविद्यालय जाजनवाला	7	0
11	राजकीय माडलस्कूलसैथंली	4	0
12	राजकीय वरिश्ठमाध्यमिक विद्यालय दनौदाकलां	20	17
	कुल योग	**74**	**33**

(ख) सरकार द्वारा खण्ड नरवाना के 12 विद्यालयों के कमरों के पुनर्निमाण/नवीकरण का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। 33 कमरो के पुनर्निमाण/नवीकरण हेतु रुपये 77.55 लाख की आवष्यक प्रशासकीय स्वीकृति सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जारी की जा चुकी है। निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

.....

Shifting of Government Library of Charkhi Dadri

485. Shri Rajdeep Singh Singh: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to shift the Government Library of Charkhi Dadri in any other safe building in view of the unsafe condition of the said building; if so, the time by which it is likely to be shifted?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान जी, पुस्तकालय अस्थाई रूप से खण्ड विकास एंव पचायत कार्यालय में शिफट कर दिया है क्योंकि पुस्तकालय भवन सुरक्षित नहीं था।

.....

Total Electricity Wires

507. Prof. Ravinder Baliala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total electricity wires received in the store of Fatehabad Sub-division togetherwith the total electricity wires installed during the period from April, 2017 till to date;

(b) the total obsolete wires replaced and obsolete wires available in the store; and

(c) the number of new and old transformers in the above said store at present ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) 01.04.17 से 12.10.2017 तक की अवधि के दौरान फतेहाबाद भंडार में 349.517 किलोमीटर बिजली की तारें प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त, भंडार में 282.90 किलोमीटर बिजली की तारें पहले ही उपलब्ध थी। अप्रैल–2017 से 605.62 किलोमीटर बिजली की तारें उपयोग की गई हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 65 किलोमीटर पुरानी तार बदली गई हैं, और 12. 10.2017 तक भंडार में उपलब्ध हैं।

(ग) फतेहाबाद भंडार में विभिन्न क्षमता के 87 नये और 56 पुराने ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं।

.....

To Declare Safidon as District

534. Shri Jasbir Singh Deswal : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Safidon as district; if so, the detail thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी।

Reconstruction of Roads

540 Shri Hari Chand Middha: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the damaged roads of Urban Estate, Scheme no. 5, Scheme no. 6 and Defence Colony in Jind City; and

(b) if so, the time by which these are likely to be reconstructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : (क) हां, श्रीमानजी ।

अर्बन एस्टेट, और डिफैंस कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण के लिए 850.68 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। स्कीम नं. 5, की क्षति ग्रस्त सड़क जोकि सफीदों रोड़ से लेकर जैन स्थानक व महाराजा अग्रसैन स्कूल होते हुए डिवाईडिंग रोड़ तक जाती है, का निर्माण 40.74 लाख रूपये की लागत से माननीय, मुख्यमंत्री घोषणा नं0 18475 दिनांक 07.05.2017 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। स्कीम नं0 6, की सभी सड़के वाहन चलाने योग्य है।

(ख) क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण लगभग 9 महीने में पूर्ण करवाया जाएगा।

.....

Use of Canal Water for Recharging Tubewells

500. Shri Om Parkash Barwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Twan is imposed by the Irrigation Department on canal water used by the farmers to recharge the tubewells when it is not needed for irrigation; and

(b) if so, whether Government intends to allow farmers to recharge tubewells with canal water when it is not needed for irrigation and also provide relief in Twan?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां श्रीमान जी, तवान किसानों पर तब लगाया जाता है अगर नहर का पानी सिंचाई के अलावा अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है । हांलाकि किसानों के द्वारा नहरी पानी से नलकूप रिचार्ज करने के मामले सामान्य नहीं है और इन मामलों में तवान लगाना दुर्लभ है। चालू वर्ष के दौरान केवल लोहारू क्षेत्र में नहरी पानी द्वारा नलकूप रिचार्ज के 2 मामलों में तवान लगाया गया है ।

(ख) नहीं श्रीमान जी, वर्तमान में नहरी पानी द्वारा नलकूपों को रिचार्ज करने की किसानों को अनुमति देने बारे कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

.....

To Metal the Unmetalled Passage

526. Prof. Ravinder Baliala .: Will the PW (B&R) Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Karian to Daulatpur in Ratia Constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां श्रीमान् जी । किन्तु , वर्तमान में समय सीमा का वादा नही किया जा सकता।

.....

To Construct a Sports Stadium

491. Shri Rajdeep Singh: Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in village lmlota of Chaikhi Dadri constituency; if so, the time by

which the construction work of the said stadium is likely to be started?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूँ:–

1. श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

श्री अध्यक्षः अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2016, फरवरी–मार्च, 2017 तथा मई, 2017 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर * राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है।

मार्च सत्र, 2016

* ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016.

अगस्त सत्र, 2016

* श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र विधेयक, 2016.

फरवरी–मार्च सत्र, 2017

हरियाणा निजि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017.

मई सत्र, 2017

1. हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) विधेयक, 2017.
2. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017.
3. गुरूग्राम विश्वविद्यालय विधेयक, 2017.
4. हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक, 2017.
5. भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017.
6. वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, 2017.
7. हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन–भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017.
8. हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017.
9. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2017.

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किये गये विभिन्न कार्यों की समय–सारणी प्रस्तुत करता हूं:–

समिति की बैठक सोमवार, 23 अक्टूबर, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हूई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार, 23 अक्तूबर, 2017 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

मंगलवार, 24 अक्तूबर, 2017 को विधान सभा की पहली बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा विधान सभा की दूसरी बैठक 3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात आरम्भ होगी तथा 7.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

बुधवार, 25 अक्तूबर, 2017 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 23, 24, तथा 25 अक्तूबर, 2017 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

सोमवार, 23 अक्तूबर, 2017 **(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)**	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 5. विशेषाधिकार समिति के दो प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
मंगलवार, 24 अक्तूबर, 2017 (10.00 बजे प्रातः) पहली बैठक	1. प्रश्न काल। 2. (i) वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। (ii) वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) पर, चर्चा तथा मतदान।

2

मंगलवार, 24 अक्तूबर, 2017 **(3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)** **दूसरी बैठक**	विधान कार्य।

बुधवार, 25 अक्तूबर, 2017
(10.00 बजे प्रातः)

1. प्रश्न काल।
2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों।
5. वर्ष 2017–2018 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
6. विधान कार्य।
7. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव पारित हुआ।

.....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे/पुनः रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ :–

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश सं. 1) मेज पर रखेंगे।

गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश सं. 2) मेज पर रखेंगे।

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश सं. 3) मेज पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना/शुद्धिपत्र संख्या जी.एस.आर.4/कांस्ट./आर्ट.320/2017, दिनांकित 27 अप्रैल, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा (वित्तीय स्थापना) में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 की धारा 19 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, हरियाणा (वित्तीय स्थापना) में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियमावली, 2017 से संबंधित वित्तीय विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 51/एच.ए. 32/2014/एस. 19/2017, दिनांकित 18 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 60 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2003 में संशोधन के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/एस.टी–1/एच.ए.6/2003/एस. 60/2017, दिनांकित 14 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/एस.टी–2 दिनांकित 2 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/एस.टी–2, दिनांकित 5 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/एस.टी–2, दिनांकित 19 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/एस.टी–2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/एस.टी–2, दिनांकित 28 सितम्बर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/एस.टी–2, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2015–16 के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.23/कांस्ट./आर्ट.320/2016, दिनांकित 2 अगस्त, 2016 मेज पर पुनः रखेंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.29/कांस्ट./आर्ट.320/2016, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2016 मेज पर पुनः रखेंगे।

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चंद गुप्ता, एम.एल.ए. द्वारा श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध दी गई सूचना पर कि, उन्होंने 29 अगस्त, 2016 को सदन को गुमराह किया तथा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत पूरी राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मंत्रियों की जेब में जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उनके पास इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सदन को गुमराह करने वाला तथा सदन की गरिमा को धूमिल करने वाला है, के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Ghanshyam Dass) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for misleading the House on 29th August, 2016 and he has stated that the 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pocket of Ministers, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I also beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(ii) श्री कुलदी शर्मा, एम.एल.ए. के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चंद गुप्ता, एम.एल.ए. द्वारा श्री कुलदीप शर्मा, एम. एल.ए. के विरूद्ध दी गई सूचना पर कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगाये जो राज्य सरकार के संरक्षण के अधीन अवैध खनन कर रहे हैं। ये सरकार के व्यक्ति हैं। हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां अवैध खनन नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति सदन में बैठे हुए हैं जो इस तरह का अवैध खनन करवा रहे हैं। जब उनको उन व्यक्तियों के नाम उजागर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उनके नाम घोषित करने में अपनी असमर्थत्ता व्यक्त की, के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Ghanshyam Dass) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Kuldip Sharma, MLA for levelling allegations against the such persons who are doing illegal mining under patronage of the State Government. They are government functionaries. There is no any such area in the Haryana

State where the illegal mining is not being done. The people who are sitting in the House, are doing such illegal mining. When he was asked to mention the names of those persons then he expressed his inability to declare their names.

Sir, I also beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विशेषाधिकार समिति के अन्तिम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश में पराली की समस्या के बारे में

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जसविंद्र सिंह संधू, विधायक तथा 4 अन्य विधायकों (सर्व श्री अभय सिंह चौटाला, रामचन्द कम्बोज, बलवान सिंह दौलतपुरिया, तथा वेदनारंग) द्वारा प्रदेश में पराली की समस्या के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–15 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब श्री जसविंद्र सिंह संधू, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ेंगे और इसके बाद संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, श्री रामचन्द्र कम्बोज, विधायक, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, विधायक तथा श्री वेदनारंग, विधायक की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि किसानों को अपनी पराली भारी मात्रा में मजबूर होकर जलानी पड़ती है।

कई वर्षों से चली आ रही इस समस्या का न तो सरकार ने कोई समाधान ही निकाला और दूसरी तरफ किसानों पर पराली जलाने पर केस दर्ज करने शुरू कर दिए। किसानों की यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में न तो वह उसका उपयोग कर सकता और न ही उसका भंडारण कर सकता। जहां किसान भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है उस स्थिति में सरकार को कोई उपाय खोज कर किसानों की पराली को लाभप्रद बनाना चाहिए। महोदय, आज तकनीक उच्च स्तर पर है, ऐसे में किसान की पराली का उपयोग करके उसकी आय बढ़ाई जाए। अतः सरकार शीघ्र से शीघ्र किसानों की पराली खरीदने व उपयोग करने का रास्ता निकाले, जिससे कि किसानों पर केस भी दर्ज न हो और आग लगाने से उसकी जमीन बंजर होने से भी बच सके।

वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में धान की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल लगभग 13.41 लाख हेक्टेयर है जिससे लगभग 69.54 लाख टन धान की पराली उत्पन्न होती है इसी प्रकार गेहूं कि खेती के तहत कुल क्षेत्रफल लगभग 25.58 लाख हेक्टेयर है जिससे 103.52 लाख टन गेहूं की पराली उत्पन्न होती है। चूंकि हरियाणा राज्य में धान की पराली पशुओं के चारे के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती इसलिए इतनी भारी मात्रा में उत्पन्न धान की पराली का निपटान एक गंभीर समस्या है जिसका कि किसान पिछले कई वर्षों से सामना कर रहे हैं यह समस्या खरीफ की कटाई के दौरान और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि किसानों को अगली रबी फसल, गेहूं आलु इत्यादि के लिये अपने खेत तैयार करने होते हैं। आर्थिक प्रोत्साहन, समय की कमी एंव पराली के निपटान की समस्या के कारण राज्य के किसान अल्पकालिक विकल्प के रूप में परमपरागत रूप से भूसे को जलाना ही उचित उपाय मानते हैं। राज्य के 15 प्रमुख धान उपजाउ जिलों में इतनी भारी मात्रा में पराली जलाना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारी पैमाने पर हवा प्रदुषण का कारण बनता है जो कि मानव एंव पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

1. हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं एंव पराली जलाने के मुददे से अवगत है। पराली जलाने के कारण इतनी भारी मात्रा में प्रदुषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों मुख्यतः राजधानी राज्य क्षेत्र में, के मध्यनजर, राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड नियमित रूप से पिछले कुछ वर्षों से इस मुददे कि निगरानी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, के आदेशानूसार अपनी अधिसूचना दिनांक 16/09/2003 के

अर्न्तगत समस्त हरियाणा राज्य में पराली के जलाने पर रोक लगाई हुई है इस समस्या के समाधान के लिये कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, प्रयावरण विभाग तथा नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा अल्पकालिक एंव दीर्घकालिक समन्वित उपाय किये जा रहे हैं।

2. कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार को पांच वर्षिय योजना के अर्न्तगत 1601.57 करोड की परियोजना भारत सरकार को भेजी है जिसके अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए मशीने अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतू 45 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया है इसमें हरियाणा राज्य ने अपने योगदान का प्रावधान करते हुए 30 करोड रूपए की राशि का प्रावधान किया है अतः इस योजना के अर्न्तगत अब राज्य सरकार के पास कुल 75 करोड रूपए की राशि का प्रावधान है।

(i) कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू 11 किस्म के कृषि यन्त्रों का चयन किया गया है जिसके अर्न्तगत अब तक 5162 आन लाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुदान वितरण की प्रक्रिया अभी चालू है अतः दिनांक 16/10/2017 तक 944 फसल अवशेष प्रबन्धन मशीने किसानों को वितरित की जा चुकी हैं।

(ii) विभाग द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग केन्द्र/बैंक की स्थापना हेतू कदम उठाते हुए किसानों के समूह/स्व सहायता समूहों/सहकारी समितियां /कृषक उत्पादक संघों को 25 लाख तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है इन केन्द्रों के द्वारा किसानों को फसल अवशेष कृषि यन्त्र किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगें।

(iii) वर्तमान में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के पास विभिन्न जिलों में 65 जिरोटिल मशीन, 26 हैप्पी सीडर एंव 2 स्ट्रा बेलर उपलब्ध हैं जो कि किसानों को किफायती दरों पर किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किराए की दरें निम्न प्रकार से हैं :–

क्रमांक	मशीन का नाम	किराए की दर	परिवहन दर
1	जीरोटिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील मशीन	1000 रूपये प्रतिदिन 10 घण्टे के लिए	कम से कम 75 रूपए 25 कि0मी0 तक अतः 3 रूपए प्रति कि0मी0 अतिरिक्त दूरी के लिए यदि है तो

	(संख्या 65)		
2	हैप्पी सीडर (संख्या 26)	1000 रूपये प्रतिदिन 10 घण्टे के लिए	कम से कम 75 रूपए 25 कि0मी0 तक अतः 3 रूपए प्रति कि0मी0 अतिरिक्त दूरी के लिए यदि है तो
3	स्ट्रा बेलर (संख्या 2)	500 रूपये प्रतिदिन 5 घण्टे के लिए	कम से कम 75 रूपए 25 कि0मी0 तक अतः 3 रूपए प्रति कि0मी0 अतिरिक्त दूरी के लिए यदि है तो

(iv) कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा उन किसानों को जिन्होने अनुदान पर फसल अवशेष प्रबन्धन मशीने खरीदी हैं एंव वे इन मशीनों को यदी प्रदर्शन हेतु चलाना चाहते हैं उन्हें सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन स्कीम के अर्न्तगत (समैम) स्कीम के अर्न्तगत 4000 रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इसके अर्न्तगत 15 प्रमुख धान उपजाउ जिलों में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतू कुल 18000 हैक्टेयर भूमि में प्रदर्शन किया जायेगा जिसके तहत 7.2 करोड रूपए खर्च किए जायेगें।

(v) कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत फसल अवशेष प्रबन्धन की मशीनों की खरीद हेतु 28 करोड रू0 का प्रावधान किया गया है जो कि किसानों को किराए पर किफायती दरों/मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(vi) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिनांक 10/11/2016 के आदेशों की अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा चौधरी चरण सिहं हरियाणा कृषि विश्वविधालय, हिसार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें फसल अवशेष प्रबन्धन की समस्या हेतू समाधान पर चर्चा की गई इस कार्याशाला में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, उदमियों तथा सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया अतः इस कार्यशाला के निर्णयों पर कृषि एंव अन्य विभागों द्वारा अमल किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू दिये गये समाधानों में से एक प्रमुख समाधान जो कि *''फसल अवशेषों को बायोचार तथा जैविक खाद जो कि पौषक तत्वों से भरपूर होती है को बढावा देना चाहिए''*

(vii) कृषि विभाग हैप्पी सीडर मशीन को बढावा दे रहा है जो कि फसल के अवशेषों को मिटटी में मिलाने तथा इसकी उपजाउ क्षमता को बढाने में सहायक है चालू वितवर्ष 2017–18 के अर्न्तगत किसानों द्वारा आनलाईन आवेदन अनुसार 231 हैप्पी सीडर की मांग प्राप्त हुई है जो कि गत् वर्ष में दिए गए हैप्पी सीडर की संख्या, 68 से कहीं अधिक है, जो कि किसानों में हैप्पी सीडर की स्वीकारता दर्शाती है।

(viii) किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने हेतू विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अर्न्तगत इस वर्ष अप्रैल 2017–18 से अभी तक 3453 जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है इसके अतिकरक्त कृषि प्रबन्धन मशीनों को किसानों में प्रचलित करने हेतू '' कृषि यन्त्र मेलों'' का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है जिसका आरम्भ जिला अम्बाला से दिनांक 20/09/2017 से किया गया।

3. हरेडा, नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा बायोमास पावर प्रोजैक्टस को नवीकरणीय उर्जा शक्ति नीति के अर्न्तगत बढावा दिया जा रहा है वर्तमान में 79.91 मेगावाट क्षमता की बायोमास विधुत परियोजना स्थापित की गई है जिसमें से तीन परियोजनाओं की लगभग 25 मेगावाट बिजली स्टेट ग्रीड को एच इ आर सी की निर्धारित दरों पर बेची जा रही है। हरेडा ने 1.75 लाख टन की धान की पराली को चालू पावर पलांटों में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न की है।

(i) पराली जलाने की समस्या के समाधान एंव धान की पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजनाओं को बढावा देने के लिए हरेडा द्वारा प्रमुखतः 6 जिलों करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, जीन्द एंव फतेहाबाद के लिए प्रस्ताव हेतू अनुरोध की मांग की है। इन परियोजनाओं के तहत 5.5 लाख टन धान की पराली की खपत की जाएगी। अतः इसकी क्षमता का लक्ष्य दूसरे चरण में 11 लाख टन करने का लक्ष्य है।

(ii) हरेडा द्वारा बायोमास नीति तैयार करने की प्रक्रिया जारी है जिसका उददेश्य बायोमास आधारित बिजली/बायोगैस/बायो सी एन जी/बायो मैन्योर/बायो इन्धन आदि। हरेडा द्वारा बायोमास आधारित बिजली पैदा करने हेतू स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जा रहे हैं

शुरूआत में 500 किलोवाट से 5 मैगावाट क्षमता तक के पलांटों को राज्य में स्थापित करने हेतू स्वीकृति दी जायेगी।

(iii) उपरोक्त दर्शाए गए प्रयासों के अतिरिक्त जैविक खाद, इथेनाल, कार्डबोर्ड, धान/गेहूं अवशेष आधारित कारखानों को इण्डियन आयल कार्पोरेशन, एन टी पी सी, हरेडा एंव उधोग विभाग के माध्यम से स्थापित करने हेतू प्रयास किये जा रहे हैं।

4. जहां तक की किसानों पर जुर्माना लगाने का प्रशन है राज्य सरकार माननीय एन जी टी के आदेश दिनांक 10/12/2015 पैरा 14जी की अनुपालना कर रही है जो कि निम्न प्रकार से हैः–

''14जी'' सभी राज्य जिन्होने अधिसूचना जारी करके फसल अवशेषों को जलाने पर रोक लगाई है वह ये सुनिश्चित करें कि अधिसूचना सख्ती से अमल में लाई जाए एंव दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। कोई भी व्यक्ति ओर संस्था इन निर्देशों का पालन नहीं करेगी उसे निम्नलिखित प्रकार से पर्यावरण दण्ड देना होगा :–

- छोटे भूमि धारक जिनके पास 2 एकड से कम भूमि है, को 2500 रू0 प्रति घटना पर्यावरण दण्ड के रूप में देने होगें।
- भूमि धारक जिनके पास 2 एकड से ज्यादा एंव 5 एकड से कम भूमि है, को 5000 रू0 प्रति घटना पर्यावरण दण्ड के रूप में देने होगें।
- भूमि धारक जिनके पास 5 एकड से ज्यादा भूमि है, को 15000 रू0 प्रति घटना पर्यावरण दण्ड के रूप में देने होगें।''

उपरोक्त अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मैजिस्ट्रेट को उपरोक्त आदेशों को उनके सम्बन्धित जिला में लागू करने हेतू निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में पराली जलने से रोकने एंव किसान जो कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करेगें उनसे पर्यावरण *दण्ड* वसूलने हेतू टीमों का गठन किया गया है।

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, जितना किसान को अपनी जमीन के बारे में चिंता है, उससे ज्यादा चिंता किसी को नहीं हो सकती है। यह धरती किसान की माँ है। अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों के जरिए और विभिन्न चैनलों के जरिए कई कृषि अधिकारी किसानों को समझाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसान भली–भांति समझता है कि पराली जलाने से उसकी जमीन की गुणवत्ता में कमी

आती है, यह उन्हें अच्छी तरह से पता है। अध्यक्ष महोदय, इन किसानों की समस्या को हल करने के बजाए इनके ऊपर निराधार मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन किसानों के ऊपर 15–15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई राहगीर खेत के रास्ते आता–जाता है और वह बीड़ी या सिगरेट पीते हुए जाता है, जिससे किसी कारणवश स्पार्क होकर खेत में आग लग जाती है तो जिस किसान के खेत में आग लगती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसकी कोई दलील और अपील नहीं सुनी जाती है तथा उसके ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। ये प्रदेश के किसानों के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों को हर तरह से खाद, महंगाई, डीजल, कीटनाशक दवाइओं की कीमत बढ़ाकर मारा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल बढ़ाने के ऊपर जो आर्थिक बोझ है, वह बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके फसलों के भावों को बढ़ाया नहीं जा रहा है। इस तरह से जो निराधार बातें किसान के ऊपर हो रही हैं, इसके लिए सरकार को चाहिए कि इस पर सरकार चर्चा करे और इस काले कानून को हटाए। यह जो सरकार का तुगलकी फरमान है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले किसानों को यह सुनिश्चित कराया जाए कि वह उस पराली का क्या करे। आज मात्र कहने की बात है कि 1 या 2 मशीन हर जिले में होती है जिनमें कुछ प्राइवेट मशीन भी है। किसान इंतजार करता रहता है और बार–बार विभाग को फोन करता है कि हमारे खेत से पराली को उठाकर ले जाएं, क्योंकि किसानों को आगे गेहूं की बुआई भी करनी होती है और पराली न उठाने की वजह से उसका वक्त भी खराब होता रहता है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अध्यक्ष महोदय, इन किसानों की परेशानियों को देखते हुए, जब तक पराली उठाने का कोई परमानेंट हल नहीं निकलेगा, तब तक यह जो किसानों के ऊपर निराधार प्रावधान लागू करके किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और भारी–भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है इन आदेशों को सरकार को वापस लेना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, किसानों द्वारा अपने खेत में पराली को जलाने के सम्बन्ध में यहां पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और सरकार की तरफ से हर बार यही कहा गया है कि सरकार के स्तर पर इसका कोई न कोई समाधान किया जायेगा। जिस कोर्ट ने इस आशय का आदेश पारित किया है उसने भी

अपने आदेश में यह कहा है कि जो छोटा किसान है उसकी जो पराली की समस्या है उसका समाधान सरकारी स्तर पर होना चाहिए। अगर कोई चार–पांच एकड़ से ज्यादा पराली जलाता है उसके लिए या तो सरकार अपनी स्तर पर मशीन मुहैया करवाये या सरकार उसको मशीन खरीदने के लिए कोई न कोई सबसिडी दे। इस परपज़ के लिए जो मशीन है उसकी कीमत सात से 10 लाख रूपये है और उसके ऊपर सरकार की तरफ से महज़ 50 हज़ार रूपये की सबसिडी दी जा रही है। आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश के किसान के जो हालात हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश का किसान भारी कर्ज़ में डूबा हुआ है वह भी जगजाहिर है। सरकार द्वारा पिछले तीन साल से किसान को बाज़ार में लगातार लूटा जा रहा है। किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम नहीं दिये जा रहे है। यह केवल इस वर्ष की बात नहीं है बल्कि पिछले तीन सालों से यही सिलसिला कंटीन्यू चला आ रहा है। जो हरियाणा प्रदेश का धान उत्पादक किसान है सरकार ने उसको नमी के नाम पर लूटने का काम किया है। सरकार द्वारा उसकी फसल की निर्धारित कीमत में से 250 से 300 रूपये प्रति क्विंटल केवल मात्र नमी के नाम पर काटे जा रहे हैं। अगर सरकार ने इस प्रकार की लूट नहीं मचायी होती तो किसान द्वारा इस पैसे से और इस प्रकार के कोई दूसरे संसाधन जुटाकर इस मशीन को खरीदने की सम्भावना हो सकती थी ताकि वह उस मशीन का सही ढ़ंग से फायदा उठा सकता लेकिन आपकी सरकार ने किसानों को पहले से ही कमजोर कर दिया है। आपकी सरकार ने लगातार किसान की आर्थिक स्थिति को बदतर करने का काम किया है। इतना ही नहीं ऊपर से उसको यह भी कह दिया गया कि अगर किसी किसान ने पराली जलाई तो उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज़ किया जायेगा और मुकद्दमा दर्ज़ करके उससे 3000 रूपये जुर्माने के तौर पर वसूले जायेंगे। अगर किसान अपने खेत की पराली को निकालने के लिए मज़दूर लगाता है तो उसके ऊपर 10 हजार रूपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। अगर वह उसको जला देता है तो उसको उसके दो से तीन नुक्सान होते हैं। पहला तो यह जैसा सरदार जसविन्द्र संधू जी ने बताया कि ऐसा करने से उसकी जमीन की गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा उसके ऊपर इस बात का दबाव है कि अगर वह पराली जलाता है तो उसके खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज़ होगी फिर मुकद्दमा दर्ज़ किया जायेगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। केवल पराली जलाने की ही समस्या नहीं बल्कि हमारे

प्रदेश के किसानों के लिए तो इस सरकार ने पिछले तीन वर्ष में और भी बहुत बड़ी समस्यायें खड़ी करने का काम किया है। मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वे पिछले तीन साल के दौरान ऐसा एक भी मौका बतायें जिस पर उन्होंने किसानों के हितों के लिए कोई काम किया हो। इस बार तो सरकार के स्तर पर यह एलान भी कर दिया गया है कि अगर किसी गांव में किसी किसान द्वारा पराली जलाई गई तो उस गांव के सरपंच को तुरन्त प्रभाव से ससपैंड कर दिया जायेगा। यहां सरकार को यह बात भी समझ में आनी चाहिए थी कि अगर कोई अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे सरपंच किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता क्योंकि वह उसका अपना खेत नहीं है। जिस किसान को अपनी अगली फसल के लिए अपनी जमीन को तैयार करना है और उसके पास पराली का किसी दूसरी प्रकार का बंदोबस्त करने का साधन नहीं है तो वह अपने खेत की पराली जलाने के बारे में सोचेगा चाहे इसके लिए उसे 3000 रूपये जुर्माना ही क्यों न देना पड़े क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिंता उसे अपनी अगली फसल की होती है कि उसकी बिजाई में किसी प्रकार की देरी न होने पाये। सरकार इसके लिए सरपंच को ससपैंड करने के तुगलकी फरमान जारी कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने तीन बार हरियाणा प्रदेश को जला दिया है क्या इसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी ससपैंड नहीं किया जाना चाहिए? उनको अब तक किसलिए बिठाया हुआ है? इसके लिए सबसे पहले सरकार के स्तर पर यह बेहद जरूरी है कि किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कोई अच्छा इंतज़ाम करे जिससे कि किसानों की पराली को खेत से बाहर निकाला जा सके। यह इंतजाम करने के बजाये सरकार द्वारा किसान को इसके लिए मज़बूर नहीं किया जाये। जबकि हकीकत यही है कि ऐसा नहीं करके किसानों पर मुकद्दमें दर्ज़ किये जा रहे हैं और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। होना तो यह चाहिए कि सरकार इसके लिए अपने स्तर पर पर्याप्त और सुगम इंतज़ाम करे और किसानों पर किसी प्रकार के मुकद्दमें दर्ज़ नहीं किये जाने चाहिएं, न ही उससे जुर्माना वसूला जाना चाहिए और न ही इसके लिए उसको बार–बार धमकाया ही जाना चाहिए क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो वह बहुत ही गलत बात है और किसी भी जनकल्याणकारी सरकार को ऐसा करना किसी भी दृष्टि से शोभा नहीं देता है। आपकी सरकार ने तो किसानों को पहले ही बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का

लगातार कम मूल्य दिया जा रहा है और जो भाव दिया भी जा रहा है उसमें से भी मॉयस्चर के नाम पर कटौती की जा रही है। इस बार किसान के बाजरे का भाव 1425 रूपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके विपरीत किसान को अपना बाजरा 1000 रूपये प्रति क्विंटल से 1100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने को मज़बूर किया जा रहा है। प्रदेश की मंडियों में सरकार के मंत्रियों ने जाकर यह ऐलान किया कि किसान के बाज़रे का एक–एक दाना खरीदा जायेगा लेकिन इसके बावजूद भी मण्ड़ियों में पैर रखने की भी जगह नहीं है और हर जगह बाजरा ही बाजरा भरा पड़ा है और सरकार की तरफ से कोई खरीदने वाला नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है कि मौजूदा सरकार की कारगुजारियों के कारण व्यापारी और किसान दोनों ही सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। वे दोनों ही कह रहे हैं कि सरकार ने उनको ऐसा आश्वासन दिया कि वे दोनों ही फंसकर खड़े हो गये हैं। पहले सरकार द्वारा व्यापारियों को टोकन दे दिये गये और यह कह दिया गया कि वे बाजरा खरीद लें लेकिन अब अधिकतम केवल 75 क्विंटल बाजरे की ही सरकारी खरीद की गई है जबकि बाजरा उत्पादक किसानों का अधिकतर बाजरा आज भी मंडियों में सरकारी खरीद का इंतज़ार कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप कृपया करके पराली से सम्बंधित विषय पर ही बोलें। बाजरे के विषय पर बोलने के लिए आपको अलग से समय दिया जायेगा लेकिन अभी क्योंकि पराली के विषय पर बात हो रही है इसलिए आप कृपया उसी विषय पर अपने विचार रखें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं इस विषय को इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि यह विषय भी किसान से जुड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर किसानों की पूरी फसल की खरीद उचित दामों पर सरकार द्वारा सही तरीके से की जाती तो किसान पराली के लिए उपयोग होने वाली मशीन को खरीदने का इंतज़ाम कर सकता था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार द्वारा बाजरे की खरीद के सही बंदोबस्त किये जाते तो इससे 4 से 5 एकड़ धान की खेती करने वाले किसानों में बाजरे की फसल के प्रति स्वाभाविक झुकाव होता क्योंकि वह बाजरे के भूसे को तो निकालने का प्रबंध कर सकता है और इसमें उसे पराली जितनी परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। इन्हीं कारणों से मैंने इस विषय को यहां पर उठाने की जरूरत समझी थी लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको चारों तरफ से मार डालकर उसको इतना बर्बाद कर दिया कि

इस बार बेचारे किसानों की दीवाली भी मार दी गई। किसान धनतेरस और दीवाली पर कोई नई चीज़ खरीदता है और उसे अपने घर में लाता है लेकिन आपने उसके बाजरे की फसल को मण्डी में डाल दिया और उसका खरीददार कोई न नहीं। इसलिए हमारे प्रदेश का बाजरा उत्पादक किसान पूरी तरह से परेशान है। मैं मण्डियों में गया तो वहां पर मैंने यह हैरान करने वाली बात देखी कि किसानों के साथ–साथ व्यापारी भी रो रहा है कि मौजूदा सरकार ने उनकी दीवाली को भी मार दिया है। कहने का मतलब यह है कि हमने इस प्रकार की सरकार पहली दफा देखी है कि जो किसान को उजाड़ने के साथ–साथ व्यापारी को भी उजाड़ने का काम कर रही है। इस पराली की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरकार को प्रॉयरटी पर निभानी चाहिए क्योंकि सर्वप्रथम तो यह सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह इसके लिए स्वयं मशीनें खरीदे और उस मशीन को खरीदकर किसान की पराली की समस्या का समाधान करे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को यह कह रहा था कि किसान के खेत की पराली को कैसे उसके खेत से बाहर निकालकर उसके खेत को अगली फसल की बुआई के लिए तैयार करवाने में उसकी मदद की जाये। सरकार को इसके लिए अपने स्तर पर पूरे इंतज़ाम करने चाहिए न कि किसानों को बार–बार तरह–तरह से थ्रैट किया जाये।

श्री राम चन्द्र कम्बोज़ : स्पीकर सर, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र रानिया है उसमें मोस्टली बासमती धान की बिजाई होती है। जो बासमती की वैरायटी है उसकी कटाई परमल धान की कटाई के 15 दिन बाद ही शुरू होती है। कृषि विभाग हरियाणा भी यही कहता है कि प्रदेश में गेहूं की बिजाई का जो सबसे अच्छा समय है वह 01 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच में होता है। इस प्रकार से बासमती धान उत्पादक किसानों के पास बहुत ही कम समय होता है जिसमे वे अपनी धान उठाकर अपने खेत को गेहूं की बिजाई के लिए तैयार कर सकें। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके पास बहुत ही कम समय होता है जिसमें या तो वह अपने खेत को गेहूं की बिजाई के लिए तैयार करेगा या फिर पराली को निकालने की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि पिछले साल प्रदेश के अध्यापक जिनकी ड्यूटी बच्चों को शिक्षा देने की होती है मेरे सिरसा जिले में उनकी यह ड्यूटी लगाई गई कि वे गांव–गांव के खेत–खेत में जाकर किसानों को इसके प्रति

जागरूक करेंगे वे अपने खेतों में धान की पराली न जलायें। पिछले साल भी माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जैसे पानीपत में इथेनॉल का प्लांट तैयार हो रहा है उसी प्रकार से मेरे जिले में भी व्यवस्था करवाई जायेगी। मैंने उस समय यह पूछा था कि क्या ब्लॉक लैवल पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था करवाये जाने की सरकार की योजना है? अर्थात क्या ब्लॉक लैवल पर भी सरकार द्वारा इथेनॉल का प्लांट लगवाने की योजना तैयार करवाई जा रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में भी इस प्रकार के प्लांट्स प्राईवेट कम्पनीज़ द्वारा लगवाये गये हैं जो कि पूरी तरह से सक्सैसफुल हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दो–तीन सालों से केवल किसानों के चालान काटने का ही काम किया जा रहा है। जो मचलर हैं, रूटावेटर हैं या फिर हैपीसीडर हैं वे सिर्फ नाममात्र के ही हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से किसानों को मुहैया करवा दिये गये हैं। अगर मंत्री जी धरातल पर जाकर इसकी छानबीन करेंगे तो इनको पता चलेगा कि इस प्रकार का एक भी यंत्र नहीं है जो किसानों की बासमती वैरायटी की पराली को गलाकर गेहूं की बिजाई को समय पर करवाने में सहायक सिद्ध हो पाया हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और ऑनरेबल एन.जी.टी. ने दिनांक 10.12.2015 को हरियाणा सरकार और फॉमर्ज़ के लिए इंसट्रक्शंज़ दी हैं कि जिन किसानों के पास दो एकड़ से पांच एकड़ के बीच जमीन हैं उनसे 5000/– रूपये लेकर उसको मशीन उपलब्ध करवाये लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार का कोई भी यन्त्र हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है जिससे किसान पराली को गला सके। इसके अलावा जहां तक पराली को खेत से बाहर निकालकर एक जगह इक्ट्ठा करने की बात है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार द्वारा कोई विशेष स्थान निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह कोई 10–20 एकड़ की पराली नहीं है जो किसी जगह पर इक्ट्ठी हो जायेगी। यह पूरे इलाके की पराली है और इस पूरे इलाके की पराली के लिए कोई न कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी ताकि किसान अपनी पराली उठा कर एक जगह पर निकाल सकें। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे यह पराली गौशालाओं के लिए उपयोग में लाई जा सके क्योंकि गौशाला भी किसान ही चलाते हैं उसके लिए तूड़ी तथा चारा इत्यादि देते रहते हैं। उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। पिछली बार सदन में यह बात आई थी कि हरियाणा सरकार की तरफ से

गौशलाओं को कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता है। सरकार अगर कोई ऐसा प्रावधन कर दे या कोई कानून बना दे जिससे यह पराली गौशालाओं के लिए उपयोग में लाई जा सके तो हरियाणा इस प्रकार का कानून बनाने वाला पहला प्रांत होगा। सी.टी.एम. की तरफ से सरपंचों और ग्राम सचिवों को बुला कर यह दबाव बनाया जाता है कि अगर चालान कट गये तो सरपंच भी सस्पैंड होगा और ग्राम सचिव भी सस्पैंड होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के तुगलकी और तानाशाही फरमान जारी न किये जायें तथा किसानों को मारने का काम न किया जाये। विशेष रुप से जो मेरा सिरसा जिला है जहां बासमती की वरायटी होती है वहां किसानों के लिए पराली को इकट्ठा करने के लिए कोई बोनस का प्रावधान किया जाये ताकि किसान अपनी पराली को गला सकें। मुझे पता चला था कि हरियाण सरकार पराली को डिस्पोज्ड ऑफ करने के लिए कुछ यंत्र खरीदने के बारे में विचार कर रही है लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस बारे में मेरी उपायुक्त सिरसा से बात हुई थी उन्होंने बताया कि अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से इस तरह का कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है। मेरी यही मांग है कि बढ़िया यंत्र उपलब्ध करवाये जायें क्योंकि फोरेन कंट्रीज में पराली को इकट्ठा करके गांठें बनाने के बहुत बढ़िया यंत्र हैं। हरियाणा सरकार को भी इस प्रकार की मशीनें खरीदनी चाहिएं जिससे किसानों की पराली भी इकट्ठी हो जाये और बिजाई भी समय पर हो सके तथा किसानों का नुकसान भी न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री इस बारे में जवाब दें।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज पराली किसानों के लिए गले की फांस बन चुकी है। किसान के सामने दो मुद्दे हैं एक तो रोटी का मुद्दा और दूसरा प्रदूषण का मुद्दा है वह कौन से मुद्दे को चुने तो वह रोटी को चुनना चाहता है। इस पराली के मामले में पिछले दिनों सी.एम. साहब जब फतेहाबाद गये तो हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था हमने उनसे कहा था कि हमारा यह पैडी का एरिया है, कल को किसान पराली जलायेंगे तो आप नोटिस देंगे इसलिए इस समस्या का कोई समाधान करो लेकिन सी.एम. साहब पूरी तरह से चुप्पी साध गये। उसके बाद 9 अक्तूबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य

मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी वहां पर गये थे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल इनसे मिला तो इन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा वकील बन कर सी.एम. साहब से आपकी लड़ाई लड़ूंगा लेकिन आज तक पता नहीं कि बेदी साहब ने किसानों की कौन सी लड़ाई लड़ी है। पराली के बारे में कुछ किया है या नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और किसानों के ऊपर अनाप–शनाप तुगलकी फरमान करती है, कभी उनको नोटिस देती है और कभी उनको पुलिस से डराने का काम करती है। कभी पटवारी भेजती है तथा कभी मास्टरों की ड्यूटी लगाती है। सरकार को उसका समाधान करना चाहिए क्योंकि सिर्फ पराली से ही प्रदूषण नहीं फैलता है। हमारे एरिया में घग्गर नदी जाती है उससे भी बहुत प्रदूषण फैलता है लेकिन सरकार उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी दशहरे के अवसर पर गये थे तब लोगों ने लाखों की संख्या में पटाखे फोड़े थे उस समय किसी ने प्रदूषण की बात नहीं की । इसी तरह से और भी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है लेकिन जब किसान एक एकड़ में पराली जलाता है तो उस समय उनको प्रदूषण याद आता है। अगर सरकार वास्तव में जिस प्रकार से धनखड़ साहब कह रहे थे कि तथ्यों पर बात चलेगी, झूठी बात नहीं चलेगी और सरकार किसान हितैषी है। अगर सरकार किसान हितैषी है तो इनको बताना चाहिए कि सरकार ने पराली के लिए क्या किया है। अगर सरकार किसान हितैषी है तो मार्केटिंग बोर्ड किसानों से चलता है, अगर मार्केटिंग बोर्ड किसानों को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे तो किसान पराली का प्रबंध अपने आप करेंगे या मनरेगा की लेबर लगा कर पराली को निकालने का सरकार प्रबंध करे। इसके अलावा 8–10 गांवों का परचेज सैन्टर बनाया जा सकता हैं या फरसी कांटा लगाये तथा विभाग के किसी आदमी की जिम्मेदारी लगाये और सरकार पराली को खरीदे तथा उसको गौशालाओं में भेजे या कहीं और भेजे क्योंकि सरकार गौ–भक्त होने का ढिंढोरा बहुत पीट रही है। शायद इस बहाने गऊओं का भी कहीं न कहीं भला हो जाये। सरकार किसानों से पराली खरीद ले तो किसानों का भला हो जायेगा और गऊओं का भी भला हो जायेगा या सरकार कोई गत्ता फैक्ट्री लगाये या कम्पोस्ड से संबंधित कोई खाद का कारखाना लगाये ताकि किसान की समस्या का समाधान हो जाये। इसी तरह से इस मामले में जो भी प्रोग्रैस रिपोर्ट है उसके बारे में मंत्री जी बतायें क्योंकि मंत्री जी सोचते हैं कि जितना ज्यादा ऊंचा बोलेंगे उतने ही ज्यादा किसान हितैषी होंगे लेकिन धरातल

पर काम करना पड़ेगा। इन तीन सालों में जितनी किसान की दुर्दशा हुई है उतनी शायद पिछले 100 सालों में नहीं हुई होगी। धनखड़ साहब बतायें कि पराली के बारे में किसानों के लिए सरकार ने क्या–क्या काम किया है, किसानों को पराली की समस्या से किस तरह से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से बेदी साहब भी कह रहे थे कि मैं आपका वकील बन कर सी.एम. साहब की अदालत में आपकी लड़ाई लड़ूंगा तो वे भी बता दें कि सी.एम. साहब से उन्होंने कौन सा आश्वासन दिलवाया है। हमारे किसानों ने तो आज भी लाखों की संख्या में इकट्ठे हो कर डी. सी. साहब को ज्ञापन दिया है, धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पराली के लिये पॉल्यूशन बोर्ड या सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया है उसके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि पराली के जलने से कितना प्रतिशत पॉल्यूशन हुआ है ? वह कितना प्रतिशत पॉल्यूशन है जिसके ऊपर सरकार व एन.जी.टी डंडा लेकर खड़ी हो गई है । क्या यह तथ्य नहीं है कि पुराली के जलने से पॉल्यूशन केवल 5 प्रतिशत है जबकि 65 प्रतिशत पॉल्यूशन और अलग चीजों से है । सिर्फ 5 प्रतिशत पॉल्यूशन के पीछे सरकार एक गरीब किसान को मारने पर तुली हुई है । अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपने जवाब में हमें यह जरूर बताएं कि कितना प्रतिशत पॉल्यूशन पराली जलाने में है और कितना प्रतिशत दूसरी चीजों से है ताकि इससे हमें संतुष्टी मिल सके ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री जसविन्द्र संधू, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री रामचन्द कम्बोज, श्री बलवान सिंह और श्री प्रमेन्दर सिंह ढुल इन सभी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मुद्दा उठाते समय कुछ बातों को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है । यह सारा मुद्दा एक तरह से चार बिन्दुओं में फंसा हुआ है । जैसे आखिर में श्री प्रमेन्दर जी ने पॉल्यूशन की चिन्ता की है । यह समय ऐसा होता है जब मौसम बदलता है और हमारे बहुत सारे इलाकों में ब्लैक क्लाउड्स जैसा वातावरण बन जाता है तो कहीं न कहीं इस प्रकार की संवेदनशीलता सैंसटिविटी बनी हुई है जिसमें पराली जलाने का भी उसमें कुछ हाथ है । अब यह मात्रा के अलग–अलग अध्ययन हैं कि पॉल्यूशन फैक्ट्रियों से भी है, पॉल्यूशन भट्ठों से भी है, पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट से भी है और पॉल्यूशन पराली जलाने से भी है । बल्कि दीवाली के पटाखों का विषय भी इस बार देश में एक बड़ा विषय बना है जो आपकी जानकारी में है । इसलिए एक कंसर्ड यह भी है कि

मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य की सांस लेने की क्षमता किस प्रकार से प्योर रहे, सवाल यह है और इसी सवाल की वजह से इसको तुगलकी फरमान और कई शब्द मेरे साथी विधायकों ने दिये है वह ऑर्डर सरकार का नहीं है । वह ऑर्डर कोर्ट का है, एन.जी.टी. का है । लेकिन वह इस बात को सदन में कह सकते हैं अगर वह बाहर कहेंगे तो शायद उनको कठिनाई होगी क्योंकि कोर्ट के आदेश से यह कार्रवाई करनी पड़ रही है । एन.जी.टी. के आदेश से करनी पड़ रही है लेकिन हमारा यहां एक अधिकार है कि हम कह सकते हैं । अतः वह इस तरह का आदेश हरियाणा सरकार का नहीं है । वह कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश की अनुपालना करना सरकार का दायित्व है । इसलिये किसान इन चीजों में फंसा हुआ है कि उसके पास अलग–अलग तीन चीजें हैं । एक है कि वह पराली को जला कर सस्ते में निप्टान कर लेता है । उसमें किसान की कोई पूंजी नहीं लगती और यह बिल्कुल सही बात है जिसमें मेरे विभाग का आंकलन भी यह है कि अगर किसान को उस पराली का निप्टान बिना जलाए करना है तो उसकी लागत 1500–1600 रूपये प्रति एकड़ के आस पास पड़ती है । किसान अपने 1500–1600 रूपये बचाने के लिये वह इस पराली जलाने के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है । मैं इसमें श्री जसविन्द्र संधू जी की प्रसंशा करूंगा कि इन्होंने बहुत ही मार्मिकता के साथ यह बात कही कि हम अपनी भूमि को उशर बनाए जा रहे हैं । उसकी उर्वरा शक्ति को समाप्त किये जा रहे हैं । उस भूमि को हम उशर बनाए जा रहे हैं । हम अपनी भूमि को बंजर बनाए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, किसान अपने खेत में आग लगा कर दस गुणा नुकसान करता है । इसलिये इसका अध्ययन भी आवश्यक है । किसान अपने खेत में आग लगा कर उसमें जितने तत्व होते हैं जैसे फासफोरस है, पोटाशियम है, सलफर है उन सभी को जला देता है। इसका एक अध्ययन हुआ है जिसमें उस सारे की कीमत 5169 रूपये है । एक बार आग लगाने से जैसे हम किसी भी चीज का बीमा कराते हैं और एक साल में उसका डैप्रिसियेशन निकालते हैं वही यह आग लगाने का डैप्रिसियेशन है और यह केवल कैमिकल का है । उसका जो ऑर्गेनिक मैटीरियल है वह दस हजार रूपये से ज्यादा का है । उसकी राशि केवल दस हजार रूपये है ऐसा नहीं है । उसको अगले दस साल तक पूरा नहीं किया जा सकता । जो मृदा है और जिसको सॉयल कहते हैं वह नॉनरिन्यूबल रिसोर्स है और यह नॉनरिन्यूबल रिसोर्स वर्षों में जाकर पूरा होता है । इसलिये इसके टाईम पीरियड की कोई गारंटी नहीं ले सकता । वह जितना बड़ा नुकसान है

उसको मैं हाउस के सामने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहना चाहता हूं । यह ठीक है कि किसान को पराली के निप्टान के 1500–1600 रूपये प्रति एकड़ पड़ते हैं लेकिन खेत में आग लगाना अपनी धरती मां के गर्भ में आग लगाने के बराबर है । यह बात हाउस के रिकॉर्ड पर लाईये क्योंकि यह बात सभी जगह पर जानी चाहिए । हम जमीन पर आग लगाकर एक तरह से जमीन की उर्वरा शक्ति ही समाप्त करते जा रहे है और जमीन को बंजर बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश की खेती योग्य भूमि में जहां तक आर्गेनिक मैटर की बात है तो कुछेक इलाकों में तो यह चार प्रतिशत के कमतर स्तर तक पहुंच चुका है। आज प्रदेश की खेती योग्य भूमि में जहां तक आर्गेनिक मैटर का आंकड़ा है तो वह 20 से 4 प्रतिशत तक के आंकड़े के बीच खड़ा दिखाई देता है। मान लो यदि यह आंकड़ा जीरो हो जाता है तो चाहे कितने भी कैमिकल्ज या फर्टिलाईजर्स का हम खेती में उपयोग कर लें, ऐसी हालत हो जायेगी कि किसी भी सूरत में हम खेती नहीं कर पायेगें। पराली जलाने से जहां एक तरफ वायु प्रदूषण होना चिंता का विषय बनता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाये रखना भी हमारे समक्ष किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती चली गई तो निःसंदेह बहुत बड़ा भारी संकट हरियाणा प्रदेश के समक्ष खड़ा होने वाला है। हरियाणा प्रदेश जिसको देश के अन्न के कटोरे के रूप में जाना जाता है, जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होने से प्रदेश को बहुत भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र हाउस का सबसे बड़ा चिंता का विषय यह होना चाहिए कि हम कैसे जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचायें। हमारा कृषि विभाग बराबर इस दिशा में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है कि कैसे एक बार खेती योग्य भूमि पर आग लगाने से प्रति एकड़ कम से कम 15000 रूपये का नुकसान होता है। हमारा विभाग लगातार प्रदेश के किसानों तक यह बात पहुंचाने के लिए अग्रसर है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में इंट्रप्ट कर रहा हूँ लेकिन इस समय मुझे अपनी बात रखनी जरूरी हो गई है। अभी मंत्री जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में धरती पर आग लगाने को मां के गर्भ/कोख को जलाने जैसी बात कही है और साथ ही साथ यह भी कहा कि पराली को जलाने से रोकने संबंधी जो आदेश हैं, वह उनकी सरकार के नहीं बल्कि एन.जी.टी. के साथ–साथ माननीय कोर्ट के आदेश हैं जिनको लागू करने के लिए सरकार को कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खेतों के अवशेषों को जलाने संबंधी जो आदेश माननीय एन.जी.टी. या माननीय कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, क्या सरकार द्वारा उन आदेशों को पूरी तरह से माना गया? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, देखिये मंत्री जी का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने इसी तरह की बातें अभी थोड़ी देर पहले भी की थी जिनका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। एक बार जवाब पूरा होने दीजिए उसमें आपके द्वारा उठाई जा रही माननीय एन.जी.टी. और माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना संबंधी सभी बातें आ जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की मार्मिक बातें माननीय मंत्री जी द्वारा कही जा रही हैं, उस परिपेक्ष्य में मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इस समस्या के निवारण के लिए क्या कदम उठाये हैं? क्या सरकार ने इसके लिए कोई चिंता व्यक्त की है? माननीय एन.जी.टी. के आदेश की कॉपी मेरे पास है जिसमें साफ–साफ लिखा हुआ है कि जिस किसान के पास दो एकड़ तक की लैंड है, उस किसान के खेत से पराली को निकालने की जिम्मेवारी सरकार की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपने इस तरह की बातें अभी थोड़ी देर पहले भी की और उन्हीं के परिपेक्ष्य में माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे लेकिन आपने उन्हें जवाब देते हुए बीच में ही रोक दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा बीच में बोलने का मकसद केवल मात्र यह है कि माननीय मंत्री जी बोलते वक्त मार्मिक बातों का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन इस बात को कहने से बच रहे हैं कि सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में क्या किया है। अब मैं माननीय एन.जी.टी. के आदेश में वर्णित अगले आदेश के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय एन.जी.टी. के आदेश में यह भी वर्णित है कि यदि किसी किसान के पास दो एकड़ से कम जमीन है तो उसको अपनी जमीन से फसली अवशेषों को हटाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी तथा यदि किसी किसान के पास दो एकड़ से ज्यादा तथा पांच एकड़ से कम जमीन है तो उसको फसल अवशेषों को हटाने वाली मशीन 5000 रूपये में उपलब्ध करवाई जायेगी। इस तरह की बातों का कोई जिक्र माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं केवल मात्र मार्मिक बातों का ही बयान कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, माननीय मंत्री जी जिन बातों का आपने जिक्र किया है, उन सभी बातों का जवाब देने जा रहे थे लेकिन जब आपने उनको बीच में ही टोक दिया है तो फिर आप ही बतायें कि वे किस तरह से अपनी बात पूरी करते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का मार्मिक जवाब मंत्री जी की तरफ से आ रहा है उससे तो कदापि नहीं लगता कि मेरे द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं, उनका जवाब आ सकता था? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, संबंधित विषय पर आपकी पार्टी के पांच सदस्यों ने अपनी बात रखी थी और उस विषय को आधार बनाकर माननीय मंत्री जी जवाब भी देने लगे रहे थे। अगर आप उनको बीच में न टोकते तो अब तक जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन सभी बातों को जवाब मंत्री जी दे चुके होते।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को बीच में इसलिए टोका क्योंकि इस विषय पर मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। मंत्री जी को केवल मार्मिक बातें नहीं कहनी चाहिए बल्कि सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा भविष्य में क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इनका ज्यादा अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने संवेदनशील मसले पर मार्मिक शब्दों की जरूरत नहीं है? क्या धरती को बंजर होने से बचाने का विषय केवल पार्टी आधार पर होना चाहिए? क्या धरती को बंजर होने से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपसे एक चीज और थोड़ा हटकर कहना चाहता हूँ और वह यह है कि किसान का लागत खर्च बढ़ता जा रहा है और उसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाये, यदि आप इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर आप पराली को जलाने की बात को सहीं ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि इतने संवेदशील मसले पर केवल शब्दों की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ कर दिखाने की जरूरत है और जहां तक पराली फूकने की बात है तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपको माननीय मंत्री जी की बात को दूसरे हिसाब से लेना चाहिए। मंत्री जी ने यह बात कही है कि पराली फूकना गलत बात है और इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। पर्यावरण को दुषित होने से बचाने की जिम्मेदारी केवल एक पार्टी या सरकार की नहीं है बल्कि पूरे समाज को पर्यावरण को दुषित होने से बचाने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर किसान के खेत से भूसा निकलेगा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आपको उन बातों के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए जिनकी वजह किसानों को कष्ट हो रहा है। अगर आप पराली जलाने जैसे विषय को जायज ठहराने की कोशिश करोगे तो उसको किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता? आप माननीय मंत्री जी की मार्मिक अपील के भाव को अलग तरीके से ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूँ कि माननीय मंत्री जी द्वारा की गई मार्मिक अपील का भाव गलत है। मंत्री जी को अपील करने की बजाय यह बताना चाहिए कि विगत तीन साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या–क्या कदम उठाये हैं? केवल मात्र पराली को जलाने के विषय तक सीमित रहना ठीक नहीं है। धरती माता कहना और उसकी कोख को जलाने वाली मार्मिक बातें कहना, यह बातें केवल भाषण देने के लिए तो सही मानी जा सकती हैं लेकिन सदन में इस तरह के भाषण देने की बजाय यह बताना चाहिए कि सरकार ने जमीन की उर्वरा शक्ति तथा अन्य दूसरी जमीन की कमियों को दूर करने के लिए क्या–क्या उपाय किए हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, संबंधित मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे भी इस विषय पर सप्लीमैंटरी पूछने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र जी, आपकी पार्टी के सभी सदस्यों ने इस विषय पर सब कुछ तो पूछ लिया है, और अब क्या बाकी बचा है?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय एन.जी.टी की रिपोर्ट है इसमें जो कॉलम "एच" है, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें इस कॉलम "एच" के बारे में सदन को डिटेल में बताना चाहिए। यदि किसान के लिए माननीय एन.जी.टी. के कॉलम "एच" में किसान के हित की बात है तो उसे भी तो सदन में डिटेल में बताना चाहिए।

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र जी, माननीय एन.जी.टी. का जो आदेश है इसको पढ़ भी आप रहे हैं और पूछ भी आप रहे हैं। अगर मंत्री जी को बोलने का मौका हीं नहीं देंगे तो फिर आप अपनी बातों के जवाब की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, माननीय एन.जी.टी. के आदेश में लिखा है कि प्रत्येक राज्य अपने किसानों को कृषि अवशेषों को हटाने के लिए मशीनतंत्र तथा अन्य दूसरे उपकरण उपलब्ध करवायेगा। इन चीजों की बारे में सदन में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवर : आदरणीय स्पीकर सर, मैं हाउस में सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूं । मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं । लगभग दस सालों तक कांग्रेस पार्टी की हुकुमत रही है और उससे पहले चौटाला साहब की हुकुमत रही है लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि धान की पराली का क्या किया जाएगा । हमारी सरकार के पिछले 3 साल के शासनकाल में इसकी स्थिति बदली है । इन्होंने सिर्फ प्रदेश की जनता को बहकाया है और बहका–बहका कर राजनीति की है । इन्होंने झूठ बोलकर राजनीति की है कि हम किसानों का ये कर देंगे लेकिन अब ये लूट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी । अब सिर्फ सच्चाई की राजनीति चलेगी । इन्होंने प्रदेश की जनता को इस सरकार के अच्छे कार्यों जैसे फसल बीमा के फायदों, किसानों को समय पर खाद–बीज उपलब्ध करवाना इत्यादि के बारे में कभी नहीं बताया । इन्होंने प्रदेश की जनता को कभी यह नहीं बताया कि हमने प्रदेश के किसानों के लिए क्या–क्या किया है लेकिन अब प्रदेश के लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है । अब यह लूट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय विधायक जी ने लूट और झूठ की बात कही है मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके साथ कौन–सी लूट हुई है । ये सिर्फ सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं । (विघ्न)

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में कितनी लूट हुई है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी धान बोकर देखे हैं या नहर का पानी चलाकर देखा है । (विघ्न)

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में धान नहीं बल्कि बाजरा होता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : तेजपाल जी, अब आप बैठिये क्योंकि अब मंत्री जी को जवाब देना है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह एक महान सदन है और यह समय विषयों को गम्भीरता से निपटने का है । यह समय केवल मुद्दा–मुद्दा खेलने का नहीं है । हमें कई बार सामने वाली बैंचों से बहुत गम्भीरता की आवश्यकता होती है लेकिन जिस गम्भीरता से मैं अपनी बात रख रहा था मुझे बीच में रोका गया और मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया । अभय सिंह जी कोई अन्य बात लेकर खड़े हो गये लेकिन मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी । मैं सदन में एक बहुत ही व्यवहारिक बात कह रहा हूं । यदि किसान अपनी पराली को जला देता है तो उसे इस कार्य से कोई फायदा नहीं होता जबकि किसान पराली पर 15 सौ रूपये लगाकर उससे 15 हजार रूपये तक कमा सकता है । मैं चाहता हूं कि यह बात प्रदेश की जनता तक पहुंचनी चाहिए । हम सब भारतीय अपनी भूमि को माँ कहते हैं, इसीलिए मैंने इमोशनल होकर यह बात कही थी कि पराली को जलाना अपनी माँ के गर्भ को जलाने के बराबर है । यह बात हर हिन्दुस्तानी को पता होनी चाहिए । यह हरियाणा प्रदेश की जमीन को बचाने की बात है । यह कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और मैं इस बात को दोबारा बता रहा हूं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय पर लगातार काम कर रहे हैं लेकिन यह काम काफी बड़ा है और कोई भी काम शुरू होते ही खत्म नहीं हो जाता । हरियाणा में 33 लाख एकड़ भूमि पर धान की पैदावार होती है और 7 करोड़ क्विंटल पराली होती है । अगर हम सोचे कि एकदम से यह सारा काम हो जाएगा तो यह संभव नहीं है । हम इस दिशा में स्टैप बाई स्टैप चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में बताना चाहता हूं कि इस बार 75 करोड़ रूपये हमने इस कार्य के लिए रखे हैं और हम लगातार काम

कर रहे हैं । इसके लिए हमने विभिन्न जिलों में 18 सब्सिडी मेले आयोजित किये हैं और वहीं पर किसानों को सब्सिडी देकर यंत्र बेचे हैं । इसमें हमने किसान भाइयों को 31.39 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी है । इसके अतिरिक्त हमें इन यंत्रों की डिमांड के लिए 944 किसानों से 5,162 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं हमने किसानों को अनुदान राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दे दी है । इस तरह का काम कर रहे हैं और बाकी जिलों में भी कृषि यंत्र मेले हम लगा रहे हैं। महोदय, जो भी कृषि यंत्र सरकार के पास है चाहे वह जीरोसीड ड्रील है, हैप्पी सीडर है या स्ट्रा बेलर है, इन सबको सरकार सब्सिडी पर किराये पर दे रही है। यानी जो किराया वास्तव में 2 हजार के करीब बनता है उस हिसाब से सिर्फ 600–600 रूपये प्रति दिन के हिसाब से किसानों को सब्सिडी पर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जीरोसीड ड्रील यंत्र पर किराए की दर 1075 रूपये प्रति दिन, हैप्पी सीडर यंत्र पर 1075 रूपये प्रति दिन व स्ट्रा बेलर यंत्र पर किराए की दर 575 रूपये प्रति दिन के हिसाब से ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी किसानों ने ये कृषि यंत्र खरीदे हैं, उन सभी किसानों को सरकार अपने साथ अटैच कर रही है। उन किसानों को भी 4 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से सब्सिडी इस बात की दे रही है कि जिस सस्ती दर से सरकार किसानों का काम कर रही है उसी दर पर वे अन्य किसानों का काम करके आएं। अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए सरकार ने 7 करोड़ रूपये का प्रावधान इसलिए किया है कि मैक्सिमम किसानों को फायदा पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, यदि 8 किसानों से ज्यादा ग्रुप मिलकर या कोई संगठन कृषि यंत्र खरीदना चाहता है तो 40 प्रतिशत अनुदान की दर पर 25 लाख तक के कृषि यंत्र खरीद सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि सभी सदस्यगण ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस प्रकार के कृषि यंत्र खरीदवाने के लिए प्रेरित करें। बल्कि किसानों का समूह बनवाकर खरीदवाएं क्योंकि एक किसान भाई के लिए कृषि यंत्र खरीदना ज्यादा मंहगा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2–3 वर्षों में सरकार किसानों को इतनी सब्सिडी दे देगी कि उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। सभी सदस्यगण किसान हितैषी हैं और किसानों के बीच में जाते रहते हैं ताकि इस तरह की चीजों का सही इस्तेमाल हो सके और सब्सिडी को किसानों तक पहुँचाया जा सके, इसमें सभी माननीय सदस्यों को मिलकर मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 18 जिलों के अन्दर कृषि यंत्र मेलों का आयोजन किया

गया है और मेला के दौरान ही किसानों से फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के आवेदन अनुदान हेतु लिए गए हैं। जागरूकता कैम्प और जिलावार 18 कृषि यंत्र मेले लगाकर लगभग 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हरेडा द्वारा 21 बायोमास संयंत्र लगाए गए हैं जिनके अंदर 1.75 मीट्रिक टन धान की पराली की खपत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इण्डियन ऑयल की तरफ से धान की पराली से इथेनाल बनाने की परियोजना भारत सरकार से मंजूर है लेकिन उसमें भूमि अधिग्रहण के विषय भी बीच में आए हुए हैं यदि यह परियोजना लागू होती है तो उसमें भी लगभग 1.5 मीट्रिक टन धान की पराली की खपत होगी। राज्य में एक कागज/गत्ता बनाने का कारखाना मै0 सैनसन पेपर इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 पिहोवा में है जिसमें धान की पराली का उपयोग गत्ता एवं कागज बनाने में किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हरेडा द्वारा 50 मैगावाट धान पराली पर आधारित बायोमास बिजली संयंत्र जिनकी क्षमता 5 से 15 मैगावाट की प्रपोजल करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, जीन्द और फतेहाबाद में सरकार की तरफ से है। अध्यक्ष महोदय, इसमें पराली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होगा। किसानों को धान की पराली से खाद बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं उसकी प्रंशसा करता हूँ। सरकार ने भी इस विषय पर भारत सरकार से निवेदन किया है कि एक महीने के समय के दौरान मनरेगा के मजदूरों से भी पराली के निपटान के लिए सहयोग लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बात का निर्णय भारत सरकार को करना है। इस प्रकार के एक–दो और पराली के निपटान के लिए अच्छे सुझाव आएं हैं। एक अच्छा सुझाव यह भी आया था कि पराली के निपटान के लिए प्रोत्साहन राशि ऐसे किसानों को उस समय दी जाए जब वह अपनी धान बेचने के लिए मण्डियों में आये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अच्छे सुझावों पर सरकार द्वारा विचार चल रहा है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से संजीदा है, गंभीर है और लगातार इस विषय पर काम कर रही है और हर बात पर निगाह रख रही है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सख्ती और निगरानी करने की भी आवश्यकता है, जिसका जिक्र पहले ही माननीय सदस्यगण कर चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक मात्र उपाय जागरूकता ही है और संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार खुले हाथ से खर्च कर रही है और न ही सरकार किसी तरह की कमी रख रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी आपके

माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष अभय जी से मुझे प्रशंसा की उम्मीद होती है लेकिन ये निंदात्मक होकर खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2014–15 में 5 हजार से अधिक मीट्रिक टन बाजरा खरीदा था, पिछली बार 6300 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा और इस बार 19656 मीट्रिक टन बाजरा खरीद चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक–एक दाना बाजरे का खरीदेंगे। किसी भी मण्डी का बाजरा नहीं छोडेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वास्तव में किसान हितैषी सरकार है और लगातार रिकॉर्डात्मक काम कर रही है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** अगर आज आप इसकी तुलना पिछले 5 सालों से या 10 सालों से करेंगे या भारत के 28 राज्यों से तुलना करेंगे तो आप पायेंगे कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो इसके लिए आप उसे शाबासी भी दीजिए, क्योंकि हम आपसे शाबासी की उम्मीद करते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 मंगलवार, प्रातः 10.00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*04:55 बजे

(तत्पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर, .2017 प्रातः 10.00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)